



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या – 03

भारत के
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्र. 3

अनुक्रमणिका

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xii
पहला अध्याय: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.2	4
कर निर्धारण हेतु बकाया	1.3	5
विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन	1.4	6
लंबित प्रतिदाय प्रकरण	1.5	6
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	1.6	7
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण	1.7	9
लेखापरीक्षा योजना	1.8	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	12
यह प्रतिवेदन	1.10	12
दूसरा अध्याय: वाणिज्यिक कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	13
“मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	14
मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण	2.3	34
आगत कर का अधिक प्रदाय किया जाना	2.4	35
अंतरराज्यीय विक्रय जो धोषणापत्र समर्थित नहीं थे पर केन्द्रीय विक्रय कर का कम आरोपण	2.5	36
गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर का अव/अनारोपण	2.6	37
तीसरा अध्याय: मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	3.1	39
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	39
विलेखों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.3	40
एक विलेख में एक से ज्यादा विक्रेताओं की भूमि का विक्रय करने से संपत्ति का अवमूल्यांकन	3.4	40
मुख्य मार्ग पर स्थित संपत्ति का कम मूल्यांकन	3.5	41
नगरीय निकायों क्षेत्र में कृषि भूमियों के विक्रय पर कम मूल्यांकन	3.6	42
सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	3.7	43

आंतरिक लेखापरीक्षा	3.8	45
चौथा अध्याय: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	47
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	47
पंचायत उपकार का अनारोपण	4.3	48
औद्योगिक उद्देश्य से खरीदी गयी कृषि भूमि का व्यापवर्तन नहीं किया जाना	4.4	49
आंतरिक नियंत्रण	4.5	50
पाँचवा अध्याय: वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	51
“यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से यानकर का कम वसूली/अवसूली” पर वृहत कंडिका	5.2	52
छठवां अध्याय: अन्य कर भिन्न प्राप्ति		
खण्ड अ: वानिकी एवं वन्य जीवन		
कर प्रशासन	6.1	63
लेखापरीक्षा परिणाम	6.2	63
काष्ठ प्रचयों को तैयार एवं विक्रय करना	6.3	64
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.4	65
खण्ड ब: अलौह खनिज एवं खनिकर्म उद्योग		
कर प्रशासन	6.5	66
लेखापरीक्षा परिणाम	6.6	66
औसत वार्षिक राज्यांश का गलत परिगणना करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम प्राप्ति	6.7	67
उत्खनि पट्टों में खनिजों के उत्खनन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि वसूलने का प्रावधान न होना	6.8	68
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.9	69
सातवां अध्याय: वानिकी एवं वन्य जीवन		
कर प्रशासन	7.1	71
लेखापरीक्षा परिणाम	7.2	71
पूर्व से ही वनाच्छादित क्षेत्र में सागौन रोपण किये जाने के फलस्वरूप अनियमित व्यय	7.3	72
पौधा तैयारी कार्य में विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का	7.4	73

अनुपालन न किये जाने से अधिक व्यय		
विभाग द्वारा निर्धारित मानकों से कम पौधों का रोपण किये जाने के कारण अधिक व्यय	7.5	74
आठवां अध्याय: सूचना प्रौद्योगिकी का लेखापरीक्षा		
"ई-चालान के क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा		77
परिशिष्ट		97
शब्द कोष		117

31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 के मुख्य राजस्व प्राप्त करने वाले राजस्व क्षेत्र का विभागों के राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय का लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, जो वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; इस प्रतिवेदन में जहां आवश्यक है वहां पर वर्ष 2014–15 के बाद की अवधि का लेखापरीक्षा के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 20 कंडिकायें सहित दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत्त कंडिका है जिनमें राशि ₹ 51.65 करोड़ के कर के कम आरोपण/अनारोपण, शास्ति का अनारोपण, अनियमित/अधिक व्यय आदि सम्मिलित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है:

I. सामान्य

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2014-15 के लिये कुल प्राप्तियाँ ₹ 37,988.01 करोड़ थी। राज्य शासन द्वारा संग्रहित कर की कुल प्राप्तियाँ ₹ 20,637.17 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व ₹ 15,707.26 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 4,929.91 करोड़ था। भारत शासन से प्राप्तियाँ ₹ 17,350.84 करोड़ थी (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 8,363.03 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 8,987.81 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 54 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 1.1)

दिसम्बर 2014 तक जारी 2,811 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 11,073 कंडिकाओं, जिनमें ₹ 7,132.64 करोड़ सन्निहित थे जून 2015 तक निराकृत नहीं हुए थे। वर्ष 2014-15 में जारी कुल 147 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 112 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विभाग से प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। जिन्हें इनकी प्राप्ति के एक माह के भीतर दिया जाना चाहिए था।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन, भू-राजस्व, खनन प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वन एवं वन्य जीवन एवं विद्युत शुल्क के 84 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जाँच में ₹ 549.77 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 27,711 प्रकरणों पाये गये। वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बन्धित विभागों द्वारा 23,602 प्रकरणों में, ₹ 263.73 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्यिक कर

“मूल्य संवर्धित कर (वैट) के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” के निष्पादन लेखापरीक्षा पर निम्न कमियाँ पाई गई:

- नये व्यवसायियों को कर के दायरे में लाने हेतु छ.ग.मू.सं.क अधिनियम के धारा 57क के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपंजीकृत व्यवसायियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.8)

- अवधि 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक घट गयी जबकि पंजीकृत व्यवसायियों और कर की दर में वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.9)

- 2008-09 से 2013-14 के मध्य शासन ने स्व कर निर्धारण की समय सीमा में सात से 48 माहों की वृद्धि की गई। इसी प्रकार, 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए

विभिन्न धाराओं के अंतर्गत होने वाले कर निर्धारण में 21 से 31 माहों की समय सीमा में वृद्धि की गई। इस प्रकार निर्धारण की अवधि अत्याधिक बढ़ाने से कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव हो जायेगा।

(कंडिका 2.2.14)

• आयुक्त द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का चयन नहीं किया गया। आगे वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 11.59, 3.94 एवं 0.6 प्रतिशत ही स्व कर निर्धारणों का जाँच हेतु चयन किया गया।

(कंडिका 2.2.15)

• विभाग द्वारा ऐसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया और आगत कर के वापसी यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के ऊपर आगत कर की वापसी का कोई निगरानी प्रणाली मौजूद नहीं था।

(कंडिका 2.2.17)

• तीन कार्यालयों में चार व्यवसायी के प्रकरणों में कर के प्रशमन के लिए संविदा का गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 21.82 लाख हुआ।

(कंडिका 2.2.18)

• 11 कार्यालयों के 5951 व्यवसायियों में से 1430 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 26 प्रकरणों में माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की न्यून दर के प्रयोग करने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 9.16 करोड़ हुआ।

(कंडिका 2.2.19)

• छः कार्यालयों के 2766 व्यवसायियों में से 874 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान छः प्रकरणों में आगत कर की अनियमितताएँ जैसे अनियमित/अपात्र आगत कर, अधिक आगत कर ₹ 44.89 लाख पाई गई।

(कंडिका 2.2.20)

• भाड़ा, लाभ इत्यादि को शामिल करने के पश्चात संकर्म संविदा में प्रयोग होने वाले सामग्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य आवर्त ₹ 33.63 करोड़ निर्धारित किया गया जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयीन निर्णय एवं शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कर योग्य आवर्त का निर्धारण कुल प्राप्तियों में से मजदूरी से संबंधित व्यय का घटाने के पश्चात् किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप मूल्य संवर्धित कर का कम आरोपण ₹ 46.55 लाख हुआ।

(कंडिका 2.2.24)

• 12 कार्यालयों के 2147 व्यवसायियों में से 1282 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 20 व्यवसायियों के प्रकरण में अन्तराज्यीय विक्रय में गलत छूट माल अंतरण, पश्चावर्ती बिक्री तथा गलत फार्मों पर प्रदाय किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण ₹ 1.68 करोड़ हुआ।

(कंडिका 2.2.25)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गलत दर का प्रयोग किये जाने से मूल्य संवर्धित कर (वैट) की राशि ₹ 39.47 लाख का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.1)

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारिती द्वारा क्रीत कोयला के कुल मात्रा पर प्रांत के अंदर विक्रीत कर मुक्त विद्युत के निर्माण के लिए उपयोगित भाग की कमी किये बिना आगत कर प्रदाय किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.34 लाख का आगत कर का अधिक प्रदाय हुआ।

(कंडिका 2.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बगैर घोषणा पत्र समर्थित अंतर्राज्यीय विक्रय को मान्य किये जाने से ₹ 45.45 लाख का केंद्रीय विक्रय कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.5)

अनुसूची एवं अधिसूचना में वर्णित दर के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण न किये जाने से राशि ₹ 10.45 लाख का प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.6)

III. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क

उपपंजीयक द्वारा विलेखों के गलत वर्गीकरण किये जाने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फी.) की राशि ₹ 41.29 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.3)

एक ही दस्तावेज में एक से अधिक विक्रेताओं के सम्पत्तियों को जोड़कर गणना किये जाने के कारण सम्पत्ति का अवमूल्यन होने के फलस्वरूप मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 27.35 लाख की कम प्राप्ति।

(कंडिका 3.4)

मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों को मुख्य मार्ग से दूर मानकर मूल्यांकन करने पर मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 24.96 लाख की कम प्राप्ति।

(कंडिका 3.5)

नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमियों के मूल्यांकन, मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार न किये जाने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 17.42 लाख की कम प्राप्ति।

(कंडिका 3.6)

उ.पं द्वारा विलेखों में उल्लेखित तथ्यों को नजर अंदाज कर के गलत दर लगाने से एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 16.91 लाख की कम प्राप्ति।

(कंडिका 3.7.1 एवं 3.7.2)

IV. भू-राजस्व

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि भूमियों के व्यपवर्तन पर आरोपित प्रब्याजी एवं भू-भाटक पर पंचायत उपकर का आरोपण न किये जाने से ₹ 22.34 लाख की राजस्व की अप्राप्ति।

(कंडिका 4.3)

औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि का क्रय एवं नामांतरित को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तित न किये जाने से भू-राजस्व राशि ₹ 26.00 लाख की अप्राप्ति।

(कंडिका 4.4)

V. वाहनों पर कर

“यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से करों का कम वसूली/अवसूली”पर वृहत कंडिका के अंतर्गत निम्न कमियाँ पाई गई:

क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा करों के मांग एवं वसूली पंजी एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया गया।

(कंडिका 5.2.9)

जुलाई 2011 से मार्च 2015 के मध्य कुल 2,583 पंजीकृत यात्री यानों में से 133 यात्री यानों के स्वामियों से व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का निर्धारण न करने से, प्रत्येक स्लीपर को दो सीट न मानने से, शैक्षणिक संस्थाओं से अन्यत्र उपयोग करने पर रियायती दर से कर आरोपण करने आदि के कारण यानकर की राशि ₹ 2.25 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.2.10)

चयनित परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2010 से फरवरी 2015 तक के कुल 1,61,380 पंजीकृत वाहनों में से 5,677 वाहन स्वामियों द्वारा ना तो यान कर एवं शास्ति की राशि ₹ 19.05 करोड़ का भुगतान किया गया ना ही विभाग द्वारा कोई मांग जारी की गई।

(कंडिका 5.2.11)

VI. अन्य भिन्न कर प्राप्तियाँ

विभागीयों निर्देशानुसार विक्रय हेतु काष्ठ के शुद्ध प्रचयों के निर्माण के निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण काष्ठों के विक्रय विलंब से होना, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 11.57 लाख की राजस्व की हानि।

(कंडिका 6.3.1)

नीलामी के दौरान काष्ठ प्रचयों का गैर-वाणिज्यिक मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण राजस्व राशि ₹ 5.03 लाख की हानि।

(कंडिका 6.3.2)

खनिपट्टा के पंजीकरण हेतु औसत वार्षिक राज्यांश का गलत गणना किया गया। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फी.) की राशि ₹ 6.92 करोड़ की कम प्राप्ति।

(कंडिका 6.7)

गौण खनिज के उत्खनित मात्रा में परिवर्तन उपरांत मु.शु. एवं पं.फी. के अंतर के भुगतानों के प्रावधानों के न होने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 14.29 लाख की अप्राप्ति।

(कंडिका 6.8)

VII. वानिकी एवं वन जीवन (व्यय)

वन विभाग द्वारा पूर्व से ही वनाच्छादित क्षेत्र में काष्ठ वृक्षारोपण की परियोजना तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने से राशि ₹ 1.11 करोड़ का अनियमित व्यय।

(कंडिका 7.3)

मनरेगा के अंतर्गत पौधा तैयारी कार्य हेतु वन विभाग द्वारा विभागीय मानकों का अनुपालन न कर उच्च दर पर परियोजना तैयार कर पौधा तैयार किये जाने से राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय।

(कंडिका 7.4)

वृक्षारोपण हेतु विभागीय मानकों का पालन न कर वृक्षारोपण का परियोजना तैयार कर वृक्षारोपण किये जाने से राशि ₹ 51.15 लाख का अधिक व्यय साथ ही कम पौधों का रोपण होना।

(कंडिका 7.5)

VIII. सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

‘ई-चालान’ साफ्टवेयर एक इन्टरनेट ऑनलाईन बैंक सेवा के माध्यम से कर दाताओं को आनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। इस साफ्टवेयर को कोष संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, रायपुर के माध्यम से विकसित किया गया। कोषालय संहिता के नियमों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 64क एवं 64ख को संशोधित करते हुये उसकी मंजूरी प्रदान की गयी, जिसमें कस्टमाईज चालान फार्म बैंक के माध्यम से इन्टरनेट के द्वारा कोषालय एवं विभागों को प्रेषित किया जायेगा।

“ई-चालान के क्रियान्वयन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न कमियाँ पाई गई:

- ई-चालान परियोजना के क्रियान्वयन के प्रबंधन के लिए निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु साँफ्टवेयर की समांतर जाँच का आयोजन नहीं किया गया।

(कंडिका 8.8)

- यद्यपि विभाग द्वारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन (एस.आर.एस.) और यूजर रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन (यू.आर.एस.) तैयार किया गया था परंतु इसके क्रियाकलाप के नियम, कार्य की दिशा एवं तकनीकी विशेषताएं जो नये कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के लिए आवश्यक है मौजूद नहीं होने से अपूर्ण था। पुनः विभाग द्वारा सिस्टम डिजाइन डोक्यूमेंट (एस.डी.डी.) तैयार नहीं किया था।

(कंडिका 8.9)

- इनपुट कंट्रोल एवं वॉलिडेशन चेक्स ई-चालान साफ्टवेयर में समुचित रूप से समाहित नहीं थे।

(कंडिका 8.10)

- कोषालय द्वारा बैंक में ई-चालान के माध्यम से प्राप्त राशि का लेखांकन में राशि प्राप्त होने की तिथी से 10 दिवस से पांच माह के विलम्ब से किया गया। कोषालय स्तर पर निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण लेखांकन में विलंब दृष्टिगत नहीं हुआ।

(कंडिका 8.12)

- विभागीय क्रियाकलापों के पालन में असफलता से फैंसी नम्बर के आबंटन के लिए फीस की बढ़ी हुई दर को विभाग द्वारा डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन (DPR) साँफ्टवेयर में अद्यतन नहीं किया फलस्वरूप राशि ₹ 3.56 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 8.17)

- वाहन के डीलरों एवं परिवहन विभाग के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ये आवश्यक है की डिलर कर एवं शुल्क के रूप में प्राप्त किये गये शासकीय राजस्व को उसी दिन संबंधित मुख्य शीर्ष में आनलाईन जमा करेगा। किंतु डीलरों ने शासकीय राजस्व को दो से 1488 दिनों के विलम्ब से जमा किया। यद्यपि यह डीलर मात्र नये वाहनों के ही पंजीयन करने हेतु अधिकृत थे किंतु इनके द्वारा डीलर पाइंट रजिस्ट्रेशन से पुराने वाहनों का भी पंजीयन किया।

(कंडिका 8.18 एवं 8.21)

- संचालनालय कोष ई-चालान डाटा को उपयोग करने वाले समस्त विभागों के माड्यूल से एकीकृत करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप कई स्तर पर मानवीय हस्ताक्षेप हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में उपयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयरों को एकीकृत नहीं होने से गलत भुगतान प्रदर्शित हुआ, चालानों में हेरफेर इत्यादि हुए।

(कंडिका 8.16 एवं 8.22)

- मास्टर डाटा की विश्वसनियता कायम नहीं रही क्योंकि एक ही चालान के एक से अधिक अभिलेख मौजूद थे।

(कंडिका 8.23)

- ई-चालान के क्रियान्वयन में सही प्रचलित रीतियों का अनुसरण करने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा जिसके फलस्वरूप डीलरों द्वारा जमा किये गये ई-चालान के विवरणों की सम्पूर्णता, परिशुद्धता एवं वैधता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

(कंडिका 8.24)

- विभिन्न करों के भुगतान में समान चालानों की प्रविष्टि रोकने के लिए COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वेलिडेशन जाँच लगाने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा। इसके फलस्वरूप समान चालानों को वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान में प्रयोग किया गया।

(कंडिका 8.27)

पहला अध्याय: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़ें तालिका 1.1.1 में वर्णित हैं:

तालिका- 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व					
	• कर राजस्व	9,005.14	10,712.25	13,034.21	14,342.71	15,707.26
	• कर भिन्न राजस्व	3,835.32	4,058.48	4,615.95	5,101.17	4,929.91
	योग	12,840.46	14,770.73	17,650.16	19,443.88	20,637.17
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम	5,425.19	6,320.44	7,217.60	7,880.22	8,363.03 ¹
	• सहायता अनुदान	4,453.89	4,776.21	4,710.33	4,726.16	8,987.81
	योग	9,879.08	11,096.65	11,927.93	12,606.38	17,350.84
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	22,719.54	25,867.38	29,578.09	32,050.26	37,988.01
4.	1 से 3 का प्रतिशत	57	57	60	61	54

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (₹ 20,637.24 करोड़) कुल राजस्व का 54 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान शेष 46 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

¹ विवरण के लिये कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें वर्ष 2014-15 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कॉरपोरेशन कर को छोड़कर, 0028- आय और व्यय पर अन्य कर, 0032- संपत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 901 - राज्यों को समानुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजस्व के अंतर्गत दिखाये गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित किया गया।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र)

1.1.2 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका 1.1.2 में वर्णित है:

तालिका- 1.1.2
संग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2013-14 की तुलना में 2014-15 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत	वर्ष 2014-15 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	4,524.13	6,000.00	7,310.20	8,436.00	9,800.00	6.29	(-) 13.99
		वास्तविक	4,840.79	6,006.25	6,928.65	7,929.51	8,428.61		
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	ब.अ.	1,390.00	1,550.00	2,200.00	2,675.00	3,150.00	13.47	(-) 8.18
		वास्तविक	1,506.44	1,596.98	2,485.68	2,549.15	2,892.45		
3.	विद्युत पर कर और शुल्क	ब.अ.	554.31	600.00	780.00	1,000.00	1,100.00	28.66	19.36
		वास्तविक	502.53	637.97	860.75	1,020.44	1,312.93		
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	ब.अ.	650.35	875.00	950.00	1,150.00	1,250.00	3.34	(-) 18.13
		वास्तविक	785.85	845.82	952.47	990.24	1,023.33		
5.	माल और यात्रीयों पर कर	ब.अ.	6.16	700.00	950.00	1,192.00	1,335.00	3.85	(-) 26.45
		वास्तविक	675.14	825.67	954.31	945.44	981.88		
6.	वाहनों पर कर	ब.अ.	410.00	475.00	605.71	731.38	800.00	8.05	(-) 12.07
		वास्तविक	427.52	502.18	591.75	651.07	703.48		
7.	भू-राजस्व	ब.अ.	170.00	250.00	346.00	415.00	460.00	46.67	(-) 27.92
		वास्तविक	247.37	270.56	234.11	226.06	331.56		
8.	अन्य कर राजस्व	ब.अ.	13.90	12.14	19.27	25.62	31.26	7.21	5.63
		वास्तविक	19.50	26.82	26.49	30.80	33.02		
योग		ब.अ.	7,718.85	10,462.14	13,161.18	15,625.00	17,926.26	9.51	(-) 12.38
		वास्तविक	9,005.14	10,712.25	13,034.21	14,342.71	15,707.26		

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में राज्य के कर राजस्व वर्ष 2013-14 की तुलना में 9.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2014-15 में बजट अनुमान (ब.अ.) के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति में 12.38 प्रतिशत की कमी पाई गई। संबंधित विभागों द्वारा अंतरों के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(अ) वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों के अंतर के कारण:

राज्य उत्पाद: वृद्धि (13.47 प्रतिशत) का कारण मदिरा दुकानों के वार्षिक राजस्व में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2015-16 के मदिरा दुकानों के नीलामी से प्राप्त प्रॉसेस फीस का वर्ष 2014-15 में प्राप्त होना।

विद्युत पर कर और शुल्क: वृद्धि (28.66 प्रतिशत) पिछली वर्षों के बकाया विद्युत शुल्क/उपकर की प्राप्ति से हुई।

भू-राजस्व: वृद्धि (46.67 प्रतिशत) कलेक्टरों द्वारा राजस्व एवं बकायों का नियमित वसूली से प्राप्त हुई।

राजस्व के अन्य शीर्षों में अंतरों के कारणों से संबंधित विभागों को अनुरोध करने के बावजूद भी जानकारी प्रदाय नहीं की गई (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य)

(ब) वर्ष 2014-15 में ब.अ. एवं प्राप्तियों के अंतर के कारण:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: कमी (13.99 प्रतिशत) ईंधन, लौह अयस्क एवं कोयला के विक्रय में कमी के कारण हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क: वृद्धि (19.36 प्रतिशत) पूर्व वर्षों के बकाया की वसूली होने के कारण।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस: कमी (18.13 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के प्रथम तिमाही में वास्तविक प्राप्ति के अनुसार लक्ष्य का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण।

वाहनों पर कर: कमी (12.07 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा सितम्बर 2013 में मासिक कर में 25 से 30 प्रतिशत की कमी करने के कारण।

भू-राजस्व: कमी (27.92 प्रतिशत) का कारण कर्मचारियों को स्थानीय निकायों के चुनावों में संलग्न होना।

माल एवं यात्री पर करों में ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर होने के कारणों से विभाग को बारंबार अनुरोध करने (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य) के बावजूद भी जानकारी प्रदान नहीं की गई।

1.1.3 वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका 1.1.3 में वर्णित है:

तालिका 1.1.3
संग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2013-14 की तुलना में 2014-15 आधिक्य(+) या कमी(-) का प्रतिशत	वर्ष 2014-15 में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के अंतर का प्रतिशत
1.	अलौह-धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	ब.अ.	2,150.00	2,700.00	3,105.00	3,510.00	4,100.00	10.40	(-) 12.86
		वास्तविक	2,470.44	2,744.82	3,138.18	3,236.01	3,572.68		
2.	अन्य कर-भिन्न राजस्व	ब.अ.	832.62	852.07	624.54	1,048.86	819.72	(-) 42.58	(-) 48.88
		वास्तविक	666.76	418.96	513.45	729.70	419.00		
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	400.00	400.00	405.00	450.00	520.00	(-) 14.09	(-) 32.94
		वास्तविक	305.17	341.64	363.96	405.91	348.72		
4.	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	232.63	302.40	321.94	399.14	323.40	(-) 54.84	(-) 46.85
		वास्तविक	170.95	216.57	243.13	380.64	171.89		
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	ब.अ.	285.40	282.71	391.46	426.11	421.50	19.79	0.92
		वास्तविक	222.00	336.49	357.23	348.64	417.62		
योग		ब.अ.	3,900.65	4,537.18	4,847.94	5,834.11	6,184.62	(-) 3.36	(-) 20.29
		वास्तविक	3,835.32	4,058.48	4,615.95	5,101.17	4,929.91		

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 के तुलना में वर्ष 2014-15 में राज्य के कर-भिन्न राजस्व में 3.36 प्रतिशत की कमी आई। जबकि ब.अ. के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में वास्तविक प्राप्तियाँ में 20.29 प्रतिशत की कमी देखी गई।

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(अ) वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों के अंतर के कारणों:

अलौह-धातु खनन और धातुकर्म उद्योग: वृद्धि (10.40 प्रतिशत) का कारण सितम्बर 2014 से मुख्य खनिजों के राज्यांश दर में वृद्धि होना था।

वानिकी एवं वन्य जीवन: कमी (14.09 प्रतिशत) दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 में पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनावों के मद्देनजर बिलासपुर एवं सरगुजा वृत्तों में काष्ठ नीलामी के स्थगन होने के कारण।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई: पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा कृषकों द्वारा जल कर का भुगतान करने एवं जल कर के दर में बढ़ोतरी होने के कारण प्राप्ति में वृद्धि (19.79 प्रतिशत) हुई।

ब्याज प्राप्तियों में अंतर के कारणों हेतु संबंधित विभाग से बारंबार अनुरोध (अप्रैल एवं सितम्बर 2015 के मध्य) के बावजूद भी कोई जानकारी प्रदाय नहीं किया गया।

(ब) वर्ष 2014-15 में ब.अ. एवं प्राप्तियों के अंतर के कारणों:

अलौह-धातु खनन और धातुकर्म उद्योग: ब.अ. के विरुद्ध प्राप्तियों की कमी (12.86 प्रतिशत) के मुख्य कारण कायले के उत्पादन में कमी, कुछ खानों के बंद होने एवं इस वर्ष उत्पादन होने वाले कोयला एवं लौह का पूर्व वर्ष में अग्रिम में राज्यांश जमा करना था।

वानिकी एवं वन्य जीवन: ब.अ. के विरुद्ध कमी (32.94 प्रतिशत) का कारण वित्त विभाग द्वारा ब.अ. का अधिक निर्धारण करना था, जिससे क्षेत्र विशेष कारणों से लक्ष्य प्राप्ति करने में कठिनाई आई।

“ब्याज प्राप्तियों” एवं “वृहद एवं मध्यम सिंचाई” मदों में ब.अ. एवं प्राप्तियों के अंतरों के कारणों का संबंधित विभाग से बारंबार अनुरोध (अप्रैल एवं सितम्बर 2015 के मध्य) करने के बावजूद भी प्रदाय नहीं की गई।

1.2 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2015 की स्थिति में कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के बकाया राजस्व ₹ 1,177 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 242.59 करोड़ पांच वर्षों से अधिक बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में वर्णन किया गया है:

तालिका 1.2
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 तक बकाया राशि	31 मार्च 2015 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	टिप्पणी
1	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	770.73	198.98	प्रकरण जिसमें ₹ 446.43 करोड़ सम्मिलित थे उसमें राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व. प्र.) जारी कर दिया गया है। शासन, माननीय उच्च न्यायालयों एवं न्यायिक मंचों द्वारा क्रमशः प्रकरण जिसमें राशि ₹ 248.87 करोड़, ₹ 43.32 करोड़ एवं ₹ 11.14 करोड़ सम्मिलित थे का स्थगन किया गया है। व्यवसायों के दिवालिये होने के कारण राशि ₹ 1.38 करोड़ को बट्टा खाता में डाल दिया गया है। शेष बकाया वसूली हेतु आगे की कार्यवाही कि जा रही है।

2	विद्युत कर एवं शुल्क	313.18	12.39	रा.व.प्र. विचाराधीन हेतु राशि ₹ 182.37 करोड़ के प्रकरणों विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। शेष बकाया के वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
3	राज्य उत्पाद	28.42	20.86	जिला न्यायालयों में बकायादारों के चल/अचल संपत्तियों के अनुपलब्धता एवं न्यायालयों में वसूली कार्यवही हेतु स्थगन आदेशों के कारण बकाया है। न्यायालयों से जारी स्थगन आदेशों को शुन्य करने हेतु कार्यवाही कर वसूली की जावेगी।
4	भू-राजस्व	30.06	2.99	वसूली हेतु संबंधित कलेक्टरों द्वारा मांग पत्र जारी कर दी गई है।
5	वाहनों पर कर	10.27	3.52	बकाया राजस्व हेतु विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताये गये।
6	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	16.68	1.72	बकाया वसूली हेतु जिला पंजीयक द्वारा जारी किये गये मांग पत्र अनुसार किया जा रहा है।
7	वानिकी एवं वन्य जीवन	6.75	1.22	इस संबंध में योजनाबद्ध तरीके से बकाया वसूली के कार्यवाही हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है।
8	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	0.91	0.91	खनिज अधिकारियों को विशेष अभियान द्वारा बकाया वसूली हेतु निर्देशित किये गये हैं।
योग		1,177.00	242.59	

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदाय किये गये अनुसार)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभागीय प्राधिकारियों के पास ₹ 1,177 करोड़ बकाया है। जिसमें से राशि ₹ 242.59 करोड़ पांच वर्ष से अधिक बकाया है, जो कि कुल बकाया राशि का 20.61 प्रतिशत है एवं उसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

1.3 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की जानकारी, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरण जैसा कि वाणिज्यिक विभाग द्वारा वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासता कर एवं निर्माण कार्य पर कर के संबंध में सूचित किया गया, तालिका 1.3 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.3
कर निर्धारण हेतु बकाया

राजस्व का शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2014-15 के दौरान कर निर्धारण हेतु नए प्रकरण	कुल लंबित कर निर्धारण	2014-15 के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
मूल्य सर्वाधिक कर	46,975	32,204	79,179	27,880	51,299	35.21
वृत्ति कर	13,605	6,371	19,976	7,390	12,586	36.99
प्रवेश कर	19,240	10,236	29,476	8,382	21,094	28.44
विलासता कर	112	126	238	153	85	64.29
निर्माण कार्य करार पर कर	398	449	847	519	328	61.28
योग	80,330	49,386	1,29,716	44,324	85,392	34.17

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़े)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 34 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण हेतु शासन इन लंबित प्रकरणों को अतिशीघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही किया जा सकता है।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर मांगों के विवरण तालिका 1.4 में वर्णित है:

तालिका 1.4
कर अपवंचन

(₹ लाख में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2015 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	166	29	195	59	10,851.31	136
योग		166	29	195	59	10,851.31	136

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त आकड़े)

1.5 लंबित प्रतिदाय प्रकरण

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों और वर्ष 2014-15 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या तालिका 1.5 में वर्णित है:

तालिका 1.5
लंबित प्रतिदाय प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	विक्रय कर/वैट	
		संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा	17,688	209.08
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	3,853	189.95
3.	वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय	3,266	162.32
4.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	18,275	236.71

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 15.16 प्रतिशत प्रकरणों में ही प्रतिदाय प्रदाय मान्य किया गया।

छत्तीसगढ़ वैट कर अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि यदि व्यवसायी को अधिक राशि प्रतिदाय आदेश के 60 दिनों के पश्चात् भी वापस नहीं किया जाता है तो प्रतिदाय दिनांक तक एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अतः विलम्ब से भुगतान किए गये प्रतिदाय पर ब्याज का दायित्व आता है।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों / शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, शासन के विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच कर सामयिक निरीक्षण करता है तथा यह सत्यापित करता है कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते हैं तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी 2,811 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 11,073 कंडिकाओं, जिसमें ₹ 7,132.64 करोड़ की राशि सम्मिलित थे जून 2015 तक लंबित थी, जो पिछले दो वर्षों के आकड़ों के साथ तालिका 1.6 में दर्शित है:

तालिका 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,549	2,645	2,811
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	9,943	10,419	11,073
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	5,930.53	6,090.69	7,132.64

1.6.1 30 जून 2015 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका 1.6.1 में दिया गया है:

तालिका 1.6.1
विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रवृत्ति	निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रकार	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	प्राप्तियाँ	428	2,680	377.91
			व्यय	10	26	5.42
2.	वणिज्यिक कर (उत्पाद)	राज्य उत्पाद मनोरंजन कर	प्राप्तियाँ	133	370	371.32
			प्राप्तियाँ	72	116	3.95
			व्यय	13	24	0.40
3.	वणिज्यिक कर (पंजीकरण)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	प्राप्तियाँ	228	632	85.77
			व्यय	04	10	1.81
4.	राजस्व	भू-राजस्व	प्राप्तियाँ	574	1,774	1,051.46
			व्यय	26	61	8.17
5.	परिवहन	वाहनों पर कर	प्राप्तियाँ	142	1,044	136.20
			व्यय	13	34	0.12
6.	खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	प्राप्तियाँ	140	485	835.84
			व्यय	07	07	0.00
7.	वन	वानिकी एवं वन्य जीवन	प्राप्तियाँ	333	1,012	1,239.28
			व्यय	386	1,684	719.26

8.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	प्राप्तियाँ	13	62	1,644.41
9.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ	288	1,042	651.19
			व्यय	01	10	0.13
योग				2,811	11,073	7,132.64

वर्ष 2014-15 के दौरान जारी किये गये 147 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 112 निरीक्षण प्रतिवेदनों (76 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर विभाग से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। निरीक्षण की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि विभागाध्यक्षों का रवैया लेखापरीक्षा प्रेषणों के प्रति गंभीर नहीं है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। परंतु कोई भी विभाग प्रावधानानुसार पूर्व लेखापरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं के निराकरण के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

1.6.3 लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानिय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जांच हेतु वांछित अभिलेख तैयार कर सकें।

वर्ष 2014-15 के दौरान कर निर्धारण नस्ती एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। उन प्रकरणों को तालिका 1.6.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.3

अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा किया जाना था	प्रकरणों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी
वाणिज्यिक कर	2014-15	सहायक आयुक्त एक, संभाग 2, रायपुर द्वारा एक कर निर्धारण प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
भू-राजस्व	2014-15	कार्यालय कलेक्टर, महासमुंद द्वारा नजूल शाखा के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना लेखापरीक्षा को संवैधानिक दायित्व पूरा करने में बाधा पहुँचाता है और लेखापरीक्षा के कारण जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है उससे वंचित करता है।

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेषणों पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसका उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। शासन/विभागों से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है। 26 प्रारूप कंडिकाएं जो 20 कंडिकाओं में समाहित हैं, तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत कंडिका संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों का मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य भेजा गया। प्रारूप कंडिकाओं पर प्रमुख सचिवों/सचिवों के उत्तर उचित स्थान पर समाहित कर एवं उस पर टिप्पणी किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 की 182 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में फरवरी 2009 एवं मार्च 2015 के मध्य प्रस्तुत किया गया। 30 जून 2015 की स्थिति में 31 मार्च 2005 से 2014 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 34 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही की व्याख्यात्मक टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा 1999-00 से 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 114 चुनिंदा कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं 75 कंडिकाओं के अनुशंसाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 से 2013-14 में सम्मिलित किया गया। परंतु 23 अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुए, जिसका विवरण निम्न तालिका 1.6.5 में दिया गया है:

तालिका 1.6.5

अनुशंसाओं के सापेक्ष में अप्राप्त कार्यवाही की टीप (ए.टी.एन.) का विवरण

वर्ष	विभाग का नाम							कुल
	भौमिकी एवं खनिकर्म	राज्य उत्पाद	ऊर्जा	परिवहन	वणिज्यिक कर	पंजीयन	वन	
1999-00	—	1	—	—	—	—	—	1
2000-01	—	—	—	—	—	1	—	1
2002-03	—	—	—	—	3	—	—	3
2004-05	1	—	—	—	—	—	1	2
2005-06	1	—	—	—	4	—	—	5
2006-07	1	—	—	1	1	—	—	3
2007-08	—	1	1	2	2	—	—	6
2008-09	—	1	—	—	—	—	—	1
2009-10	1	—	—	—	—	—	—	1
योग	4	3	1	3	10	1	1	23

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को सम्बोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण, विभाग/शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु एक विभाग का मुल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अनुवर्ती कंडिका 1.7.1 से 1.7.3 में भू-राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व शीर्ष के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं गत 10 वर्ष में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये हैं का आकलन कर चर्चा की गई है।

1.7.1 भू-राजस्व विभाग के निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवदेनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवदेनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2015 के अनुसार उनकी स्थिति तालिका 1.7.1 में नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
		निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि
1	2005-06	450	1170	447.63	5	23	10.78	—	—	—	455	1193	458.41
2	2006-07	455	1193	458.41	7	32	20.86	—	—	—	462	1225	479.27
3	2007-08	462	1225	479.27	28	113	25.70	17	68	2.68	473	1270	502.29
4	2008-09	473	1270	502.29	33	128	58.02	22	72	194.86	484	1326	365.45
5	2009-10	484	1326	365.45	20	80	27.44	16	71	4.52	488	1335	388.37
6	2010-11	488	1335	388.37	25	110	13.30	9	35	21.73	504	1410	379.94
7	2011-12	504	1410	379.94	35	212	46.93	8	20	13.38	531	1602	413.49
8	2012-13	531	1602	413.49	19	97	15.00	6	43	5.67	544	1656	422.82
9	2013-14	544	1656	422.82	27	126	592.06	1	21	1.68	570	1761	1013.20
10	2014-15	570	1761	1013.20	6	26	47.61	—	4	22.01	576	1783	1038.80

पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन, विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करवाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2005-06 के प्रारंभ में 455 लंबित निरीक्षण प्रतिवदेनों में 1,193 कंडिकाएँ थी जो 2014-15 के अन्त तक बढ़कर 576 लंबित निरीक्षण प्रतिवदेन के 1,783 कंडिकाएँ हो गईं। भू-राजस्व विभाग के लिए कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक अभी तक आयोजित नहीं की गई है।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो भू-राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि नीचे तालिका 1.7.2 में वर्णित है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवदेन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
2004-05	3	1.14	1	0.20	0.21
2005-06	—	—	—	—	—
2006-07	—	—	—	—	—
2007-08	1	0.07	—	—	0.04
2008-09	1	2.23	1	2.23	2.23
2009-10	3	0.71	2	0.65	0.59
2010-11	1	10.86	1	10.86	2.30
2011-12	2	1.04	—	—	—

2012-13	1	0.17	1	0.17	—
2013-14	3	8.98	1	8.61	—
योग	15	25.20	7	22.72	5.37

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी है। संबंधित बकायादारों से स्वीकृत प्रकरणों में बकाया राशि के वसूली हेतु प्रयास किया जाना था। आगे भू-राजस्व विभाग के कार्यालय में बकाया प्रकरण एवं स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। किसी भी उपयुक्त प्रणाली की अनुपस्थिति में विभाग स्वीकृत प्रकरणों की वसूली की निगरानी नहीं कर पाया।

विभाग को चाहिए कि स्वीकृत प्रकरणों में शामिल बकाया राशि की शीघ्र वसूली के प्रयास एवं निगरानी हेतु त्वरित कार्यवाही करें।

1.7.3 विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में भू-राजस्व विभाग की नि.ले.प. में उठाये गये विषय वर्ष 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये। अनुशंसाओं का विवरण और स्थिति तालिका 1.7.3 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.7.3

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2010-11	भू-राजस्व का आरोपण एवं उदग्रहण	8	• स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करना, और इन आपत्तियों के उपचार उपाय करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना	स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाइ के सुदृढ़ करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है (अक्टूबर 2014)।
			• भू-राजस्व को उचित लेखाशीर्ष में जमा करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने पर विचार	इस संबंध में आवश्यक निर्देशों जारी कर दिये गये हैं (अक्टूबर 2013 एवं नवम्बर 2014)।
			• ग्राम पंचायत क्षेत्र में संग्रहित प्रिमियम पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये (सितम्बर 2015)।
			• अधिनियम/नियमों में, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियायें प्रारम्भ करने, पट्टा विलेखों के निष्पादन हेतु समय सीमा का समावेश करने और संस्वीकृतियों के समय से निष्पादन में विफलता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने पर विचार करना	इस संबंध में आवश्यक निर्देशों देने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है (सितम्बर 2015)।
			• समयबद्ध रीति से अवशेषों की वसूली हेतु निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं (सितम्बर 2015)।
			• व्यपवर्तन लगान निर्धारण के प्रकरणों को तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत मांग और संग्रहण के अभिलेखों से परस्पर संबंध करने हेतु प्रणाली का निर्धारण	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं (सितम्बर 2015)।
			• उचित वसूली संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु और शासकीय लेखों में समय से जमा करने बाबत कलेक्टर व तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश जारी करना	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं (जून एवं नवम्बर 2015)।

		<ul style="list-style-type: none"> सभी प्रकार की भूमि, जिस पर भू-राजस्व या भाटक संग्रहित होता है पर अद्योसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकरण के आरोपण हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना 	इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं (जुलाई 2015)
--	--	--	--

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत ईकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम ईकाईयों में किया गया है, जो राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्तियों के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, पिछले पांच वर्षों का राजस्व अर्जन, सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पांच वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मिलित करते हुये की जाती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान 463 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 85 ईकाईयों की योजना बनाई गई और 84 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई जो कुल लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों का 18.22 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 में की गई लेखा परीक्षा ईकाईयों की सूची **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा उपरोक्त दर्शाये अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत प्रारूप कंडिका भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन, भू-राजस्व, खनिज प्राप्ति, वाहनों पर कर, वानिकी एवं वन्य जीवन, विद्युत शुल्क और अन्य विभागीय कार्यालयों के 84 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के राशि ₹ 549.77 करोड़ के 27,711 प्रकरण पाए गए। वर्ष 2014-15 के दौरान संबंधित विभागों ने 23,602 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 263.73 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार करते हुए पांच प्रकरणों में राशि ₹ 2.64 लाख की वसूली की गई।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा "मूल्य संधित कर के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली" एवं "ई-चालान के क्रियान्वयन" एवं एक वृहत कंडिका "यात्री एवं माल यानों के वाहनस्वामीयों से करो का कम वसूली/अवसूली" सहित 20 कंडिकायें जिसमें ₹ 51.65 करोड़ सन्निहित है जिसमें से शासन ने ₹ 29.14 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेषणों को मानते हुए ₹ 47.78 लाख वसूल कर ली गई है। शेष प्रकरणों में शासन/विभागों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।

दूसरा अध्याय : वाणिज्यिक कर

2.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2014-15 में 52 में से 20¹ कार्यालयों के मूल्य संवर्धित कर/विक्रय कर/प्रवेश कर निर्धारण और अन्य अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान 176 प्रकरणों में ₹ 32.90 करोड़ के करों का न्यून निर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ शामिल हैं जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत तालिका 2.1 में वर्गीकृत हैं:

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों	राशि
1	“मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	12.13
2	कर का अनारोपण/कम आरोपण	92	3.47
3	गलत छूट/कटौतियों प्रदाय किया जाना	24	0.66
4	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	11	1.66
5	कर योग्य आवर्त का गलत निर्धारण	11	0.88
6	अन्य अनियमितताएँ	37	14.10
योग		176	32.90

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 34 प्रकरणों में ₹ 1.89 करोड़ के न्यून कर निर्धारण स्वीकार किया गया।

प्रारूप कंडिका और निष्पादन लेखापरीक्षा के जारी किए जाने के पश्चात् शासन द्वारा 6 प्रकरणों में ₹ 25.11 लाख का वसूली सूचित की गई।

“मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 12.13 करोड़ का वित्तीय प्रभाव है और कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 1.14 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

¹ तीन उपायुक्त, सात सहायक आयुक्त और 10 वाणिज्यिक कर अधिकारी को शामिल करते हुए

2.2 “मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) के अंतर्गत कर निर्धारण तंत्र” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश:

- नये व्यवसायियों को कर के दायरे में लाने हेतु छ.ग.मू.सं.क अधिनियम के धारा 57क के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अपंजीकृत व्यवसायियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.8)

- अवधि 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक घट गयी जबकि पंजीकृत व्यवसायियों और कर की दर में वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.9)

- 2008-09 से 2013-14 के मध्य शासन ने स्व कर निर्धारण की समय सीमा में सात से 48 माहों की वृद्धि की। इसी प्रकार, 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत होने वाले कर निर्धारण में 21 से 31 माहों की समय सीमा में वृद्धि की गई। इस प्रकार निर्धारण की अवधि अत्याधिक बढ़ाने से कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव हो जायेगा।

(कंडिका 2.2.14)

- आयुक्त द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का चयन नहीं किया गया। आगे वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 11.59, 3.94 एवं 0.6 प्रतिशत स्व कर निर्धारणों का जाँच हेतु चयन किया गया।

(कंडिका 2.2.15)

- विभाग द्वारा ऐसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया और आगत कर के वापसी यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के ऊपर आगत कर की वापसी का कोई निगरानी प्रणाली मौजूद नहीं था।

(कंडिका 2.2.17)

- तीन कार्यालयों में चार व्यवसायी के प्रकरणों में कर के प्रशमन के लिए संविदा का गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 21.82 लाख हुआ।

(कंडिका 2.2.18)

- 11 कार्यालयों के 5951 व्यवसायियों में से 1430 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 26 प्रकरणों में माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की न्यून दर के प्रयोग करने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 9.16 करोड़ हुआ।

(कंडिका 2.2.19)

- छः कार्यालयों के 2766 व्यवसायियों में से 874 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान छः प्रकरणों में आगत कर की अनियमितताएँ जैसे अनियमित/अपात्र आगत कर, अधिक आगत कर ₹ 44.89 लाख पाई गई।

(कंडिका 2.2.20)

- भाड़ा, लाभ इत्यादि को शामिल करने के पश्चात संकर्म संविदा में प्रयोग होने वाले सामग्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य आवर्त ₹ 33.63 करोड़ निर्धारित किया गया जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयीन निर्णय एवं शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कर योग्य आवर्त का निर्धारण कुल

प्राप्तियों में से मजदूरी से संबंधित व्यय का घटाने के पश्चात् किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप मूल्य संवर्धित कर का कम आरोपण ₹ 46.55 लाख हुआ।

(कंडिका 2.2.24)

- 12 कार्यालयों के 2147 व्यवसायियों में से 1282 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 20 व्यवसायियों के प्रकरण में अन्तराज्यीय विक्रय में गलत छूट माल अंतरण, पश्चावर्ती बिक्री तथा गलत फार्मों पर प्रदाय किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण ₹ 1.68 करोड़ हुआ।

(कंडिका 2.2.25)

2.2.1 प्रस्तावना

कर प्रशासन में दक्षता लाने की दृष्टि से, व्यवसायियों में प्रतियोगिता का समान अवसर और कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु मूल्य संवर्धित कर छत्तीसगढ़ राज्य में 2006 में लागू किया गया। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005, (छ.ग.मू.सं.क.अधि.) के प्रत्येक स्तर पर विक्रय कर का आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण प्रावधानित करता है। माल निर्माण की प्रक्रिया और वितरण श्रृंखला में विभिन्न चरणों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचता है। छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत आगत कर की छूट, विक्रय पर कर के आरोपण के साथ प्रत्येक स्तर पर गुणज कराधान के होने वाले प्रभाव को शून्य करता है। इस प्रकार सभी पंजीकृत व्यवसायी प्रत्येक स्तर पर मूल्य संवर्धन पर ही कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

2.2.1.1 पंजीकरण की आवश्यकता

एक व्यवसायी जो कम से कम एक लाख रुपये मूल्य का माल आयात करता है और जिसका आवर्त वर्ष के दौरान दो लाख रुपये से अधिक है, राज्य के भीतर कम से कम एक लाख रुपये मूल्य का माल निर्माण वर्ष के दौरान करता है और जिसका आवर्त दो लाख रुपये से अधिक होता है तथा उपरोक्त दोनों व्यवसायी के अतिरिक्त जिसका वार्षिक आवर्त 20 लाख रुपये से अधिक है, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है।

2.2.1.2 विवरणी का भरना

एक पंजीकृत व्यवसायी धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिए फार्म 17 में तिमाही ई-विवरणी (अप्रैल 2012 से अनिवार्य किया गया) के साथ भुगतान के समर्थन में चालान की सूची प्रदान करेगा यदि कर ई-भुगतान के अलावा भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यवसायी जिसका देय कर पचास हजार² प्रति तिमाही या प्रति वर्ष दो लाख³ रुपये से कम है तो तिमाही समाप्ति के 30 दिन के भीतर कर का भुगतान करेगा। आगे, सभी पंजीकृत व्यवसायी जिसका देय कर पचास हजार प्रति तिमाही या प्रति वर्ष दो लाख रुपये के ऊपर है मासिक कर का भुगतान करेगा। एक पंजीकृत व्यवसायी संबंधित वृत्त में आनलाइन विवरणी प्रस्तुत करेगा।

2.2.2 छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण

वैट संग्रहण और नियंत्रण प्रक्रियाएं स्व-मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है। वैट मूल्यांकन प्रणाली का समग्र उद्देश्य अधिकतम स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर को शामिल कर अधिकतम वैट राजस्व को बढ़ाना है तथा अपवंचन रोकना है। व्यापारी अपने

² पन्द्रह हजार रुपये 29.05.2012 तक

³ साठ हजार रुपये 29.05.2012 तक

दायित्व की गणना स्वयं करता है और देय कर का भुगतान करता है जबकि वाणिज्यिक कर विभाग स्व-कर निर्धारण की समीक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि निर्धारित देय कर कानूनी रूप से घोषित है और करदाता द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

वर्ष 2008-09 से विभाग द्वारा नियमित निर्धारण के स्थान पर कर धारा 21(2) के प्रावधान के अनुसार व्यवसायियों का स्व-कर निर्धारण किये जाते हैं। जहां एक पंजीकृत व्यवसायी ने वर्ष के सारे विवरणी भर दिये हो और/या उसी वर्ष के पुनरीक्षित विवरणी या किसी तिमाही के लिए और देय कर का भुगतान उस विवरणी के अनुसार या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार यदि कोई देय ब्याज सहित दिया गया हो और समय सीमा के भीतर धारा 41(2) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ प्रस्तुत कर दिया गया हो, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणी और पुनरीक्षित विवरणी मान्य किया गया हो तब उसके कर निर्धारण को अधिनियम की धारा 21(2) के अन्तर्गत मान्य किया जावेगा।

इसके अलावा कर निर्धारण की कमियों को दूर करने के लिए और व्यापारियों द्वारा भुगतान की गयी देय कर को कर निर्धारण अधिकारी विवरणी में दी गई जानकारी की अंकगणितीय सटीकता की समीक्षा करता है। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक व्यवसायी का विभाग⁴ द्वारा कर निर्धारण प्रत्येक वर्ष धारा 21 के अन्तर्गत किया जाता है। एक व्यवसायी का कर निर्धारण धारा 21(2) (स्व-कर निर्धारण) धारा 21(3) (चयन द्वारा कर निर्धारण), धारा 21(4) (नोटिस द्वारा कर निर्धारण), धारा 21(5) (सर्वोत्तम निर्णय द्वारा कर निर्धारण) के अंतर्गत किया जा सकता है।

2.2.2.1 चयन के द्वारा कर निर्धारण

व्यवसायियों का चयन धारा 21(3) के अंतर्गत उद्देश्य मानदंडों या जोखिम विश्लेषण के आधार पर आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कम्प्यूटर प्रणाली से चुने जाते हैं तथा निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाता है। जहां पर माल का क्रय या विक्रय कर के दायरे में आता है उसका कम निर्धारण अथवा गलत निर्धारण या निर्धारण में छूट गया हो, धारा 22 के तहत मूल निर्धारण को खोला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया निर्धारण किया जाता है। एक व्यापारी को फिर से मूल्यांकन करते समय, कर निर्धारण अधिकारी न केवल छूट गए आवर्त का निर्धारण करता है बल्कि कुल अनुमानित आवर्त पर निर्धारण करता है, यदि आवश्यक हुआ, तो सबसे अच्छे निर्णय के आधार पर आकलन करने के लिए उपाय कर सकता है।

अधिनियम की धारा 54 और 57 के तहत कर अपवंचन का पता लगाने और रोकथाम पर पुनः कर निर्धारण हेतु विशेष प्रावधान है।

2.2.3 संगठनात्मक संरचना

सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख है वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग के प्रमुख है। वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त वाणिज्यिक कर के अधीन कार्य करते हैं और उनकी सहायता चार अतिरिक्त आयुक्त (अति.आ.), 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) और 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए कार्य को करते हैं। वर्तमान में स्वीकृत पदों के विरुद्ध 8 उपायुक्त, 20 सहायक आयुक्त, 36 वाणिज्यिक कर अधिकारी,

⁴ प्रकरणों का कर निर्धारण उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाता है।

71 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और 90 वाणिज्यिक कर निरीक्षक कार्यरत हैं। राज्य पांच वाणिज्य कर संभागों में विभक्त है जिसके प्रमुख उपायुक्त हैं। इन संभागों में 30 वृत्त हैं, जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी होते हैं। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त में प्रकरणों के कर निर्धारण की शक्ति निहित होती है।

प्रत्येक अधिकारी प्रकरणों के निर्धारण/वापसी की स्वीकृति के लिए मौद्रिक सीमा के आधार पर उत्तरदायी है जो निम्न तालिका 2.2 में दिए गए हैं—

तालिका-2.2

स्वीकृत कर्ता अधिकारी	निर्धारित प्रकरणों की मौद्रिक सीमा	वापसी की स्वीकृति की मौद्रिक सीमा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	₹ एक करोड़ तक	निरंक
वाणिज्यिक कर अधिकारी	₹ एक करोड़ से ऊपर और ₹ पांच करोड़ तक	₹ पांच लाख तक
सहायक आयुक्त	₹ पांच करोड़ से ऊपर और ₹ 50 करोड़ तक	₹ पांच लाख से ऊपर और ₹ 10 लाख तक
उपायुक्त	₹ 50 करोड़ से ऊपर	₹ 10 लाख से ऊपर और ₹ 25 लाख तक
अतिरिक्त आयुक्त	प्रकरणों का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जाता।	₹ 25 लाख से ऊपर और ₹ एक करोड़ तक
आयुक्त		₹ एक करोड़ से ऊपर

उपरोक्त के अलावा, अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्रवर्तन शाखा (मुख्यालय) है। इसमें औचक निरीक्षण और कर अपवंचन उजागर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों रायपुर एवं बिलासपुर में पदस्थ उपायुक्त सहायता करते हैं।

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने एवं मूल्यांकन करने हेतु किया गया कि:

- वैट के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली राजस्व का रीसन रोकने के लिए पर्याप्त है एवं उसका विधिवत् रूप से पालन किया जा रहा है।
- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए छूट/रियायतें वैद्य घोषणा पत्र द्वारा समर्थित हैं।
- विभाग द्वारा कर विवरणी में दर्शाई गई जानकारी की वैधता और शुद्धता एवं कर की प्रभावी दर को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा आवश्यक होने पर उचित कार्यवाही की जा रही है।
- पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली विद्यमान है जिसका अनुपालन वैट के कर निर्धारण प्रणाली के तहत अधिकतम है।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

नीचे दिये गए अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों/अधिसूचनाओं का उपयोग लेखापरीक्षा के मापदंड हेतु किया गया है:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम):
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 (छ.ग.मू.सं.क. नियम)
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अधिनियम)
- केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957 (के.वि.क.नियम)

- विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियम, परिपत्र छूट संबंधी अधिसूचना और निर्देश।

2.2.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया

यह निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2015 से जून 2015 के मध्य किया गया था और 57 कार्यालयों में से 14 कार्यालयों (तीन⁵ उपायुक्त, छः⁶ सहायक आयुक्त एवं पाँच⁷ वाणिज्यिक कर अधिकारी) में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के मध्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया कर निर्धारण की समीक्षा की गई। यह 14 कार्यालयों को 57 कार्यालयों में से सरल यादृच्छिक नमूना के आधार पर चयन किया गया था। वाणिज्यिक कर अधिकारी-2, बिलासपुर के लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा आपत्ति अद्यतन कर शामिल किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा 14 कार्यालयों में 28,645 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया था जिसमें से 1,905 कर निर्धारण प्रकरणों की परीक्षण की गई।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं पद्धति पर चर्चा के लिए कोई अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। आनलाइन डेटा का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा लेखापरीक्षा दल को सिस्टम पासवर्ड और उपयोगकर्ता-आईडी भी प्रदाय नहीं किया गया। उपलब्ध भौतिक अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अपना कार्य किया गया। विभाग द्वारा निर्धारित की संख्या, जमा विवरण की संख्या, देय विवरण की संख्या जो जमा नहीं की गई तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के विभिन्न धाराओं द्वारा कर निर्धारण की जानकारी भी प्रदाय नहीं की गई। (अगस्त 2015)।

बहिर्गमन सम्मेलन 11 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उपलब्धियां निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। शासन की ओर से सचिव वाणिज्यिक कर और विभाग की ओर से आयुक्त ने प्रतिनिधित्व किया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान और अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक रूप से संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

2.2.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग के बाह्य संरचना द्वारा आवेद्यक जानकारी एवं अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने के सहयोग की अभिस्वीकृति करता है।

2.2.8 पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या एवं अपंजीकृत व्यवसायियों के सर्वेक्षण किया जाना

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान पंजीकृत व्यवसायियों की वृद्धि का प्रतिशत निम्न तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

⁵ संभाग-I बिलासपुर, दुर्ग एवं संभाग-II, रायपुर

⁶ संभाग-I बिलासपुर, सहायक आयुक्त-3 दुर्ग, संभाग-I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी), संभाग-II, रायपुर (श्री दीपक गिरि), रायगढ़ एवं राजनन्दगाँव

⁷ वाणिज्यिक कर अधिकारी-2 बिलासपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी-3 दुर्ग, वाणिज्यिक कर अधिकारी-3 रायपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी-6 रायपुर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी-9 रायपुर

तालिका 2.3

वर्ष	पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत व्यवसायियों के वृद्धि के प्रतिशत
2010-11	50,446	—
2011-12	57,030	13.05
2012-13	65,719	15.24
2013-14	75,076	14.24
2014-15	86,966	15.84

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है की विगत पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यवसायियों के वृद्धि का प्रतिशत 13.05 से 15.84 के मध्य थी।

सर्वेक्षण के संबंध में विभाग ने उत्तर दिया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि विभाग द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों को सर्वेक्षण (अधिनियम की धारा 57 ए के तहत) के माध्यम से कर के दायरे में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि (अगस्त 2015) भविष्य में सर्वेक्षण कराया जाएगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग कर निर्धारण प्राधिकारियों को नये व्यवसायियों को कर के दायरे में लाने के लिए छत्तीसगढ़ वैट कर अधिनियम धारा 57(क) के अंतर्गत अपंजीकृत व्यवसायियों का सावधिक सर्वेक्षण का अनुदेश जारी करने का विचार करें।

2.2.9 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न तालिका 2.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ (वा.प्रा.)			अंतर आधिक्य (+)/कमी (-)/अंतर का प्रतिशत	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ
		मूल्य संवर्धित कर	केन्द्रीय विक्रय कर	योग		
2010-11	4524.13	4094.96	745.83	4840.79	(+) 316.66/7.00	—
2011-12	6000.00	4886.25	1120.00	6006.25	(+) 6.25/0.10	24.08
2012-13	7310.20	6072.77	855.88	6928.65	(-) 381.55/5.22	15.36
2013-14	8436.00	7001.34	928.17	7929.51	(-) 506.49/6.00	14.45
2014-15	9800.00	7495.75	932.36	8428.11	(-) 1371.89/14.00	6.29

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त-लेखे)

उपरोक्त तालिका 2.4 में देखा जा सकता कि जहां राजस्व का हर वर्ष निरंतर वृद्धि था परन्तु पंजीकृत व्यवसायियों के संख्या में वृद्धि तथा कर के दर में वृद्धि के बावजूद पिछले पाँच वर्षों में राजस्व वृद्धि के प्रतिशत में झुकाव की प्रवृत्ति थी तथा गिरावट 24 से 6 प्रतिशत की थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि (अगस्त 2015) कर की दर 1 जनवरी 2010 से वृद्धि की गई थी अतः 2011-12 में राजस्व की वृद्धि की दर 24.08 प्रतिशत थी जो की असंगत वृद्धि थी। पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि का राजस्व के साथ कोई सीधा आनुपातिक संबंध नहीं है; यह विभिन्न वृहद आर्थिक परिस्थितियों पर

निर्भर करता है जिसके लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि ही वास्तविक सूचक है। उक्त अवधि में औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत थी जबकि औसत राजस्व की वृद्धि 17.9 प्रतिशत थी जो की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में दो प्रतिशत अधिक थी।

2.2.10 राजस्व बकाया

31 मार्च 2015 में मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में बकाया राजस्व राशि ₹ 424.52 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 165.96 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थी जो की तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	राजस्व के शीर्ष	31 मार्च 2015 में कुल बकाया राशि	31 मार्च 2015 में पाँच वर्षों से अधिक बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक बकाया राशि की स्थिति	
				अवसूलनीय राशि	बकाया राशि जिसमें वसूली प्रगति पर है
1.	मूल्य संवर्धित कर	328.48	102.45	40.83	61.62
2.	केन्द्रीय विक्रय कर	96.04	63.51	37.81	25.70
योग		424.52	165.96	78.64	87.32

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

विभाग द्वारा बकाया प्रकरणों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में जैसे अदालती प्रकरणों, अपील प्रकरणों इत्यादि प्रदान नहीं किया गया। वर्गीकरण के बिना लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास का आकलन नहीं कर पाया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि पाँच वर्ष से अधिक बकाया राशि तुरंत वसूली योग्य नहीं है। विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि पिछले पाँच वर्षों से मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में बकाया राजस्व के वर्गीकरण के संग्रह के लिए क्षेत्रीय संरचना से प्रयास किए जा रहे हैं और उस की प्राप्ति के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.11 वापसी

अवधि 2010-11 से 2014-15 तक के लिए वापसी के प्रकरणों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किए जाने पर, विभाग द्वारा अवधि 2012-13 से 2014-15 से संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया गया जो की तालिका 2.6 में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.6

(राशि ₹ में)

वर्ष	सम्मिलित प्रकरणों की संख्या		स्वीकृत वापसी की राशि	
	मूल्य संवर्धित कर	केन्द्रीय विक्रय कर	मूल्य संवर्धित कर	केन्द्रीय विक्रय कर
2012-13	381	8	13,16,22,735	11,59,708
2013-14	2,520	74	74,08,94,028	87,09,668
2014-15	2,683	105	15,13,69,92,861	3,49,60,826

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में देखा गया कि व्यवसायियों द्वारा किया गया ज्यादातर वापसी का दावा आगे बढ़ाया गया आगत कर से संबंधित था न कि चालू वर्ष में अधिक कर के भुगतान की।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के वापसी प्रकरणों के संबंध में जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्ति के बाद प्रदान किया जाएगा।

2.2.12 ऑनलाइन प्रणाली की अविश्वसनीयता

विभागीय गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए जून 2005 में सीजीकोमटेक्स सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया था। यह त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर पर आधारित है और शुरू में 11 मॉड्यूल था। आगे, पंजीकृत व्यवसायियों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की सुविधा के लिए ई-चालान, ई-पंजीकरण एवं ई-रिटर्न मॉड्यूल क्रमशः वर्ष 2006, 2011 एवं 2012 से शुरू किया गया था।

मॉड्यूल द्वारा उत्पन्न डेटा अवास्तविक और अविश्वसनीय है जैसे कि सीजीकोमटेक्स के मॉड्यूल के अंतर्गत धारा 21(2) के तहत राजस्व प्राप्ति, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2010–11 से 2012–13 में अधिक थे जो कि तालिका 2.7 से स्पष्ट है।

तालिका 2.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	धारा 21(2) के अंतर्गत निर्धारण की संख्या	छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्ति	सीजीकोमटेक्स मॉड्यूल के अनुसार धारा 21(2) के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति
2010–11	19,637	4,094.96	6,424.19
2011–12	42,157	4,886.25	6,655.05
2012–13	44,797	6,072.77	7,089.53
2013–14	15,380	7,001.34	3,894.32
2014–15	2,025	7,495.75	17.50

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि कोषालय निदेशालय के ई-चालन मॉड्यूल वाणिज्यिक कर विभाग के सॉफ्टवेयर के साथ वास्तविक समय के आधार पर आपस में जुड़े नहीं है और केवल एक "दृश्य विकल्प" वर्तमान में विभाग के साथ मौजूद है एवं विभाग द्वारा दोनों विभागों के सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए कदम उठाएंगे।

2.2.13 छ.ग.मू.सं. कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर निर्धारण

विभाग ने अवधि 2010–11 से 2014–15 के मध्य कर निर्धारित होने वालों व्यवसायियों की संख्या की जानकारी प्रदान नहीं की गई। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 14 चयनित कार्यालयों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की। पूरे राज्य से संबंधित डेटा के अभाव में, हमने चयनित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया है।

14 चयनित कार्यालयों में कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल 28,645 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया। जिनमें से 9,140 प्रकरणों का धारा 21(2), 434 प्रकरणों का धारा 21(3), 177 प्रकरणों का धारा 21(4) एवं 18,894 प्रकरणों का धारा 22(5) के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया। स्व-कर निर्धारण और नियमित कर निर्धारण (धारा 21(5)) के अंतर्गत प्रकरणों का कर निर्धारण प्रतिशत क्रमशः 32 एवं

66 था। यह एक संकेत है की स्व-कर निर्धारण जो प्रकरणों के कर निर्धारण का प्रमुख रीति है, बहुत प्रभावी नहीं है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2015) की व्यवसायियों को स्व-कर निर्धारण हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान चलाये गए एवं कर निर्धारण हेतु समय-सीमा में भी वृद्धि की गयी।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

2.2.14 कर निर्धारण के लिए समय सीमा का अत्यधिक विस्तार

शासन ने 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के लिए स्व कर निर्धारण के लिए समय सीमा सात से 48 माह तक बढ़ा दी। इसी तरह 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के लिए अन्य धाराओं के तहत कर निर्धारण के लिए समय सीमा 21 से 31 माह तक बढ़ा दी गयी।

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी जिसने किसी वर्ष के लिए समस्त विवरणीयां या वर्ष के किसी अवधि के लिए पुनरीक्षित विवरणी संदत्त कर चुका हो और विवरणीयों और वार्षिक पत्रक के अनुसार कर की सम्पूर्ण राशि और ब्याज यदि कोई हो, जमा कर दिया हो और संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष के समाप्ति के आठ महीने के भीतर जमा कर देता है तक उसका स्व-कर निर्धारण मान लिया जायेगा। पुनः धारा 21(7) (i) सह पठित धारा 21(4)(अ) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी का कर-निर्धारण (स्व-कर निर्धारण को छोड़कर) जिस वर्ष का प्रकरण है, उस वर्ष की समाप्ति के दो कलेण्डर वर्ष की अवधि के अंदर कर लिया जावेगा।

शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के परीक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कर निर्धारणों की अंतिम तारीख बहुत सारे अधिसूचनाओं के माध्यम से बढ़ाया गया। यद्यपि एक विशेष वर्ष के कर निर्धारण के लिए पर्याप्त समय (दो वर्ष) प्रदाय किया गया। आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि कर निर्धारण की तिथि चैम्बर ऑफ कामर्स के अनुरोध पर बढ़ाया गया। अंतिम तिथियों का वर्षवार विवरण तालिका 2.8 में दर्शित है:

तालिका 2.8

वित्तीय वर्ष	धारा 21 (2) के तहत निर्धारण			अन्य धाराओं के तहत कर निर्धारण		
	कर निर्धारण की वास्तविक अंतिम तिथि	अधिसूचना के द्वारा बढ़ाई गई तिथि	कर निर्धारण हेतु समय विस्तार (माह)	कर निर्धारण की वास्तविक अंतिम तिथि	अधिसूचना के द्वारा बढ़ाई गई तिथि	कर निर्धारण हेतु समय विस्तार (माह)
2008-09	30.11.2009	15.12.2012	37 माह	31.12.2011	30.09.2013	21 माह
2009-10	30.11.2010	30.11.2014	48 माह	31.12.2012	31.07.2015	31 माह
2010-11	30.11.2011	30.11.2014	36 माह	31.12.2013	30.09.2015	21 माह
2011-12	30.11.2012	31.05.2015	30 माह	31.12.2014	30.03.2016	15 माह
2012-13	30.11.2013	30.06.2015	19 माह	31.12.2015	—	—
2013-14	30.11.2014	30.06.2015	7 माह	31.12.2016	—	—

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक की प्रकरणों के धारा 21 (2) के अंतर्गत कर निर्धारण करने हेतु अवधि सात से 48 माह तक बढ़ाई गई। इसी तरह, वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के प्रकरणों का कर निर्धारण करने हेतु अवधि 21 से 31 माह तक बढ़ाई गई। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10

से 2010-11 तक के कर निर्धारण की अंतिम तिथि जून 2015 तक भी समाप्त नहीं हुई थी। कर निर्धारण प्रकरणों का निराकरण में अत्याधिक वृद्धि के फलस्वरूप कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव हो जायेगा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि अधिक व्यवसायियों को स्व कर निर्धारण चुनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कर निर्धारण समय में वृद्धि की गई। कर्मचारियों एवं कर सलाहकारों की कमी भी इसके लिए जिम्मेवार रही क्योंकि वे ऑनलाइन रिटर्न भरने में निपूण नहीं थे। आगे प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया कि प्रकरणों का कर निर्धारण का निपटान विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर करने एवं बकाया प्रकरणों का जमाव रोकने हेतु एक प्रणाली विकसित की जावेगी।

2.2.15 धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु चयन

विभाग ने धारा 21(3) के अंतर्गत 19,637 में से 2,275 व्यवसायियों 42,157 में से 1,661 और 44,797 में से 273 व्यवसायियों का चयन किया जिन्होंने वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान धारा 21(2) के तहत स्व कर निर्धारण अपनाया था। इन वर्षों में जांच के लिए चयन का प्रतिशत 0.6 से 11.59 के मध्य रहा।

छ.ग.मू.सं. कर अधिनियम की धारा 21(3) उल्लेखित करता है कि आयुक्त उतनी संख्या में ऐसे व्यापारियों का पुनः निर्धारण के लिए चयन करेगा जैसा कि वह उचित समझे जिनका स्व कर निर्धारण धारा 21(2) के तहत किया गया हो और ऐसे चयन वित्तीय वर्ष के समाप्ति के एक कलैण्डर वर्ष के भीतर किया जाएगा।

धारा 21(2) के तहत स्व कर निर्धारण अपनाने वाले व्यवसायियों की संख्या, चयन के लिए निर्धारित मापदंड (जैसा कि विभाग के वेबसाइट पर वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए उपलब्ध था और आयुक्त द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक चयन किये गये प्रकरणों की संख्या निम्न तालिका 2.9 में वर्णित है:-

तालिका 2.9

वित्तीय वर्ष	धारा 21(2) के अंतर्गत स्व कर निर्धारण अपनाने वाले व्यवसायियों की संख्या	धारा 21(3) के अंतर्गत चयन का मापदंड	धारा 21(3) के अंतर्गत चयनित प्रकरणों की संख्या (चयन की तिथि)
2008-09	3059	एक भी प्रकरण चयनित नहीं	चयन नहीं किया गया
2009-10	14923	एक भी प्रकरण चयनित नहीं	चयन नहीं किया गया
2010-11	19637	(i) सकल आवर्त ₹ 10 करोड़ से अधिक (ii) सकल आवर्त ₹ 60 लाख से 10 करोड़ (iii) आगत कर ₹ 5 लाख से अधिक (iv) अंतरराज्यीय विक्रय सकल आवर्त के 25 प्रतिशत से अधिक (v) प्रतिदाय ₹ 25 हजार से अधिक	2275 (21.12.2012)
2011-12	42157	उपलब्ध नहीं	1661 (15.10.2013)
2012-13	44797	(i) पिछले वर्ष की तुलना में कर योग्य आवर्त में 10 प्रतिशत से कम की वृद्धि (ii) कर मुक्त माल की बिक्री में पिछले वर्ष के सकल आवर्त की तुलना में वृद्धि (20 प्रतिशत से अधिक) (iii) सकल आवर्त कुल क्रय के 80 प्रतिशत से कम (iv) माल अंतरण आगत कर दावा अनुपात (v) बिक्री के तहत कम दर (5 प्रतिशत) में पूर्व वर्ष की तुलना में कर योग्य आवर्त की वृद्धि 20 प्रतिशत से अधिक (vi) आगत कर का दावा में देय कर की तुलना में 20 प्रतिशत की अधिक की वृद्धि	273 (31.12.2014)

	(vii) सकल आवर्त एवं जमा किए गए कर में 20 प्रतिशत से अधिक का अंतर	
--	--	--

उपरोक्त तालिका 2.9 से यह देखा जा सकता है कि आयुक्त ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 में धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का भी चयन नहीं किया जो यह आश्वासन प्रदाय करता है कि व्यवसायियों से प्राप्त राजस्व ठीक स्तर तक है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए क्रमशः 2275, 1661 और 273 व्यवसायियों को निर्धारित मापदंड के तहत जांच हेतु चयन किया गया था जो कि स्व कर निर्धारण अपनाने वाले पंजीकृत व्यवसायियों का क्रमशः 11.59, 3.94 और 0.6 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के लिए व्यवसायियों का चयन कमतर था क्योंकि स्व कर निर्धारण प्रकरणों का केवल 0.6 प्रतिशत ही जांच के लिए चयनित किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रत्येक वर्ष धारा 21(3) के तहत प्रकरणों के चयन का जोखिम मापदंड में बदलाव किय जावेगा और धारा 21(3) के अंतर्गत अधिक प्रकरणों को चयनित करने के लिए आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग राजस्व के रिसाव रोकने हेतु कर संपरीक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में स्व कर निर्धारण प्रकरणों का चयन पर विचार करें

2.2.16 ₹ एक लाख से कम की क्रय के लिए आगत कर सत्यापन तंत्र का अस्तित्व में न होना

शासन ने प्रपत्र 18 (वार्षिक प्रपत्र) में संशोधन किया और निर्धारित किया कि ₹ एक लाख से अधिक का सभी क्रय/विक्रय की सूची को प्रस्तुत किया जाए। इसके अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसायियों को ₹ एक लाख तक के क्रय/विक्रय की सूची प्रस्तुत करने से छूट मिल गयी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ एक लाख तक के क्रय पर आगत कर के सत्यापन तंत्र का अभाव फलित हुआ।

यद्यपि छत्तीसगढ़ में वैट की शुरुआत से एक व्यवसायी को वर्ष में अन्य व्यवसायी से सभी क्रयों/विक्रयों की सूची को संव्यवहार के मूल्य की परवाह किए बगैर प्रपत्र 18 के साथ जमा करना आवश्यक था। प्रपत्र 18 में संशोधन किया गया (मार्च 2008) और संव्यवहार की सीमा ₹ एक लाख को शामिल किया गया।

आगत कर सत्यापन तंत्र के अस्तित्व के बारे में एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 2015) कि विभाग का आगत कर सत्यापन तंत्र कम्प्यूटरीकृत है। प्रपत्र 18 की आवश्यकता और विभाग के उत्तर के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विभाग सिर्फ उन्ही आगत कर का सत्यापन कर रहा था जिसमें एक व्यवसायी से एक वर्ष में ₹ एक लाख से अधिक क्रय हुआ हो लेकिन ₹ एक लाख से कम क्रय का नहीं।

विभाग द्वारा ₹ एक लाख का कम क्रय का सत्यापन नहीं होना, व्यवसायियों को आगत कर में कपटपूर्ण दावा करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार, विभाग में प्रचलित प्रणाली आगत कर के सभी प्रकरणों के सत्यापन के लिए सक्षम नहीं है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि वैसे व्यवसायी जो राज्य के अंदर ₹ एक लाख से कम का क्रय करते हैं कि सूची जमा करने के संबंध में उपयुक्त संशोधन छ.ग.मू.सं.क. नियम में किए जाएंगे।

2.2.17 निरस्त पंजीयन के सापेक्ष में अंतिम स्कंध के उपर आगत कर की वापसी

पाँच वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने, निरस्तीकृत व्यवसायियों के अंतिम स्कंध और उस पर आगत कर वापसी यदि कोई हो, के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जो आगत कर के वापसी की निगरानी में कमी को दर्शाता है।

छ.ग.मू.सं. कर अधिनियम 2005 की धारा 13(5) (अ) (iii) के अनुसार, जहां किसी पंजीकृत व्यवसायी जिसने उपधारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई माल क्रय किया है और उक्त खण्डों के अधीन उक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है, का पंजीयन प्रमाण-पत्र धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यवसायी उस तारीख को जब पंजीयन प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण प्रभावशील होता है, उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन आगत कर के रिबेट के रूप में दावा की गई रकम चुकायेगा।

पाँच वाणिज्यिक कर अधिकारियों⁸ के कार्यालयों के अभिलेखों की मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य नमूना जांच किये जाने पर हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कुल 5600 पंजीयन निरस्त किये गये थे। वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने वैसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया और आगत कर के वापसी यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के उपर आगत कर की वापसी का निगरानी तंत्र विभाग में कमजोर है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि मामले की पुनः जांच की जावेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग निरस्त पंजीयनों के संबंध में अंतिम स्कंध के उपर आगत कर की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए आगत कर निगरानी तंत्र विकसित करें।

2.2.18 कर के प्रशमन में संविदा के गलत वर्गीकरण से राजस्व की कम प्राप्ति

₹ 22.67 करोड़ के संविदा के गलत वर्गीकरण के कारण कर का प्रशमन कम दर अनुप्रयोग से हुआ। परिणामस्वरूप ₹ 21.82 लाख के कर का कम करारोपण हुआ।

तीन कर निर्धारण अधिकारियों⁹ के नमूना जांच (मई 2015 से जून 2015 तक) में हमने पाया कि संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों ने चार व्यवसायियों के छः प्रकरणों में गलत वर्गीकरण के कारण कम दर से कर का करारोपण किया जो कि छ.ग. मूल्य संवर्धित कर नियम, 2005 के नियम आठ का उल्लंघन है जैसा कि नीचे तालिका 2.10 में दर्शाया गया है:

⁸ वा.क.अ.-2 बिलासपुर, वा.क.अ.-3 दुर्ग, वा.क.अ.-3 रायपुर, वा.क.अ.-6 रायपुर एवं वा.क.अ.-9 रायपुर

⁹ उ.अ., संभाग-I, बिलासपुर, वा.क.आ.-3 दुर्ग एवं वा.क.आ.-3 रायपुर

तालिका 2.10

इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह एवं वर्ष)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
वा. कर अधिकारी, वृत्त-3, दुर्ग	2012-13 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	एक व्यवसायी द्वारा क्लिंकराईजेशन/ पिशाई प्लांट में क्रशर एवं लाईमस्टोन कन्वेयर बेल्ट एवं क्रशर के निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹ 18.40 करोड़ है हेतु प्रशमन का चयन किया गया है। व्यवसायी द्वारा दो प्रतिशत की दर से कर जमा करवाया गया जिसे कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा सिविल निर्माण मानते हुए स्वीकार किया गया। जबकि संयंत्र तथा मशीनरी का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन के लिए कर की वास्तविक दर तीन/चार प्रतिशत थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.94 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।
संभागीय उपायुक्त संभाग 1 बिलासपुर	2009-10 (मार्च 2014)	एक व्यवसायी द्वारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, सिपत (चरण-2) जिसका संविदा मूल्य ₹ 4.06 करोड़ था, में राख जल पुर्नपरिसंचरना तंत्र के स्थापना, परीक्षण और निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, के लिए प्रशमन का चयन किया गया था। कर-निर्धारण अधिकारी ने इसे सिविल संविदा निर्माण मानते हुए दो प्रतिशत की दर से करारोपण किया। जबकि इसे संयंत्र तथा मशीनरी का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन के तहत 3 प्रतिशत की दर से करारोपण करना था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.06 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।
वा. कर अधिकारी, वृत्त 3, रायपुर	2014-15 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	एक व्यापारी ने वीट्रीफाइड टाइल्स उपलब्ध कराने और लगाने हेतु ₹ 18.14 लाख मूल्य का अनुबंध किया था जिसके लिए तीन प्रकरणों के प्रशमन का चयन किया गया था। कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सिविल निर्माण मानते हुए एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि इसे "अन्य सभी संविदाएं जो क्रमांक 1 से तीन में विनिर्दिष्ट न हों", के अंतर्गत पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72,523 का कम करारोपण हुआ है।
	2014-15 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	एक व्यवसायी द्वारा भागीरथी योजना के तहत पाइप की फिटिंग हेतु ₹ 2.19 लाख का अनुबंध किया गया जिसके लिए प्रशमन का चयन किया गया था। कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सिविल निर्माण मानते हुए एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि इसे "अन्य सभी संविदाएं, जो क्रमांक 1 से तीन में विनिर्दिष्ट न हों", के अंतर्गत पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,752 का कम करारोपण हुआ है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि अभिलेख सत्यापन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.2.19 गलत दर अनुप्रयोग के कारण मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण

निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 136.05 करोड़ के आवर्त पर गलत दर से करारोपण किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 9.16 करोड़ का अन/अवरोपण हुआ।

छ.ग. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम कि धारा 8 वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का आरोपण को प्रावधानित करता है। आगे, अनुसूची II भाग IV प्रविष्टी क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I (1 प्रतिशत) भाग II (4 प्रतिशत जनवरी 2010 तक एवं 5 प्रतिशत तत्पश्चात्) और भाग III (25 प्रतिशत) में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत जनवरी 2010 तक एवं 14 प्रतिशत तत्पश्चात् है।

ग्यारह¹⁰ कर निर्धारण अधिकारियों के कुल 5951 व्यवसायियों में से 1430 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान हमने पाया (मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य) कि अगस्त 2011 और दिसंबर 2014 के मध्य कर निर्धारण के निराकरण के दौरान, कर निर्धारण अधिकारियों ने माल के गलत वर्गीकरण के कारण 26 प्रकरणों में कर के न्यून दर प्रयोग करने से ₹ 9.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ, जो **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है। आरोपणीय दर एवं आरोपित दर का अंतर चार से 14 प्रतिशत के बीच था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (अगस्त 2015) कि एक प्रकरण में ₹ 2.67 लाख का मांग पत्र जारी किया जा चुका है, जिसमें से ₹ 1.40 लाख वसूली हो चुका है। आगे एक प्रकरण में शासन ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयुक्त वाणिज्यिक कर तमिलनाडु एवं अन्य तथा मेसर्स चित्रहार ट्रेडर्स के प्रकरण में (मार्च 2011) यह निर्णित किया कि संयंत्र और मशीनरी के स्क्रेप पर कर कि दर चार प्रतिशत होगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, मेसर्स चित्रहार ट्रेडर्स में दिया गया न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में उपयुक्त नहीं है क्योंकि तमिलनाडु बिक्री कर अधिनियम में स्क्रेप की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रविष्टियां हैं। परन्तु, छ.ग. वा. कर अधिनियम की अनुसूची में केवल लोहा एवं स्टील के स्क्रेप के लिए ही प्रविष्टिया है। चूंकि संयंत्र और मशीनरी, धातु और मिश्र धातु के विभिन्न प्रकार के होते हैं, यह लोहे के स्क्रेप के तहत आवृत्त नहीं होता जैसा कि आयुक्त वाणिज्यिक कर ने मेसर्स बीरगांव स्टील एवं मिनरल्स कंपनी रायपुर के प्रकरण (2005) में स्पष्ट किया है, अतः इसे अवशिष्ट माल मानते हुए 12.5 प्रतिशत के दर से करारोपित किया जाना था। शेष प्रकरणों के बारे में शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.2.20 आगत कर का गलत/अधिक छूट प्रदाय करना

छः व्यवसायियों को गलत गणना, अग्राह्य माल पर गलत छूट के कारण ₹ 1.37 कराड़ के बदले ₹ 1.82 करोड़ का आगत कर प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.89 लाख का गलत/अधिक आगत कर निर्धारण अधिकारी ने प्रदान किया।

छः कर निर्धारण अधिकारियों के 2766 प्रकरणों में लेखा परीक्षा के दौरान मई 2015 से जून 2015 के मध्य 874 प्रकरणों की जांच की गयी जिसमें हमने पाया कि छः प्रकरणों में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी ने गलत गणना एवं अग्राह्य माल पर छूट के कारण अधिक/गलत आगत कर स्वीकार किया, जैसा कि नीचे **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11

स. क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (निर्धारण का माह एवं वर्ष)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1	सहा. आयुक्त रायगढ़	2007-08 (दिसम्बर 2014)	कर निर्धारण अधिकारी ने गलत गणना कर ₹ 12.35 लाख के राज्य के भीतर क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 4.75 लाख का आगत कर प्रदान किया जबकि वास्तविक आगत कर ₹ 47,482 होता है। इस प्रकार से गलत गणना के कारण ₹ 4.27 लाख का अधिक आगत कर प्रदान किया गया।
2	सहा. आयुक्त-1 संभाग- II रायपुर	2009-10 (दिसम्बर 2012)	ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायी ने वर्ष में ₹ 53.00 लाख का संयंत्र और मशीनरी क्रय किया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 2.12 लाख का आगत कर स्वीकार्य था जबकि व्यवसायी द्वारा

¹⁰ स.आ-2, संभाग-1, बिलासपुर, वा.क.अ.-2, बिलासपुर, स.आ.-3, दुर्ग, स.आ.-1, संभाग-2, रायपुर, स.आ., रायगढ़, स.आ., राजनांदगांव, वा.क.अ.-3, रायपुर, वा.क.अ.-9, रायपुर, स.आ., दुर्ग, स.आ., संभाग-2, रायपुर और वा.क.अ.-3, दुर्ग।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

			₹ 11.49 लाख का आगत कर का दावा किया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार्य किय गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.37 लाख का अधिक आगत कर प्रदान किया गया।
3	वा. कर अधिकारी वृत्त-09 रायपुर	2009-10 (मई 2013)	व्यवसायी लोहे एवं स्टील का क्रय-विक्रय करता है। कर निर्धारण वर्ष 2008-09 में ₹ 1.69 लाख का अधिक आगत कर अगले वर्ष के लिए फॉरवर्ड किया गया था परन्तु व्यवसायी ने ₹ 3.93 लाख के पिछले वर्ष के आगत कर का दावा किया इस प्रकार ₹ 2.23 लाख का अधिक आगत कर अस्वीकार किया जाना चाहिए था।
4	सहायक आयुक्त-1 संभाग-I, रायपुर	2009-10 (अगस्त 2012)	व्यवसायी ने गलत गणना की और ₹ 9.02 करोड़ के क्रय पर ₹ 1.23 करोड़ के आगत कर का दावा किया जबकि ₹ 1.15 करोड़ का आगत कर ही स्वीकार्य था। कर निर्धारण अधिकारी ने गणना में त्रुटि को पकड़ नहीं सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.90 लाख के अधिक आगत कर प्रदान किया गया।
5	वा. कर अधिकारी वृत्त-6 रायपुर	2008-09 (जून 2013)	कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 4.58 लाख के क्रय पर ₹ 57,275 का आगत कर स्वीकार किया जबकि बीजक पत्रों में वैट की राशि अलग से नहीं दर्शाई गयी थी जो कि छ.ग. वा. कर नियम, 2006 के नियम 9 का उल्लंघन है जिसमें वर्णित है कि आगत कर प्रदान/स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि बीजक पत्रों या क्रय बीजकों में संग्रहित कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई गयी हो।
6	संभागीय उपायुक्त, दुर्ग	2008-09 (अगस्त 2012 एवं दिसम्बर 2013)	विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2012 के अनुसार माल में संपत्ति के अंतरण चाहे वो उसी रूप में हो या किसी अन्य रूप में, कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल बिक्री के तहत सम्मिलित किया जाता है और आगत कर के लिए पात्र है जबकि अन्य माल जैसे मशीनरी/उपकरण, डीजल, स्पेयर पार्ट्स इत्यादि जो कार्य अनुबंध में प्रयुक्त होते हैं आगत कर के पात्र नहीं हैं। व्यवसायी ने ₹ 2.63 करोड़ का टिप्पर राज्य के भीतर क्रय किया एवं ₹ 20.54 लाख के आगत कर का दावा किया जिसे सहायक आयुक्त द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकरण ने इसे पूंजीगत माल मानते हुए आगत कर मंजूर किया परिणामस्वरूप ₹ 20.54 लाख के आगत कर का गलत छूट प्रदान किया गया।

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि संबंधित कर निर्धारण ने ₹ 44.89 का गलत/अधिक आगत कर प्रदाय किया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2015 से जून 2015), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि एक प्रकरण में ₹ 20.54 का मांग पत्र जारी किया जा चुका है। शेष प्रकरणों में शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरणों को धारा 22(1) में पुनः खोला जाएगा।

2.2.21 क्रेडिट नोट पर प्राप्त छूट पर कर का अनारोपण

व्यवसायी द्वारा क्रेडिट नोट पर प्राप्त छूट ₹ 25.19 लाख को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल विक्रय मूल्य में शामिल नहीं करने से ₹ 3.53 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

छ.ग.मू.स.क. अधिनियम की धारा 2 (न) के अनुसार विक्रय मूल्य से अभिप्रेत है कि किसी माल के विक्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी को देय ऐसी रकम। आगे आयुक्त, वाणिज्यिक कर रायपुर के परिपत्र क्रमांक/वाणिज्यिक कर अधिकारी/टेक./2013/19/2043 दिनांक 07.09.2013 के अनुसार व्यवसायी द्वारा क्रेडिट नोट के माध्यम से प्राप्त राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी यदि व्यवसायी विभाग द्वारा वांछित घोषणापत्र जमा कर देता है। वांछित घोषणापत्र जमा नहीं करने कि स्थिति में प्राप्त छूट को विक्रय मूल्य में शामिल किया जाएगा। आगे, अनुसूची II , भाग IV के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची के भाग I, II एवं III में सम्मिलित नहीं है,

पर 2011-12 में कर की दर 14 प्रतिशत है। अतः टायर एवं पेंट्स 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3 रायपुर के 532 कर निर्धारण प्रकरणों में लेखा परीक्षा के दौरान 234 प्रकरणों की जांच की गयी (मई 2015) जिसमें टायर एवं पेंट्स से संबंधित दो प्रकरणों में व्यापारी ने ₹ 25.91 लाख की छूट क्रेडिट नोट के माध्यम से 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त की। पुनः ट्रेडिंग एवं प्रॉफिट एण्ड लॉस लेखे से प्रतीत होता है की वर्ष के दौरान क्रय के उपर प्राप्त छूट को विक्रय मूल्य में नहीं जोड़ा गया परन्तु राज्य के भीतर कुल क्रय के उपर आगत कर की छूट प्राप्त कर ली गयी।

चुकी व्यवसायी ने सितम्बर 2013 में जारी परिपत्र के अनुसार अपेक्षित घोषणापत्र पेश नहीं किया, बिक्री मूल्य के ऊपर प्राप्त छूट को सकल विक्रय में शामिल किया जाना था। धारा 2(न) के प्रावधानों का परिपालन नहीं किए जाने से छूट में प्राप्त राशि ₹ 25.19 लाख को विक्रय राशि में शामिल नहीं करने के फलस्वरूप कर ₹ 3.53 लाख का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2015), शासन ने बताया की (अगस्त 2015) व्यवसायी प्राप्त क्रेडिट नोट एक प्रकार का छूट है जो विक्रय का भाग नहीं है। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त प्रकरणों में व्यवसायियों ने विनिर्दिष्ट घोषणापत्र जमा नहीं किया फलस्वरूप प्राप्त छूट विक्रय राशि का भाग होना चाहिए।

2.2.22 आवर्त मूल्य से गलत कमी

व्यवसायी ने फेब्रिकेशन कार्य में श्रमिक व्यय के लिए ₹ 56.33 लाख के छूट का दावा किया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्य किए जाने से ₹ 7.04 लाख के वैट का कम आरोपण हुआ।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-3, रायपुर के 532 कर निर्धारण प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान 234 प्रकरणों की जांच कि गयी (मई एवं जून 2015 के मध्य) जिसमें पाया गया कि फेब्रिकेशन कार्य से संबंधित एक व्यापारी ने सकल विक्रय ₹ 65.57 लाख दर्शाया है जिसमें से ₹ 56.33 लाख श्रम व्यय के लिए घटाकर शेष ₹ 6.93 लाख के उपर 12.5 प्रतिशत कि दर से ₹ 86,634 कर चुकाया गया। आगे, प्रवेश कर के लिए प्रेषित प्रारूप 8 कि जांच से ज्ञात हुआ कि व्यवसायी ने ₹ 21.18 लाख के कच्चे माल के उपर एक प्रतिशत कि दर से प्रवेश कर चुकाया है जो दर्शाता है कि व्यवसायी ने वर्ष के दौरान कच्चे माल का क्रय एवं उपयोग, फेब्रिकेशन माल के निर्माण पर किया एवं व्यापार के दौरान उसे बेचा।

चूंकि व्यवसायी ने न तो संकर्म संविदा न ही जॉब कार्य किया है अतः सकल विक्रय मूल्य में ₹ 56.33 लाख के श्रम व्यय कि कमी गलत है जिसे सकल विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए करारोपण किया जाना चाहिए था। उपरोक्त माल अनुसूची I एवं अनुसूची II के भाग 1, 2 एवं 3 में शामिल नहीं है अतः वर्ष 2008-09 के लिए 12.5 प्रतिशत कि दर से करारोपणीय था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.04 लाख के कर का अवरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2015 से जून 2015 के मध्य), शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि जांच के उपरान्त कार्यवाही कि जावेगी।

2.2.23 आवर्त का छिपाव

कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 21.47 लाख छिपाए गये विक्रय पर कर एवं शास्ति आरोपित नहीं कि जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.67 लाख का कर एवं शास्ति का अनारोपण हुआ।

कार्यालय स.आ., वाणिज्यिक कर-3, दुर्ग के 74 में से 74 व्यवसायियों के कर-निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच (मई 2015) के दौरान हमने पाया कि, दो व्यवसायी जो “थोक माल की क्रय-विक्रय” एवं “फेरो एलायज की विनिर्माण एवं विक्रय” करते हैं का माह जून 2013 में अवधि 2009-10 एवं 2010-11 के लिए कर निर्धारण धारा 21(2) के अंतर्गत किया गया। अभिलेखों जैसे फार्म-18 (वार्षिक प्रपत्र) और संपरीक्षा प्रतिवेदन के परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि व्यवसायी ने क्रमशः ₹ 5.03 करोड़ एवं ₹ 7.25 करोड़ का सकल विक्रय दिखाते हुए स्वीकृत छूटों के पश्चात् उपरोक्त पर कर दायित्व का प्रेषण किया।

आगे, क्रय एवं विक्रय की एस.ए.एस.¹¹ प्रतिवेदन के परीक्षण किया गया दोनो व्यवसायियों की क्रय की तुलना उस व्यवसायी के क्रय से की गयी जिसने दोनो व्यवसायियों से खरीद की थी इसमें यह उजागर हुआ कि दोनों ने ही विक्रय क्रमशः ₹ 5.58 लाख एवं ₹ 15.89 लाख का विक्रय कम दिखाया था। इस प्रकार **परिशिष्ट 2.2** में दिखाये गये विवरण अनुसार ₹ 1.42 लाख कर का अपवंचन हुआ तथा छ.ग. वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 54 के तहत शास्ती ₹ 4.25 लाख आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि, पुनः कर-निर्धारण हेतु प्रकरण धारा 22(1) के तहत खोला जायेगा।

2.2.24 करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण

संकर्म संविदा से संबंधित कर योग्य आवर्त की गणना हेतु सरकार द्वारा जारी परिपत्र का परिपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप वैट कर का कम आरोपण ₹ 46.55 लाख।

मेसर्स गेनन एवं डंकरली एण्ड कंपनी विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान (1993) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एस.सी) द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार संकर्म संविदा संबंधि कर योग्य वार्षिक आय का निर्धारण श्रम यथा संकर्म-संविदा के संपादन के लिए श्रम पर व्यय, उप-ठेकेदार को श्रमिकों एवं सेवा के लिए दी गयी राशि, योजना एवं रूपरेखा पर व्यय तथा आर्किटेक्ट शुल्क, स्थापना व्यय आदि घटाने के पश्चात् किया जाना चाहिए। आगे, शासन ने निर्देशित किया (सितम्बर 2012) कि संकर्म संविदा हेतु करयोग्य आवर्त की गणना उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जानी है।

तीन¹² इकाईयों के माह 2015 एवं जून 2015 के मध्य 345 में से 300 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने पाया कि पाँच व्यवसायी जो संकर्म संविदा में कार्य करते हैं (अगस्त 2012 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निर्धारित) ने अवधि 2007-08 एवं 2011-12 के दौरान कुल ₹ 142.75 करोड़ की प्राप्तीयों दर्शाया है। आगे, अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि कर-निर्धारण अधिकारियों ने संकर्म संविदा में इस्तेमाल सामग्री, मालभाड़ा, लाभ एवं कर को शामिल करते हुए ₹ 33.63 करोड़ का

¹¹ सिस्टम एनालिस्ट सॉफ्टवेयर प्रणाली से व्यवसायियों के आपसी क्रय-विक्रय को जाँचा जा सकता है।

¹² स.आ., राजनांदगांव, स.आ. रायगढ़ एवं उ.आ., दुर्ग

करयोग्य वार्षिक विक्रय निर्धारित किया एवं इसी आधार पर ₹ 1.78 करोड़ का कर आरोपित किया।

यह उपरोक्तनुसार निर्णय एवं सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन था। उपरोक्त निर्णय एवं सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों में दी गयी कार्य करने की रीति को अपनाने के पश्चात् करयोग्य वार्षिक आवर्त ₹ 43.30 करोड़ निर्धारित होता है एवं इसी अनुसार ₹ 2.24 करोड़ का कर आरोपणीय है। इस प्रकार निर्णय एवं शासन के निर्देशों की कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनदेखी किये जाने के कारण **परिशिष्ट 2.3** में दिये गये विवरण अनुसार ₹ 46.55 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि, दो प्रकरणों में ₹ 19.60 लाख की मांग सूचना जारी की जा चुकी है। शेष प्रकरणों को धारा 22(1) के तहत पुनः करनिर्धारण के लिए पुनः खोला गया है।

2.2.25 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत अंतरराज्यीय संव्यवहारों के साथ वैधानिक फार्म एवं सहायक साक्ष्य को जमा किये जाने में अनियमितता।

अंतरप्रांतीय विक्रय, माल अंतरण, पारगमन विक्रय और दोषपूर्ण फार्मों के विरुद्ध छूट/रियायती कर की दर गलत स्वीकार किया गया फलस्वरूप कर ₹ 1.68 करोड़ का अन/अवरोपण हुआ।

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम, 1956 की धारा 8 प्रावधानित करता है कि अप्रैल से मई 2008 के मध्य तीन प्रतिशत की दर से और जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से माल का 'सी' फार्म समर्थित अंतरराज्यीय विक्रय पर करारोपणीय है। इसी तरह पारगमन बिक्री जिसका मतलब माल को यात्रा के दौरान बिक्री पर विक्रेता व्यवसायी को कर के भुगतान से छूट के दावा के लिए फार्म ई-I/ II और सी को प्रस्तुत करना है।

आगे, के.वि.क. अधिनियम के धारा 6(अ) के अंतर्गत, माल बिक्री (शाखा अंतरण) वैधानिक 'एफ' फार्म के प्रस्तुती पर कर के भुगतान से छूट है। समर्थित साक्ष्य और वैधानिक फार्मों के अभाव में, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपणीय है।

2.2.25.1 हमने मई 2015 से जून 2015 के मध्य पाँच¹³ ईकाइयों के 790 व्यवसायियों में से 558 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच में पाया कि 11 प्रकरणों में से, नौ व्यवसायी जिनका अंतरराज्यीय संव्यवहार ₹ 113.27 करोड़ था, ने अंतरराज्यीय विक्रय के समर्थन में ₹ 8.82 करोड़ के 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये थे और दो व्यवसायी जिनका अंतरराज्यीय संव्यवहार ₹ 271.43 लाख था ने ₹ 24 लाख का दोषपूर्ण 'सी' फार्म प्रस्तुत किया था। फार्मों का अप्रस्तुतीकरण या दोषपूर्ण 'सी' फार्मों को प्रस्तुति के कारण, व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में विनिर्दिष्ट स्थानीय दरों पर कर भुगतान के दायी थे। यद्यपि सभी व्यवसायियों ने के.वि.क. के अन्तर्गत रियायती कर का दर उपयोग किया जिससे ₹ 23 लाख कर राशि का कम वसूली फलित हुआ जो **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है।

2.2.25.2 हमने संभागीय उपायुक्त, संभाग-II, रायपुर के 41 में से 41 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान पाया (जून 2015) कि एक व्यवसायी जो

¹³ स.आ.-III, दुर्ग, स.आ., राजनंदगांव, स.आ. संभाग II, रायपुर, वा.क.अ.-9, रायपुर और उ. आ. संभाग II, रायपुर

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

जूट बैग्स का क्रय-विक्रय करता था, वर्ष 2009-10 के लिए अप्रैल 2014 में कर निर्धारण किया गया, अंतरराज्यीय बिक्री ₹ 74.31 करोड़ के समर्थन में 'सी' फार्म जमा किया, जबकि वास्तविक में ₹ 35.17 करोड़ के 'सी' फार्म उसके अन्य शाखा, कोलकता के पक्ष में जारी किया गया था। अतः उक्त विक्रय को बिना 'सी' फार्म अंतरराज्यीय बिक्री माना जाना चाहिए था। यद्यपि रियायती कर का दर प्रदाय करने से ₹ 1.06 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

2.2.25.3 हमने तीन¹⁴ इकाईयों के 496 व्यवसायियों में से 297 के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच में पाया (जून 2015) कि तीन व्यवसायियों जो स्पंज आयरन के निर्माण/क्रय और जूट यार्न के विक्रय का व्यवसाय करते थे के अवधि 2007-08, 2009-10 एवं 2011-12 के कर निर्धारण अप्रैल 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य किया गया था। एक प्रकरण में व्यवसायी ने अंतरराज्यीय विक्रय ₹ 4.60 करोड़ के समर्थन में 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया। फार्म के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम दर करारोपण से ₹ 10.40 लाख का कम आरोपण हुआ जो तालिका 2.12 में वर्णित है:-

तालिका 2.12

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (माह व कर निर्धारण का वर्ष)	अंतरराज्यीय विक्रय की राशि	राशि जो 'सी' फार्म समर्थित/ असमर्थित थी	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर	कम आरोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1	संभागीय उपायुक्त, दुर्ग	2011-12 (मार्च 2015)	6840.55	460.22	5/4	4.51	शासन ने अप्रैल 2011 से स्पंज आयरन पर कर की दर चार से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पांच प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
2	वा.क.अ.-9, रायपुर	2007-08 (दिसम्बर 2014)	258.37	152.71	3/2	1.53	रि-रोल्ड माल पर अवधि 2007-08 में कर की दर तीन प्रतिशत था जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
3	संभागीय उपायुक्त-II, रायपुर	2009-10 (अप्रैल 2014)	7431.18	436.00	2/1	4.36	कर निर्धारण अधिकारी ने जूट यान पर 2 प्रतिशत की दर की जगह 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
योग			14530.1	1048.93		10.40	

2.2.25.4 हमने मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य दो¹⁵ इकाईयों के 616 व्यवसायियों में से 302 व्यवसायियों के कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच के पाया कि तीन व्यवसायियों जिनका आवर्त ₹ 6.06 करोड़ था ने ₹ 2.56 करोड़ के ई I-'सी' फार्म, ₹ 2.68 करोड़ के ई I फार्म और ₹ 17.28 लाख का 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया था। व्यवसायी ₹ 16.30 लाख के कर छूट के लिए भागी नहीं थे जो उन्होंने प्राप्त किया था जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है।

2.2.25.5 हमने मई 2015 एवं जून 2015 के मध्य स.आ., संभाग-I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी) के 204 व्यवसायियों में से 83 व्यवसायियों के नमूना जांच में पाया कि दो प्रकरणों में व्यवसायियों ने ₹ 3.61 करोड़ का शाखा अंतरण किया था जिसमें

¹⁴ उ.आ., दुर्ग, वा.क.अ.-9, रायपुर एवं उ.आ., संभाग-II, रायपुर

¹⁵ वा.क.अ.-9, रायपुर एवं स.आ., संभाग-I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी)

ऐसे शाखा अंतरण में ₹ 87.05 लाख के फार्म 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये गये थे। फलस्वरूप ₹ 12.19 लाख का कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरणों को पुनः कर निर्धारण हेतु धारा 22(1) में खोला जा रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग कर निर्धारण प्राधिकारियों को अंतरराज्यीय संव्यवहारों में कर छूट/रियायती दर से करारोपण प्रदाय करने से पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के प्रस्तुति को सुनिश्चित करने का अनुदेश जारी करें।

2.2.26 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आं.नि.प्र.)

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.शा.) किसी विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रण के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

जब हमने विभाग से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अस्तित्व जो आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.शा.), आगत कर सत्यापन प्रणाली और वित्त विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) के लेखापरीक्षा के प्रावधानों के संबंध में पूछा तो विभाग ने बताया कि शाखा में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए केवल चार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदस्थापित (जनवरी 2015 से) हैं। विभाग ने न तो पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या और न ही लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन आगत कर सत्यापन हेतु अपनाई गई प्रणाली (हस्त संबंधी या कम्प्यूटरीकृत) से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर सका।

इसलिए प्रतिवेदन में इंगित की गई आंतरिक लेखा परीक्षा के क्रिया-कलापों का अभाव के साथ व्यापक प्रणाली की कमियों से स्पष्ट पता चलता है कि आंतरिक नियंत्रण माहौल कमजोर है।

वाणिज्यिक कर अधिकारियों को प्रकरणों का निरीक्षण के संबंध में टेबल डायरी और बकाया और संग्रहीत कर के निगरानी के लिए मांग और संग्रह पंजी का संधारण करना होता है। नमूना जांच इकाईयों में उपरोक्त पंजी विधिवत संधारित थे और उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित की गई थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग पर्याप्त मानव शक्ति और प्राधिकारियों सहित आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा की स्थापना पर विचार करें।

2.2.27 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न पाई गई:-

- नये व्यवसायियों को कर के दायरे के अंदर लाने के लिए छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 57 क के अंतर्गत अपंजीकृत व्यवसायियों का सर्वेक्षण वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान नहीं किया गया।
- कर निर्धारण के लिए समय सीमा का अत्याधिक विस्तार किया गया फलस्वरूप कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव फलित हुआ। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए निर्धारण की अंतिम तिथि जून 2015 तक भी समाप्त नहीं हुई थी।
- आयुक्त ने वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 21 (3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का चयन नहीं किया। आगे वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में टैक्स आडिट के लिए स्व-कर निर्धारण प्रकरणों का क्रमशः 11.59, 3.94 एवं 0.6 प्रतिशत ही चयन किया गया था।

- विभाग में ₹ एक लाख तक के क्रय पर आगत कर के सत्यापन तंत्र का अभाव था।
- विभाग ने वैसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया था और उस पर आगत कर की वापसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया। यह ये इंगित करता है कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के ऊपर आगत कर की वापसी की सुनिश्चितता का कोई निगरानी तंत्र नहीं था।
- आवर्त का छिपाव, आवर्त का गलत निर्धारण, गलत आगत कर प्रदाय किया जाना, वैट का अन/अवरोपण और घोषणा पत्रों के बिना अंतरराज्यीय व्यापारों पर छुट/रियायती दर अपनाने से राजस्व का रिसाव हुआ।

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षणों

मूल्य संवर्धित कर

2.3 मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण

2.3.1 कर की गलत दर का अनुप्रयोग

प्रकरणों के कर निर्धारण के दौरान, कर निर्धारण अधिकारियों ने अवशिष्ट मालों पर गलत करारोपण किया फलस्वरूप ₹ 39.47 लाख कर का कम आरोपण हुआ।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों¹⁶ के 2,270 प्रकरणों में से 1,480 कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच (मई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) हमने पाया कि सात प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारियों ने कन्वेयर रॉलर और टोस्ट पर कम दर से करारोपण किया। उक्त माल छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची I और अनुसूची II के भाग I, भाग II, भाग III में सम्मिलित नहीं थे। इसलिए अनुसूची II के भाग अनुसूची IV के प्रविष्टि I के अनुसार, ये माल अवशिष्ट माल के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण थें। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारियों ने शून्य एवं चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया जैसा कि तालिका 2.13 में वर्णित है:

तालिका 2.13

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण माह व वर्ष)	अनुसूची/ भाग/ वस्तु	कर योग्य सकल विक्रय	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण/ अवरोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	वा.क.अ. I, कोरबा	कन्वेयर रॉलर	2006-07 एवं 2007-08 (मई 10 से अगस्त 11)	II/IV/1	359.45	12.5/4	30.55	पाँच प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि चार प्रकरणों में ₹ 17.43 लाख का राजस्व का अतिरिक्त मांग जारी किया गया। एक प्रकरण में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आगे स्वीकार प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)								
2.	वा.क.अ. II, रायगढ़	टोस्ट	2007-08 (अगस्त 10)	II/IV/1	71.39	12.5/0	8.92	दो प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने टोस्ट को कर मुक्त मानते हुए करारोपण नहीं किया।
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि दोनों प्रकरणों में मांग पत्र जारी किया गया है और रा. व.प्र. की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आगे प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)								
योग					430.84		39.47	

¹⁶ वा.क.अ.-1, कोरबा एवं वा.क.अ.-2, रायगढ़

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने मालों के गलत वर्गीकरण के कारण वैट का कम दर का प्रयोग किया फलस्वरूप ₹ 39.47 लाख का कर अव/अनारोपण हुआ।

2.3.2 लाभ का मनमानी निर्धारण

संकर्म संविदा प्रकरणों के कर निर्धारण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने चार्टर्ड एकाऊन्टेंट के संपरीक्षा प्रतिवेदनों को अनदेखा किया और कर निर्धारिती के लाभ को मनमानी निर्धारण किया परिणामस्वरूप वैट ₹ 5.15 लाख का कम आरोपण हुआ।

स.आ.वा.क.-V, संभाग II, रायपुर कार्यालय के 336 कर निर्धारण आदेशों के नमूना जांच (अक्टूबर 2013) में हमने पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित तीन प्रकरणों में व्यवसायी जो निर्माण का व्यवसाय करते थे ने ₹ 8.58 करोड़ का माल उपयोग किया। 2012-13 में कर निर्धारण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने लाभ को 5 और 10.50 प्रतिशत मानते हुए ₹ 9.30 करोड़ का करयोग्य विक्रय निर्धारण किया।

यद्यपि, संपरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार जो छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 42(2) के अनुसार प्रकरणों में संलग्न किये गये थे लाभ 13.67 से 19.61 प्रतिशत के मध्य था। इसप्रकार चार्टर्ड एकाऊन्टेंट द्वारा अपने संपरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित वास्तविक लाभ अनुसार कर योग्य विक्रय ₹ 10.10 करोड़ थी। आगे, इन प्रकरणों में कम दर पर लाभ का मनमानी निर्धारण और चार्टर्ड एकाऊन्टेंट द्वारा उनके संपरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित का कोई कारण नहीं बताया गया।

अतः प्रकरणों का कर निर्धारण के दौरान चार्टर्ड एकाऊन्टेंट के संपरीक्षा प्रतिवेदनों को अनदेखा किया गया और लाभ के दरों का मनमानी आरोपण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का कम करयोग्य विक्रय निर्धारित किया गया फलस्वरूप ₹ 5.15 लाख का कम वैट का आरोपण हुआ जैसा कि *परिशिष्ट 2.6* में वर्णित है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आधार पर, छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, के धारा 22(1) के अंतर्गत प्रकरणों को खोला जायेगा और ₹ 5.15 लाख का अतिरिक्त राजस्व का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.4 आगत कर का अधिक प्रदाय किया जाना

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारिती द्वारा क्रीत कोयला के कुल मात्रा पर प्रांत के अंदर विक्रीत कर मुक्त विद्युत के निर्माण के लिए उपयोगित भाग की कमी किये बिना आगत कर प्रदाय किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.34 लाख का आगत कर का अधिक प्रदाय हुआ।

संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर (मुख्यालय) के 799 कर निर्धारण प्रकरणों में से 287 कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जांच (अप्रैल 2014) के दौरान हमने पाया कि एक प्रकरण में एक व्यवसायी जो स्पंज आयरन के निर्माण बिक्री और क्रय का व्यवसाय करता था, ने 2007-08 में ₹ 11.32 करोड़ का कोयला (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, के अनुसूची II में सम्मिलित) क्रय किया और अपने विद्युत संयंत्र में ₹ 7.38 करोड़ का कोयला विद्युत निर्माण में उपयोग किया। इसमें से ₹ 4.04 करोड़ का कोयला अपने स्पंज और स्टील आयरन डिवीजन में स्वयं उपयोग किया शेष कोयला ₹ 3.34 करोड़ (₹ 7.38 करोड़ - ₹ 4.04 करोड़) विद्युत ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया गया जो कि व्यवसायी द्वारा विक्रय किया गया।

चूँकि विद्युत ऊर्जा जो कि अनुसूची I में कर मुक्त माल में सम्मिलित है और बिक्री विशेष आर्थिक क्षेत्र के व्यवसायी को नहीं किया गया था या भारत के बाहर (राज्य के

अंदर कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है और प्रांत के अंदर बिक्री किया गया है) छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 13(1)(ब) के अनुसार कोयला (मूल्य ₹ 3.34 करोड़) का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन किया गया था और जो व्यवसायी द्वारा बेचा गया था, का आगत कर की कमी की जानी चाहिए था। यद्यपि प्रकरण के कर निर्धारण (अगस्त 2011) के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी ने कच्चे माल के रूप में कुल क्रीत कोयला (₹ 11.32 करोड़) पर ₹ 45.29 लाख (@ 4 प्रतिशत) का आगत कर प्रदाय किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.34¹⁷ लाख आगत कर अधिक प्रदाय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि प्रकरण को पुनः खोला गया है और छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। प्रकरण की आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

केन्द्रीय विक्रय कर

2.5 अंतरराज्यीय विक्रय जो घोषणापत्र समर्थित नहीं थे पर केन्द्रीय विक्रय कर का कम आरोपण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मालों का अंतरराज्यीय विक्रय जो 'सी' फार्म समर्थित नहीं थे पर 12.5 प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया फलस्वरूप ₹ 45.45 लाख राशि का केन्द्रीय विक्रय कर का कम आरोपण हुआ

स.आ.वा.क., संभाग II, रायपुर और वा.क.अ. I, कोरबा के 396 कर निर्धारण आदेशों के नमूना जांच के दौरान (जून 2013 एवं मई 2014 के मध्य) हमने पाया कि दो प्रकरणों एम.एस. और जी.आई¹⁸ फेब्रिकेटेड स्ट्रकचर और कन्वेयर रॉलर के अंतरराज्यीय विक्रय पर 'सी' फार्म समर्थित नहीं थे।

के.वि.क. अधिनियम के धारा 8 के अनुसार घोषणा पत्र फार्म 'सी' के बिना अंतरराज्यीय व्यापार में ऐसे माल के बिक्री पर प्रांत के अंदर लागू कर की दर आरोपित होगी। एम.एस. और जी.आई फेब्रिकेटेड स्ट्रकचर और कन्वेयर रॉलर छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II, के भाग I, II और III में सम्मिलित नहीं थे। इसलिए छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II के भाग IV के अनुसार, केन्द्रीय विक्रय कर की दर 12.5 प्रतिशत आरोपणीय थी। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारियों ने प्रकरणों में चार प्रतिशत की दर से कर निर्धारण किया। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अंतरप्रांतीय विक्रय के दर निर्धारण के दौरान कम दर से करारोपण किया गया जो कि तालिका 2.4 में वर्णित है:

तालिका 2.14

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण का (माह व वर्ष)	करयोग्य विक्रय का आवर्त	आरोपणीय / आरोपित कर की दर	कर का अव/अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1.	स. आ. वा.क. संभाग-II, रायपुर	एम.एस.और जी. आई फेब्रिकेटेड स्ट्रकचर	2008-09 (जून 2013)	कुल अंतरराज्यीय बिक्री ₹ 644.89 लाख	12.5 / 4	36.63	एम.एस. और जी.आई. फेब्रिकेटेड स्ट्रकचर छ. ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II, के भाग I, II और III,

¹⁷ कुल आगत कर प्रदाय = ₹ 45.29 लाख
 प्रदाय योग्य आगत कर (कोयला मूल्य ₹ 4.04 करोड़) = ₹ 31.95 लाख
 आगत कर का अधिक प्रदाय = ₹ 13.34 लाख

¹⁸ माइल्ड स्टील एवं ग्लैवजनाइड आयरन

				जिसमें ₹ 427.02 लाख का 'सी' फार्म समर्थित नहीं			में सम्मिलित नहीं थे। अतः के.वि.के. के 12.5 प्रतिशत कर की दर आरोपणीय था। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण किया गया था और ₹ 73.26 लाख का मांग पत्र जारी किया गया था। रा.व.प्र. के माध्यम से वसूली जारी है और व्यवसायी का बैंक खाते को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)							
2.	वा.क.अ. I, कोरबा	कन्वेयर रॉलर	2007-08(अ गस्त 2011)	103.77	12.5 / 4	8.82	कन्वेयर रॉलर अवशिष्ट माल होने के कारण के.वि.के. 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण किया गया और ₹ 11.15 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली जारी है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)							
योग				530.79		45.45	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने प्रकरणों का कर निर्धारण के दौरान, के.वि.के. का सही दर का अनुप्रयोग नहीं किया जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 45.45 लाख का के.वि.के. का कम आरोपण हुआ।

प्रवेश कर

2.6 गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर का अव/अनारोपण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मालों के प्रवेश पर प्रवेश कर की दर का गलत अनुप्रयोग से राशि ₹ 10.45 लाख का प्रवेश कर का कम आरोपण

स.आ.वा.क. I, संभाग I, बिलासपुर एवं स.आ.वा.क. (मुख्यालय) रायपुर के 1544 कर निर्धारण अभिलेखों के जांच (मार्च 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य) के दौरान हमने पाया कि तीन प्रकरणों में, कर निर्धारण अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश कर का सही दर का आरोपण नहीं किया जबकि एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची III, में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न कि बिक्री पर। आगे साइकिल, टायर ट्यूब और अन्य भाग पर 0.5 प्रतिशत एवं अनुसूची II और III में विनिर्दिष्ट मालों पर एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। राज्य शासन प्रवेश कर की दरों और उनके अनुप्रयोग पर समय-समय पर अधिसूचनाएँ जारी करती है। प्रवेश कर पर गलत दरों के अनुप्रयोग की तालिका 2.15 में वर्णित है:

तालिका 2.15

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण का (माह व वर्ष)	अनुसूची/ अधिसूचना क्र. और दिनांक	करयोग्य क्रय का आवर्त	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर	कर का अव/ अनारोपण
1.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर	बिटुमिन	2009-10 (अगस्त 2011)	III	529.60	1/0	5.30
<p>बिटुमिन छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची III, में सम्मिलित है और सड़क निर्माण में उपयोग हुआ। अतः एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने कर चुका मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2015) कि मांग पत्र जारी किया गया है। प्रकरण के आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।</p>							
2.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर	साइकिल, टायर ट्यूब और अन्य भाग	2007-08 (अगस्त 2011)	II	606.30	0.5/0	3.03
<p>साइकिल, टायर, ट्यूब और इनके भाग छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची II, में सम्मिलित है और प्रवेश कर 0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय थी। यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने कर का आरोपण नहीं किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (सितम्बर 2015) कि मांग पत्र और रा.व.प्र. जारी किया जा चुका है। प्रकरण के आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।</p>							
3.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर	आयरन और स्टील	2007-08 (जुलाई 2011)	अधिसूचना क्र. 33 दिनांक 13.04.2000	423.14	1.5/1	2.12
<p>उक्त अधिसूचना के अनुसार, आयरन और स्टील जैसा कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के धारा 14 के उपबंध (IV) में विनिर्दिष्ट हैं को प्रांत के बाहर या प्रांत के अंदर से उक्त मालों के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लाता है तो 1.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। यद्यपि कर निर्धारण अधिकरण ने केवल एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2015) कि मांग पत्र और रा.व.प्र. जारी किया गया। प्रकरण में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)</p>							
योग					1558.04		10.45

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कर निर्धारण अधिकारियों ने अनुसूची और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सही प्रवेश कर की दरों को लागू नहीं किया फलस्वरूप ₹ 10.45 लाख प्रवेश कर का अव/ अनारोपण हुआ।

तीसरा अध्याय: मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क

3.1 कर प्रशासन

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण पर प्रशासन शासन स्तर पर सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक पंजीयन सह मुद्रांक अधीक्षक पंजीयन विभाग का प्रमुख है, जिसकी सहायता हेतु दो उप महानिरीक्षक पंजीयन, 16 जिला पंजीयक सह मुद्रांक संग्रहक एवं 88 उप पंजीयक है।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- पंजीयन अधिनियम, 1908;
- भारतीय मुद्रांक नियम, 1975 एवं
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका निर्धारण एवं पुनरीक्षण नियम, 2000

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014-15 पंजीयक विभाग में 105 में से 11 उपपंजीयक कार्यालयों की नमूना जांच की। जिसमें संपत्तियों के न्यून मूल्यांकन, विलेखों का गलत वर्गीकरण और अन्य अनियमितताओं के कारण 244 प्रकरणों में जिसमें राशि ₹ 5.79 करोड़ सन्निहित थे, का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनारोपण/अवरोपण के प्रकरण पाये गए जिनका श्रेणीवार वर्गीकरण तालिका 3.1 में दर्शित है:

तालिका 3.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	संपत्तियों के अवमूल्यांकन से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/अवरोपण, विलेखों के गलत वर्गीकरण आदि	161	3.29
2.	प्रकरणों के निपटान में अप्रत्याशित विलंब	57	0.24
3.	अन्य अनियमितताएँ	26	2.26
योग		244	5.79

वर्ष 2014-15 के दौरान इंगित किए गए प्रकरणों में से 50 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 2.45 लाख सन्निहित है, को विभाग द्वारा मान्य किया गया।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिसमें वित्तीय प्रभाव ₹ 1.28 करोड़ है का वर्णन आगामी कड़िकाओं में किया गया है।

3.3 विलेखों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

विलेखों के पंजीकरण के दौरान उपपंजीयक द्वारा विलेखों का वर्गीकरण उसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर न कर उसमें दिये गए विषय के आधार पर किया। परिणामस्वरूप दस्तावेजों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण हुआ और साथ में राशि ₹ 41.29 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

उप पंजीयक, रायपुर द्वारा पंजीकृत 37,783 दस्तावेजों में से 2,390 दस्तावेजों की नमूना जाँच (फरवरी 2015) में पाया गया कि दो दस्तावेज जिनका पंजीयन मार्च 2014 में किया गया था, 2,540 वर्ग मी और 6,711 वर्ग मी. परिवर्तित भूमि जिसका बाजार मूल्य ₹ 5.90 करोड़ (मार्गदर्शिका के अनुसार) था, को एक व्यक्ति द्वारा शैक्षणिक संस्था को पट्टे पर दिया। इस दस्तावेज की उपबंध 6 में वर्णित है की "पट्टाधारी इस संपत्ति को विक्रय, बढ़ोत्तरी, विकसित, पट्टा, बंधक, निराकृत, व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है या इस भूमि को पूर्ण रूप से या भूमि के किसी भाग को अन्य तरह से सौदा कर सकता है। उपरोक्त उपबंध की विषयवस्तु के अनुसार विक्रेता द्वारा अपने भूमि से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार क्रेता को हस्तांतरित किए थे।

मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 3 के अनुसार निष्पादकों द्वारा किसी दस्तावेज को कोई दिया गया कोई विशिष्ट नाम एकमात्र पैमाना नहीं है और यह भी की दस्तावेज का प्रकार मानने का कोई आधार नहीं है; दस्तावेज में वर्णित विषयवस्तु एवं पक्ष जो इसमें सम्मिलित है के अभिप्राय के अनुसार प्रश्नों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

इस प्रकार धारा 3 के अनुसार दस्तावेज पट्टा न होकर हस्तांतरण का परिणाम प्रदर्शित करता है जिससे संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है जिसके लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 41.32 लाख आरोपणीय था। किन्तु दस्तावेज का पंजीयन करते समय उप पंजीयक द्वारा वर्णित तथ्य का दृष्टिगत न रखकर शीर्षक के आधार पर पट्टे के रूप में पंजीकृत किया और उसी के अनुरूप ₹ 3,338 का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित किया। इस प्रकार, दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण राशि ₹ 41.29 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि प्रकरणों को जिला पंजीयक की ओर प्रेषित किया गया है और निराकरण की कार्यवाही जारी है। प्रकरणों में आगे की कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.4 एक विलेख में एक से ज्यादा विक्रेताओं की भूमि का विक्रय करने से संपत्ति का अवमूल्यांकन

एक से ज्यादा विक्रेताओं के संपत्तियों को मिलाकर 0.243 हे. से अधिक भूमि बनाने के फलस्वरूप संपत्ति का मूल्यांकन स्लेब दर से न कर हेक्टेयर दर से किया गया। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि ₹ 27.35 लाख की कम प्राप्ति हुई।

उपपंजीयक, रायपुर के कुल 37,783 पंजीकृत विलेखों में से 2,390 विलेखों के नमूना जाँच में हमने पाया कि (फरवरी 2015) एक विलेख जिसमें तीन विक्रेताओं द्वारा अलग-अलग खसरो एवं ऋणपुस्तिकाओं से 0.25 हे. भूमि का विक्रय एक क्रेता को किया। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2013-14 के प्रपत्र 1 के उपबंध 1 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 0.243 हे. एवं उससे कम की कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना स्लेब दर से किया जावेगा। 0.243 हे. से अधिक कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की जावेगी। उपपंजीयक द्वारा उक्त भूमि को एक ही भूमि

मानकर हेक्टेयर दर से भूमि का बाजार मूल्य ₹ 87.50 लाख निर्धारण कर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि क्रमशः ₹ 4.55 लाख एवं ₹ 70,000 का आरोपण किया।

प्रकरण की आगे जाँच में पाया गया कि तीन विक्रेताओं में से दो विक्रेता एक ही परिवार के थे तथा उनके हिस्से की भूमि 0.238 हे. थी। तीसरा विक्रेता क्रेता का पति था, जिसके हिस्से की भूमि 0.012 हे. थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवहार के दौरान क्रेता के पति की भूमि को दूसरों की भूमि में जान बूझकर मिलाया गया ताकि आपसी व्यवहार में कुल संपत्ति 0.243 हे. से अधिक हो जाय और संपत्ति के मूल्यांकन में स्लैब दर से बचा जा सके।

मार्गदर्शिका के स्लैब दर अनुसार संपत्ति का बाजार भाव ₹ 5.43 करोड़ होता है, जिस पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 28.26 लाख एवं ₹ 4.34 लाख क्रमशः आरोपणीय है। परंतु उपपंजीयक द्वारा विलेखों के पंजीकरण के दौरान इस को संज्ञान में नहीं लिया। इस प्रकार उप पंजीयक द्वारा निष्पादकों को अदेय लाभ पहुंचाने के कारण संपत्ति के बाजार मूल्य में ₹ 4.56 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 27.35 लाख (मुद्रांक शुल्क— ₹ 23.71 लाख एवं पंजीयन फीस—₹ 3.64 लाख) का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि प्रकरणों को जिला पंजीयक की ओर प्रेषित किया गया है और निराकरण की कार्यवाही जारी है। प्रकरणों में आगे की कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.5 मुख्य मार्ग पर स्थित संपत्ति का कम मूल्यांकन

मुख्य मार्ग पर स्थित संपत्तियों का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से अलग स्थित मानकर किया गया। जिसके फलस्वरूप संपत्तियों का कम मूल्यांकन होने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 24.96 लाख की कम प्राप्ति हुई।

उपपंजीयक कार्यालय, बिलासपुर, रायपुर एवं सक्ती के कुल 45,809 पंजीकृत विलेखों में से 3,412 विलेखों के नमूना जांच किये जाने पर हमने पाया (अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कि 18 विलेखों (मार्च 2009 एवं मार्च 2014 के मध्य पंजीकृत) में वर्णित तथ्य एवं संलग्न दस्तावेजों जैसे नक्शा, खसरा, ऋण पुस्तिका आदि अनुसार संपत्ति मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसके लिए मार्गदर्शिका में अलग से दर दिये गये हैं। परंतु उपपंजीयक द्वारा इसे मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर मूल्यांकन किया।

मार्गदर्शिका के अनुसार इन संपत्तियों का बाजार मूल्य मुख्य मार्ग की दर से ₹ 10.26 करोड़ होता है। परंतु उपपंजीयकों द्वारा इन भूमि को मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर ₹ 6.53 करोड़ गणना की गई। अतः मुख्य मार्ग पर स्थित संपत्तियों को मुख्य मार्ग से लगा न मानने से संपत्तियों का राशि ₹ 3.73 करोड़ का कम मूल्यांकन हुआ, जिससे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 24.96 लाख का कम आरोपण हुआ (मुद्रांक शुल्क—₹ 22.05 लाख एवं पंजीयन फीस—₹ 2.91 लाख)

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में (अगस्त 2015) में कहा कि एक प्रकरण में ₹ 12,945 की वसूली की गई है तथा शेष प्रकरणों में निराकरण की कार्यवाही जारी है। प्रकरणों में आगे की कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.6 नगरीय निकायों क्षेत्र में कृषि भूमियों के विक्रय पर कम मूल्यांकन

नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों में कृषि भूमि के विक्रय पर संपत्तियों के मूल्यांकन में मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 17.42 लाख की कम प्राप्ति हुई।

उपपंजीयक, रायपुर (फरवरी 2015) एवं सक्ती (अक्टूबर 2014) में पंजीकृत कुल 44,310 दस्तावेजों में से 3,308 दस्तावेजों की नमूना जांच में हमने पाया कि आठ प्रकरणों (मार्च 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य पंजीकृत) में संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

3.6.1 मार्गदर्शिका के प्रारूप एक के उपबंध 1, सहपठित प्रारूप तीन के उपबंध 5 के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका में स्थित 0.243 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का विक्रय होने पर यदि भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ क्रय किया गया हो तथा क्रेता की भूमि से लगी हो ऐसा पटवारी द्वारा सत्यापित किए जाने पर तथा दस्तावेजों से समर्थित होने पर उसके बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की जावेगी। अन्यथा, संपत्ति का मूल्यांकन प्लाट दर के अनुसार स्लेब दर से किया जावेगा। प्रपत्र तीन के उपबंध 5 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार इसका लाभ शहर के मध्य स्थित भूमि पर नहीं दिया जावेगा।

उपपंजीयक, रायपुर के विलेखों के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि चार विलेखों में भूमि का रकबा 0.243 हे. से कम था। इन विलेखों में विक्रित भूमि क्रेता की भूमि से लगे होने बाबत कोई पटवारी प्रमाण या कोई प्रमाण संलग्न नहीं था। आगे उपपंजीयक, रायपुर के एक प्रकरण में भूमि शहर के मध्य में स्थित थी। इस प्रकार ऐसी भूमि का मूल्यांकन प्लाट दर से किया जाना चाहिए था। परंतु उपपंजीयक द्वारा मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया गया। इस प्रकार मार्गदर्शिका में नगर निगम/नगर पालिका में कृषि भूमि के विक्रय के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों का पालन न किये जाने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 15.31 लाख की कम प्राप्ति हुई।

3.6.2 मार्गदर्शिका के प्रारूप एक के उपबंध 4 के अनुसार, नगर पंचायत में स्थित 0.202 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का विक्रय होने पर यदि भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ क्रय किया गया हो तथा क्रेता की भूमि से लगी हो ऐसा पटवारी द्वारा सत्यापित किए जाने पर तथा दस्तावेजों से समर्थित होने पर उसके बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की जावेगी। अन्यथा, संपत्ति का मूल्यांकन प्लाट दर के अनुसार स्लेब दर से किया जावेगा।

उप पंजीयक, सक्ती के दस्तावेजों की नमूना जांच में हमने पाया कि तीन प्रकरणों में संपत्ति का क्षेत्र 0.202 हेक्टेयर से कम था तथा नगर पंचायत बारदवार एवं सक्ती में स्थित थी। पुनः दस्तावेजों के अनुसार क्रेताओं की भूमि से भी नहीं लगी थी। इस प्रकार इसका मूल्यांकन प्लाट दर से किया जाना चाहिए था। किन्तु, उप पंजीयक द्वारा इसका मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया गया। इस प्रकार नगर पंचायत में स्थित कृषि भूमि के मूल्यांकन हेतु दिये गए मार्गदर्शिका के प्रावधान का पालन नहीं किए जाने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 2.11 लाख का कम आरोपण हुआ।

अतः नगरीय क्षेत्रों में कृषि संपत्तियों के विक्रय पर मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 17.42 लाख की कम प्राप्ति हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। शेष प्रकरणों में कार्यवाही की प्रगति प्रतिक्षाधीन में है (नवम्बर 2015)।

3.7 सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

3.7.1 मार्गदर्शिका में प्रावधानों का पालन न किया जाना

उपपंजीयक द्वारा सम्पत्तियों का बाजार भाव के निर्धारण में मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 12.23 लाख की कम प्राप्ति हुई।

उपपंजीयक, रायपुर एवं तिल्दा के कुल 45,485 पंजीकृत विलेखों में से 4,797 विलेखों के नमूना जांच किये जाने पर हमने देखा (अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कि आठ विलेखों (दिसम्बर 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य पंजीकृत) में उपपंजीयक ने संपत्तियों के पंजीयन करते समय बाजार भाव के गणना हेतु मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

3.7.1.1 प्रपत्र 1 के उपबंध 2 एवं 9 अनुसार, शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु मुख्य मार्ग से हट कर 0.405 हे. से कम व्यपवर्तित भूमि का मूल्यांकन प्लॉट दर पर 25 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी।

हमने उपपंजीयक, रायपुर में देखा कि बीरगांव नगर पालिका के अंतर्गत कुल 12 खसरा, जिसमें 1.425 हे. सम्मिलित थे, जिसमें से एक खसरा के 0.180 हे. भूमि व्यपवर्तित थी का विक्रय किया गया। पुनः भूमि का क्रय औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु था। अतः मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार 0.180 हे. भूमि का मूल्यांकन करते समय प्लॉट दर में 25 प्रतिशत वृद्धि कर किया जाना चाहिए था। जबकी उपपंजीयक ने हेक्टेयर दर से मूल्यांकन किया। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 3.99 लाख का कम आरोपण हुआ।

3.7.1.2 मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध 1 एवं प्रपत्र 3 के उपबंध 5 एवं मार्गदर्शिका के विशेष प्रावधान अनुसार बनारसी ग्राम में कृषि भूमि हेतु 0.150 हे. से कम भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जायगा, जब वह कृषि प्रयोजनार्थ हेतु क्रय किया गया हो एवं क्रेता की भूमि से लगा हो, जैसा कि पटवारी द्वारा प्रमाणित किया जाय एवं इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न हो। अन्यथा संपत्तियों का मूल्यांकन स्लैब अनुसार प्लॉट दर से किया जाय।

हमने उपपंजीयक, रायपुर के दो प्रकरणों में देखा की संपत्ति क्रेता की भूमि से लगी हुई है, परंतु आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु क्रय की गई थी। अतः संपत्तियों का मूल्यांकन स्लैब अनुसार प्लॉट दर में किया जाना चाहिए था। परंतु उपपंजीयक द्वारा संपत्तियों का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 2.77 लाख का कम आरोपण हुआ।

3.7.1.3 मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध 7 के अनुसार अलग परिवार के एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि का क्रय करते हैं और प्रत्येक के खाते में नगरीय निकायों में 0.243 हे. या नगर पंचायत क्षेत्रों में 0.202 हे. आती है तो प्रत्येक के खाते में आये संपत्तियों का मूल्यांकन मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध 1 एवं 4 अनुसार स्लैब आधार पर प्लॉट दर अनुसार किया जावेगा।

हमने उपपंजीयक, रायपुर के एक प्रकरण में देखा कि एक भूमि का क्रय अलग-अलग परिवारों से दो व्यक्तियों द्वारा किया गया एवं प्रत्येक के खाते में 0.142 हे. भूमि आती

है, जिसका मूल्यांकन स्लैब आधार पर किया जाना चाहिए था। परंतु उपपंजीयक द्वारा क्रय की भूमि को 0.243 हे. से अधिक भूमि मानकर किया और कहा कि समान दिनांक को ही 0.243 हे. का विक्रय किया गया है इस प्रकार कुल रकबा 0.526 हे. हुआ है। इस प्रकार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कुल राशि ₹ 4.07 लाख की कम प्राप्ति हुई।

3.7.1.4 प्रपत्र 3 के उपबंध 11 अनुसार उद्योग द्वारा कृषि भूमि के क्रय करने पर भूमि की किस्म पड़त, असिंचित एवं सिंचित भूमि का मूल्यांकन क्रमशः ₹ 6.00 लाख, 8.00 लाख एवं 10.00 लाख प्रति एकड़ से किया जावेगा। अगर मार्गदर्शिका अनुसार की गई गणना या आपसी सौदे जो भी अधिक हो को मानकर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना की जावेगी।

हमने उपपंजीयक, तिल्दा के चार प्रकरणों में देखा कि संपत्तियों का क्रय औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया गया। जबकि संपत्तियों का मूल्यांकन उल्लेखित उपबंध अनुसार न कर मार्गदर्शिका में प्रावधानित कृषि भूमि के मूल्यानुसार अनुसार किया गया। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.40 लाख का कम आरोपण हुआ।

अतः मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं दरों के पालन न करने एवं विलेखों में संलग्न दस्तावेजों को अनदेखा करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 12.23 लाख का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि उपपंजीयक, तिल्दा के तीन प्रकरणों में राशि ₹ 1.11 लाख की वसूली कर ली गई है। शेष प्रकरणों के कार्यवाही प्रतिकषाधीन है (नवम्बर 2015)।

3.7.2 विलेखों/समर्थित दस्तावेजों में तथ्यों के अनदेखा के कारण गलत दर लगाया जाना

उपपंजीयक द्वारा विलेखों में संलग्न विलेख/समर्थित दस्तावेजों में तथ्यों की अनदेखी किये जाने से संपत्तियों के बाजार भाव गणना में गलत दर प्रयोग करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 4.68 लाख की कम प्राप्ति हुई।

उपपंजीयक, दुर्ग, रायपुर एवं सक्ती में कुल 68,369 पंजीकृत दस्तावेजों में से 5,124 दस्तावेजों के नमूना जांच में हमने देखा (सितम्बर 2014 एवं फरवरी 2015) कि नौ विलेखों में उपपंजीयक द्वारा संपत्तियों के पंजीयन के समय विलेखों के साथ (मार्च 2010 एवं मार्च 2014 के मध्य पंजीकृत) संलग्न अभिलेखों को ध्यान में न रखते हुए गलत दर का प्रयोग किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

3.7.2.1 उपपंजीयक, रायपुर के तीन विलेखों में संलग्न राजस्व अभिलेखों अनुसार भूमि सिंचित थी, जबकि उसका मूल्यांकन असिंचित दर से करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.31 लाख की कम प्राप्ति हुई।

3.7.2.2 उपपंजीयक, सक्ती के विलेखों के नमूना जांच में हमने देखा कि तीन प्रकरणों में गणना में त्रुटि की गई है। एक प्रकरण में संलग्न संधारण खसरा अनुसार भूमि में पक्का मकान निर्मित होना पाया गया, जिसका मूल्यांकन करते समय इसका ध्यान नहीं रखा गया। प्रकरण का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्य विलेख में दो क्रेता, जो कि एक ही परिवार से संबद्ध नहीं थे, संपत्ति का क्रय एक साथ किया गया। अतः मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध 4 एवं 7 अनुसार प्रत्येक के हिस्से में आय संपत्ति का मूल्यांकन पृथक-पृथक कर किया जाना चाहिए

था। जबकि उपपंजीयक द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन संयुक्त रूप से किया गया। उपरोक्त कारणों से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.97 लाख का कम आरोपण हुआ।

3.7.2.3 उपपंजीयक, दुर्ग के एक विलेख में संलग्न मुख्यतरनामा अनुसार बिना क्षेत्रफल बताये भूमि में तीन दुकानें निर्मित थीं। दस्तावेजों को निष्पादन में इन तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया गया एवं उपपंजीयक द्वारा भी मुख्यतरनामा की अनदेखी कर संपत्तियों के बाजार भाव की गणना की गयी। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 1.40 लाख का कम आरोपण हुआ।

अतः मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं दरों एवं विलेखों में संलग्न दस्तावेजों की अनदेखी किये जाने से संपत्तियों का राशि ₹ 65.26 लाख का कम मूल्यांकन हुआ तत्पश्चात् मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 4.68 लाख की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि प्रकरणों में कार्यवाही जारी है। इस पर आगे की प्रगति प्रतिक्षाधीन है (नवम्बर 2015)।

3.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.शा) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के दो पद स्वीकृत है, पर पद रिक्त होने के कारण वर्ष 2014-15 में एक भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

चौथा अध्याय: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर भू-राजस्व विभाग का प्रमुख, प्रमुख सचिव होता है। इनकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख (आ.बं.भू.अभि.) तथा चार संभागीय आयुक्त (सं. आयु.) होते हैं। संभागों के अंतर्गत शामिल जिलों के ऊपर संभागीय आयुक्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक जिलों में कलेक्टर इस विभाग की क्रियाकलापों हेतु प्रमुख प्रशासक है। प्रत्येक जिले में, एक या अधिक सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/जिले के उप संभागों के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर को सहायता प्रदान करते हैं।

भू-राजस्व की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों से प्राप्त होती हैं:

- भू-राजस्व संहिता, 1959 और इसके अंतर्गत अवधारित नियम;
- छत्तीसगढ़ लोकधन (शोध राशियों की वसूली) नियम, 1988;
- राजस्व किताबों का परिपत्र, संस्करण 1 से 4 एवं
- विभागीय निर्देश, परिपत्र और समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ

4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014-15 के दौरान भू-राजस्व विभाग के 165 ईकाईयों में से सात इकाईयों की नमूना जांच की और भू-भाटक और प्रब्याजी की वसूली न होना, उपकरण का अनारोपण, प्रक्रिया शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के विरुद्ध वसूली में विलंब तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित 20,864 प्रकरणों देखें जिसमें राशि ₹ 27.80 करोड़ सन्निहित है, जिसका वर्गीकरण नीचे तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	भू-भाटक एवं प्रब्याजी का अवरुद्ध रहना	19,696	4.78
2.	उपकरणों का अनारोपण/अवरोपण	208	0.02
3.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के विरुद्ध वसूली में विलंब	43	2.05
4.	अन्य अनियमितताएं	917	20.95
योग		20,864	27.80

हमारे द्वारा वर्ष के दौरान, भू-भाटक एवं प्रब्याजी की वसूली न होना, प्रक्रिया शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, उपकरण का अनारोपण/अवसूली, राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के संग्रहण में विलंब इत्यादि के 19,646 प्रकरणों जिसमें ₹ 3.45 करोड़ सन्निहित थी, को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया किंतु कोई वसूली नहीं की गई।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 48.34 लाख समाहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

4.3 पंचायत उपकर का अनारोपण

छ.ग. पंचायती राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों में कृषि भूमि के व्यपवर्तन पर भू-भाटक एवं प्रब्याजी पर पंचायत उपकर के अनारोपण से ₹ 22.34 लाख की अप्राप्ति।

कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग के कृषि भूमि के व्यपवर्तन¹ से संबंधित मांग एवं प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच में हमने देखा (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मध्य पाँच प्रकरणों में ग्राम पंचायत क्षेत्र की 15.125 हेक्टेयर कृषि भूमि का व्यपवर्तन गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कर प्रब्याजी ₹ 11.81 लाख एवं वार्षिक भू-भाटक ₹ 8.25 लाख आरोपण किया गया।

भू-राजस्व संहिता कि धारा 58 के अनुसार, भू-राजस्व में प्रब्याजी एवं भू-भाटक सम्मिलित है। प्रकरण नस्तियों कि अग्रेतर जाँच में हमने पाया कि व्यपवर्तन के उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर ने छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 74 के अनुसार पंचायत उपकर का आरोपण नहीं किया, जिसमें यह वर्णित है कि प्रत्येक भू-धारी तथा पट्टेदार उसके द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र में धारित भूमि के संबंध में ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के प्रति रूपया या उसके किसी ऐसे भाग पर जो पचास पैसे से अधिक हो, पचास पैसे की दर से प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपकर का भुगतान करने का दायी होगा।

अतः कलेक्टर द्वारा उक्त प्रावधानों को लागु करने में असफल होने के कारण वर्ष 2014-15 तक के आरोपित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक पर ₹ 22.34 लाख का पंचायत उपकर की राशि प्राप्त नहीं हो सकी, जिसका विवरण निम्न तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2

(₹ राशि में)

वर्ष	प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रब्याजी	वार्षिक भू-भाटक	2014-15 तक भू-भाटक	योग	पंचायत उपकार की राशि
2010-11	274 अ-2 दिनांक 10.03.11	13.01	10,11,353	7,08,589	28,34,356	38,45,709	19,22,855
	324 अ-2 दिनांक 11.03.11	0.06	4,357	3,088	12,352	16,709	8,355
	328 अ-2 दिनांक 20.03.11	0.055	4,182	2,964	11,856	16,038	8,019
	120 अ-2 दिनांक 21.01.11	1.85	1,38,452	98,125	3,92,500	5,30,952	2,65,476
2011-12	388 अ-2 दिनांक 18.07.11	0.15	23,002	12,350	37,050	60,052	30,026
योग		15.125	11,81,346	8,25,116	32,88,114	44,69,460	22,34,731

हमारे द्वारा इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर (जून 2015) में कहा कि एक प्रकरण में राशि ₹ 1,544 जमा कराया जा चुका था जबकि अन्य प्रकरणों में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जा चुका है। आगे कि प्रगति की प्रतीक्षा है (नवम्बर 2015)।

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 5.8.10 में इसी तरह के प्रकरण इंगित किए गए थे, समान तरह की खामियों और

¹ कृषि भूमि के व्यपवर्तन अर्थात् कृषि भूमि का उपयोग प्रयोजन से अन्य उपयोग जैसे आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्य में परिवर्तन करने हेतु किया जाना है।

अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना राजस्व का रिसाव रोकने में विभाग की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.4 औद्योगिक उद्देश्य से खरीदी गयी कृषि भूमि का व्यपवर्तन नहीं किया जाना

औद्योगिक उद्देश्य से खरीदी गयी कृषि भूमि का व्यपवर्तन नहीं किए जाने से ₹ 26 लाख के भू-राजस्व की अप्राप्ति हुई।

तहसीलदार, पाली के कार्यालय में नामंतरण पंजी और आदेश की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि (मार्च 2014) एक कंपनी ने मई 2006 से मार्च 2008 के अवधि के दौरान ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु तहसील पाली के ग्राम बंधाखार में 65.39 हेक्टेयर निजी भूमि कृषकों से क्रय कर नामंतरण किया।

भू-राजस्व नियम के अध्याय 3 के अनुसार, राजस्व निरीक्षक कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने संबंधी मामलों का पता लगाने और तहसीलदार को प्रतिवेदित करने हेतु उत्तरदायी होगा, ताकि उसका पुर्ननिर्धारण भू-राजस्व संहिता के धारा 59 के अनुरूप किया जा सके, जो यह प्रावधानित करती है कि जहाँ कोई भूमि किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाए तो उस भूमि का भू-राजस्व का पुर्ननिर्धारण उस प्रयोजन अनुसार किया जायगा।

कंपनी ने नामंतरण के लिए दिये गये अपने आवेदन में स्वयं यह घोषणा किया है कि वह एक ताप विद्युत परियोजना निर्माण कर रहा है। यद्यपि राजस्व निरीक्षक ने नामंतरण को अभिप्रमाणित किया है (नवम्बर 2008), लेकिन उसके बावजूद विभाग ने औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि के व्यपवर्तन के लिए आज पर्यन्त तक कोई कार्यवाही नहीं की है और ना ही पुनरीक्षित दर से प्रब्याजी और भू-भाटक के लिए कोई मांग जारी की। पुनः कंपनी ने अपने वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि परियोजना का क्रियान्वयन जुलाई 2015 से किया जा चुका है।

परिणामस्वरूप शासन को 2008-09 से 2014-15 के मध्य राजस्व राशि ₹ 26 लाख से वंचित रहना पडा। साथ ही यह ये भी दर्शाता है, कि जहां कृषि भूमि को क्रय कृषि से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो वहां भू-राजस्व के निर्धारण करने में विभाग का आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर तहसीलदार, पाली ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि कंपनी ने अगस्त 2015 में व्यपवर्तित भू-राजस्व की राशि ₹ 16.34 लाख जमा कर चुकी है। जबकि लेखापरीक्षा द्वारा प्रचलित दर पर की गयी गणना अनुसार व्यपवर्तित भू-राजस्व की राशि ₹ 26 लाख वसूलनीय थी। शेष राशि जमा करने हेतु तहसीलदार द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया।

स्थिति विभाग/शासन के ध्यान में लायी जाती है (मई 2015)। उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2015) है।

4.5 आंतरिक नियंत्रण

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.शा) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है जो राजस्व कि रिसाव कि दृष्टि से असुरक्षित बना देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन में लगातार सूचित करने के बाद भी विभाग के द्वारा आं.ले.प.शा. स्थापित करने लिए कोई कार्यवाही नहीं कि गयी।

पाँचवा अध्याय: वाहनों पर कर

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2014-15 में हमने परिवहन विभाग के 22 ईकाइयों में से 12 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जांच की जिसमें 1,683 प्रकरणों में ₹ 30.62 करोड़ के व्यापार कर की कम वसूली, कर एवं शास्ति का वसूली तथा अन्य अनियमितताएँ पायी गयी जो निम्नानुसार तालिका 5.1 में श्रेणीवार वर्गीकृत है:

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	“यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से करों का कम वसूली/अवसूली” पर वृहत कंडिका	1	21.40
2.	व्यापार कर का कम वसूली	302	3.30
3.	कर एवं शास्ति की अवसूली	1,283	5.89
4.	अन्य अनियमितताएँ	97	0.03
योग		1,683	30.62

लेखापरीक्षा के दौरान, 1,285 प्रकरणों में विभाग द्वारा व्यापार कर के कम वसूली, यानकर एवं शास्ति की अवसूली एवं अन्य अनियमितताएँ जिसमें राशि ₹ 5.76 करोड़ सन्निहित है को मान्य किया गया लेकिन कोई वसूली नहीं की गई।

“यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से यानकर का कम वसूली/अवसूली” पर एक वृहत प्रारूप कंडिका जिसमें राशि ₹ 21.40 करोड़ सन्निहित है अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5.2 "यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से यानकर का कम वसूली/अवसूली" पर वृहत कंडिका

मुख्यांश

- क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा करों के मांग एवं वसूली पंजी एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया गया।

(कंडिका 5.2.9)

- जुलाई 2011 से मार्च 2015 के मध्य कुल 2,583 पंजीकृत यात्री यानों में से 133 यात्री यानों के स्वामियों से व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का निर्धारण न करने से, प्रत्येक स्लीपर को दो सीट न मानने से, शैक्षणिक संस्थाओं से अन्यत्र उपयोग करने पर रियायती दर से कर आरोपण करने आदि के कारण यानकर की राशि ₹ 2.25 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.2.10)

- चयनित परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2010 से फरवरी 2015 तक के कुल 1,61,380 पंजीकृत वाहनों में से 5,677 वाहन स्वामियों द्वारा ना तो यान कर एवं शास्ति की राशि ₹ 19.05 करोड़ का भुगतान किया गया ना ही विभाग द्वारा कोई मांग जारी की गई।

(कंडिका 5.2.11)

5.2.1 प्रस्तावना

राज्य के कुल कर राजस्व में से परिवहन विभाग का योगदान लगभग पांच प्रतिशत है तथा मोटर यान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर यान नियम 1989, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1994 में निहित प्रावधानों अनुसार वाहनों के पंजीकरण, कर एवं शुल्कों का आरोपण एवं उदग्रहण, परमिट का जारी किया जाना, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, शास्ति का आरोपण आदि का संचालन एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। गैर-परिचालित वाहनों के पंजीकरण के समय एकमुशत कर का उदग्रहण किया जाता है, जबकि यात्रीयानों एवं मालयानों/स्कूल बसों से क्रमशः मासिक एवं त्रैमासिक कर अग्रिम में जमा किया जाता है। यात्री यानों को लोक सेवा यान एवं निजी सेवा यान में विभेद किये गये है। यात्रीयानों को उनके अनुज्ञात बैठक क्षमता, अनुज्ञात दूरी एवं सेवा के आधार पर परमिट जारी कि जाती है। मालयानों के प्रकरण में राष्ट्रीय अनुज्ञा एवं राज्य अनुज्ञा जारी किया जाता है तथा कर का आरोपण वाहन के पंजीकृत लदान भार अनुसार किया जाता है। विभाग द्वारा वाहनों के पंजीकरण एवं करों के संग्रहण हेतु वाहन (फरवरी 2011) एवं चालक/सहचालक लाईसेंस हेतु सारथी (दिसम्बर 2010) साफ्टवेयर को लागू किया गया। मार्च 2015 के अंत तक राज्य में विभिन्न प्रकार के कुल 34,86,839¹ वाहन पंजीकृत थे।

¹ 45,283 यात्रीयान; 1,42,966 मालयान; 42,092 मोटरकैब/टेम्पो/तिपहिया आटो; 30,18,008 दुपहिया/कार/जीप; 1,42,226 ट्रेक्टर; 944 स्कूल बस एवं 95,320 अन्य वाहन

5.2.2 विभागीय संरचना

मुख्यालय स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के दिशा-निर्देशों पर परिवहन विभाग कार्य करती है, जिसके सहयोग के लिए एक अतिरिक्त प.आ., एक सह आयुक्त, एक सहायक आयुक्त एवं एक उपसंचालक (वित्त) होते हैं। इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ), दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति.क्षे.प.अ.) और 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते हैं। इसके अतिरिक्त 15 जांच चौकी एवं एक उप-जांच चौकी संबंधित क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में हैं।

विभाग में विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यों का विवरण नीचे तालिका 5.2 में वर्णित है:

तालिका 5.2

स्तर	कार्य
परिवहन आयुक्त	नितियों का निष्पादन एवं लागू करना, निदेशन एवं प्रशासन, करों में बदलाव हेतु प्रस्ताव देना आदि हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकरणों में दिये गये आदेशों के सुनवाई हेतु अपिलिय अधिकार है।
	परमिट जारी करना, लाइसेंस जारी करना, वाहनों के पंजीकरण एवं यानकर का निर्धारण और उदग्रहण हेतु उत्तरदायी है।
अति.क्षे.प.अ. /जि.प.अ.	परमिट जारी करना छोड़कर क्षे.प.अ. द्वारा किये गये समस्त कार्यों से संबंधित निष्पादन करना। अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों का परमिट क्षे.प.अ. द्वारा जारी किया जाता है।

5.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का कार्य यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया कि:

- करों के निर्धारण, उदग्रहण एवं शासकीय खाते में प्रेषण की प्रणाली विद्यमान है तथा कार्य सुचारू रूप से कर रहें हैं;
- परमिट/एन.ओ.सी./फिटनेस आदि हेतु अधिनियम/नियम में प्रावधानित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है; और
- विभाग डिमांड नोटिस को जारी करने में त्वरित कदम उठाती है, कर का समय में प्रेषण होता है और आंतरिक नियंत्रक समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं।

5.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

नीचे दर्शाया गए अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों के उपबंध का उपयोग लेखापरीक्षा मापदण्ड हेतु किया गया है:

- मोटर यान अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- इस अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत समय-समय पर जारी किये गये कार्यकारी आदेशों।

5.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा का कार्य माह मई एवं जुलाई 2015 के मध्य वर्ष 2010-11 से 2014-15 के अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा के दौरान हमने राज्य के 22 क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. में से नौ इकाइयों² का चयन घ्यान सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय यानि राज्य परिवहन प्राधिकरण के अभिलेखों की भी जांच की। इसके अलावा सामान्य लेखापरीक्षा (अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं जि.प.अ. महासमुंद) के दौरान पायी गई अनियमितताएं को भी अद्यतन कर उचित जगह में वर्णित किया गया है। लेखापरीक्षा का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र का चर्चा प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त से दिनांक 15 जून 2015 को अंतर्गमन सम्मेलन में किया गया। वृहत प्रारूप कंडिका पर चर्चा प्रमुख सचिव से दिनांक 07 अक्टूबर 2015 को बहिर्गमन सम्मेलन में किया गया। जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण निष्कर्ष और अनुशंसाएं पर चर्चा की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक रूप से संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

5.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों और जानकारी को उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा कार्य अल्प समय में बिना विलंब के संपादन पर परिवहन विभाग के सहयोग की अभिस्वीकृत करता है।

5.2.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य यानकरों के बजट अनुमान (ब.अ.), वास्तविक प्राप्तियों (व.प्र.) का विवरण नीचे तालिका 5.3 में वर्णित है:

तालिका 5.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान(ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ (व.प्र.)			ब.अ. एवं व.प्र. के अंतर अधिक्क(+)/कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	गत वर्ष की तुलना में वर्ष के वा.प्र. के अंतर का प्रतिशत
		यात्री एवं माल यानों	अन्य यानों	योग			
2010-11	410.00	15.04	412.48	427.52	17.52	4.27	...
2011-12	475.00	22.01	480.17	502.18	27.18	5.72	17.46
2012-13	605.71	28.00	563.75	591.75	(-) 13.96	(-) 2.30	17.84
2013-14	731.38	27.07	624.00	651.07	(-) 80.31	(-) 10.98	10.02
2014-15	800.00	39.05	664.43	703.48	(-) 96.52	(-) 12.07	8.05

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में ब.अ. के विरुद्ध लक्ष्य प्राप्त कर लिये थे, जबकि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मध्य ब.अ. लक्ष्य प्राप्त करने

² क्षे.प.अ., अंबिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर, अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं राजनांदगांव, जि.प.अ. कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़

में विफल रहा। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान ब.अ. एवं व.प्र. का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक था। अतः विभाग द्वारा ब.अ. तैयार करने में एकरूपता का पालन नहीं किया गया। आगे, वर्ष 2012-13 में गत वर्ष के व.प्र.का दर 17.84 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014-15 में 8.05 प्रतिशत हो गई।

विभाग ने अपने उत्तर (मई 2015) में कहा कि सितम्बर 2013 से कर की दर में कमी होने के कारण ब.अ. की प्राप्ति नहीं कि जा सकी।

5.2.8 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2015 की स्थिति में बकाया राजस्व राशि ₹ 10.35 करोड़ थी, जिसमें से पांच वर्ष से अधिक बकाया ₹ 3.52 करोड़ थी। अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति तालिका 5.4 में नीचे दर्शित है:

तालिका 5.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	वर्ष में जारी की गई मांग	वर्ष के दौरान वसूल राजस्व	बकाया का अंत शेष
2010-11	3.52	5.05	5.09	3.48
2011-12	3.48	11.17	4.65	10.00
2012-13	10.00	3.67	7.49	6.18
2013-14	6.18	8.85	7.84	7.19
2014-15	7.19	20.06	16.90	10.35

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि विभाग 30 नवम्बर 2015 तक बकाया एवं शास्ति का एकमुस्त वसूली किये जाने हेतु योजना बना रही है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने नौ परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों के जांच की और पाया कि 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल 35,719 यात्रीयानों, 1,25,345 मालयानों, 316 स्कूल बसों एवं 5,795 मोटरकैब/जीपें पंजीकृत थे। इन पंजीकृत वाहनों में से लेखापरीक्षा द्वारा 5,706 यात्रीयानों, 7,387 मालयानों, 207 स्कूल बसों एवं 550 मोटरकैब/जीपों का नमूना जांच कि। हमने 5,853 वाहनों में यानकरों की कमवसूली/अवसूली, 28 वाहनों का बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त के परिचालित इत्यादि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

5.2.9 कर के मांग एवं वसूली पंजी एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजी का संधारण/अद्यतन न किया जाना

विभाग में कर के मांग एवं वसूली पंजी एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया जा रहा है।

मई 2015 से जूलाई 2015 के मध्य चार इकाइयों³ के कर के मांग एवं वसूली पंजी/पंजीयन प्रमाण पत्र की पंजी के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि विभाग द्वारा करों के मांग एवं वसूली पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया जा रहा है, जो कि छ.ग.म.क. अधिनियम के धारा 22 सहपठित छ.ग.म.क. नियम के अनुसार बाध्यकारी है। आगे पंजीकरण प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण ठीक से नहीं किया जा रहा है। कुल फेरा दूरी, सेवा के प्रकार, अवधि जिस दौरान वाहन आफ-रोड़ रहा, बसों के ओल्डरहैंग, अंदर कमरे की लंबाई चौड़ाई, इन विवरणों को इंद्राज करने वाले कर्मचारी का नाम पदनाम एवं क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. की प्रविष्टि पंजीयन प्रमाण पत्र के पंजी में नहीं किया जा रहा है, जो कि करारोपण एवं कोई त्रुटि होने की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारण करने हेतु अति आवश्यक है। इनका पालन न करने से छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 51-क के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि अधिनियम/नियमों में प्रावधानित वांछित अभिलेखों के संधारण करने हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों को निर्देश दे दिये गये हैं।

5.2.10 कर की कम वसूली

जूलाई 2011 से मार्च 2015 के मध्य कुल 2,583 पंजीकृत यात्रीयानों में से 133 यात्रीयान स्वामियों से व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का निर्धारण न करने, एक स्लीपर को दो सीट न मान कर करारोपण करने से, शैक्षणिक संस्थाओं से इतर प्रयोज कर रियायत दर पर मान्य किये जाने के फलस्वरूप यानकर राशि ₹ 2.25 करोड़ का कम वसूली हुई।

छ.ग.म.क. अधिनियम के धारा 3 अनुसार राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण प्रथम अनुसूची के सरल क्र.4 में विनिर्दिष्ट दर से किया जायगा। अधिनियम के धारा 13(1) अनुसार अगर वाहनस्वामी द्वारा कर का संदाय नहीं किया गया है तो शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त कर की असंदत्त रकम के एक-बारहवें की दर से, किन्तु कर की बकाया तथा असंदत्त रकम के बराबर से अनाधिक, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा। जहां कोई वाहन स्वामी इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो करारोपण प्राधिकारी उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

जूलाई 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य सात⁴ इकाइयों के कर की मांग एवं वसूली पंजी, पंजीकरण प्रमाण पत्र के पंजी, परमिट फाईल एवं cgtransport.org पोर्टल के नमूना जांच के दौरान हमने देखा (मई एवं जूलाई 2015 के मध्य) कि कुल 2,583 पंजीकृत यात्री यानों में से 133 यानों से यानकर का कम वसूली हुआ, जो नीचे उल्लेखित है।

³ क्षे.प.अ., अंबिकापुर, अति.क्षे.प.अ., दुर्ग, जि.प.अ., रायगढ़ एवं क्षे.प.अ. रायपुर

⁴ क्षे.प.अ., अंबिकापुर एवं रायपुर; अति.क्षे.प.अ., दुर्ग; जि.प.अ., कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़

5.2.10.1 हमने अति.क्षे.प.अ., दुर्ग कार्यालय में देखा कि जुलाई 2011 से मार्च 2015 के दौरान एक वाहन स्वामी द्वारा 18 बसों को रियायत दर ₹ 30 प्रति सिट प्रति तिमाही के दर से यानकर का भुगतान कर रहा था। इन बसों को शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन में उपयोग किया जा रहा था।

चूंकि ये बसें किसी शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत नहीं थे, कर की रियायती दर तभी मान्य थी जब यह सुनिश्चित हो की वाहन का उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन हेतु किये गये थे। अभिलेखों में इसका कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। अति.क्षे.प.अधि. से अनुरोध करने पर भी उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार छ.म.क.अ. के अनुसूची एक के प्रविष्ट सात अनुसार ₹ 600 प्रति सिट प्रति तिमाही के दर से आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः राशि ₹ 61.37 लाख का कम कर वसूली हुआ साथ ही शास्ति ₹ 55.23 लाख भी आरोपणिय है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि इन बसों का शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे, लेकिन इन बसों का प्रयोज शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन हेतु किया गया है। तदानुसार रियायत दर पर कर वसूल किया गया। शासन का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन बसों को शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन करने हेतु साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

5.2.10.2 हमने पांच⁵ ईकाइयों में देखा की जि.प.अ./क्षे.प.अ. द्वारा सामान्य सेवा हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित बैठक क्षमता अनुसार कर का संदाय किया जा रहा है। यह शासन के अधिसूचना (जुलाई 2012) का उल्लंघन था, जो यह व्याख्या करता है कि साधारण प्रक्रम सेवा यानों के कर का संदाय उनके व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का गणना कर किया जाना चाहिए। अवधि दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2013 के मध्य 90 वाहनों का कर का संदाय व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का ज्ञात न कर किये जाने से राशि ₹ 11.36 लाख का कम यानकर वसूली हुआ, साथ ही शास्ति ₹ 11.36 लाख भी आरोपणीय है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा व्हीलबेस अनुसार कर का संदाय करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

5.2.10.3 हमने अति.क्षे.प.अ., दुर्ग में पाया कि 23 बसों द्वारा बिना स्लीपर को दो सीट मानते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित सिटों तथा स्लीपरों अनुसार कर का संदाय किया जा रहा था। शासन के अधिसूचना (जनवरी 2013) अनुसार कर के उदग्रहण हेतु प्रत्येक स्लीपर को दो सीट मान कर किया जाना था। अधिसूचना का पालन न करने के कारण अवधि सितम्बर 2013 से मार्च 2014 के बीच राशि ₹ 39.54 लाख का कम यानकर वसूल हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 39.54 लाख भी आरोपणीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि संबंधित परिवहन अधिकारी से इस संबंध में जवाब मांगा गया है, तदुपरांत उचित कार्यवाही की जावेगी।

5.2.10.4 हमने क्षे.प.अ., रायपुर में हमने देखा कि एक बस 18 सीट एवं 17 स्लीपर में पंजीकृत थी। जुलाई 2013 में उडन दस्ता द्वारा भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन में पाया

⁵ जि.प.अ. कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ एवं क्षे.प.अ. रायपुर

गया कि उक्त बस में 18 सीट एवं 23 स्लीपर होना पाया गया। जबकि, क्षे.प.अ. कर की गणना करते वक्त उडन दस्ता के प्रतिवेदन में संज्ञान न रखते हुए 18 सीट तथा 13 स्लीपर मानकर मांग हेतु डिमांड नोटिस जारी किया गया। अतः बगैर कोई कारण अभिलिखित कर क्षे.प.अ. द्वारा बैठक क्षमता को कम करने के फलस्वरूप अवधि जनवरी 2013 एवं जून 2014 के मध्य राशि ₹ 1.09 लाख का यानकर कम वसूल हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 1.07 लाख भी आरोपणीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि इस संबंध में संबंधित परिवहन अधिकारी से जवाब मांगा गया है।

5.2.10.5 हमने जि.प.अ., कांकेर में देखा कि एक बस डिलक्स सेवा, रायपुर से जगदलपुर और वापसी (कुल फेरा— 608 कि.मी.) बैठक क्षमता 29 सीट हेतु पंजीकृत थी। नवम्बर 2013 में अन्य बस जिसकी बैठक क्षमता 55 सीट थी डिलक्स सेवा हेतु प्रतिस्थापित किया गया। जबकि वाहन स्वामी द्वारा प्रतिस्थापित बस की अवधि दिसम्बर 2013 से जूलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 से मार्च 2015 के मध्य डिलक्स सेवा हेतु आरोपणीय यान कर राशि ₹ 4.16 लाख के स्थान पर साधारण सेवा अनुसार यान कर राशि ₹ 1.51 लाख का भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 2.66 लाख के यान कर की कम वसूली हुई। साथ ही शास्ति ₹ 1.82 लाख भी आरोपणीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि इस संबंध में संबंधित परिवहन अधिकारी से जवाब मांगा गया है।

5.2.11 कर की अवसूली

अप्रैल 2010 से फरवरी 2015 के मध्य चयनित परिवहन ईकाईयों से संबंधित कुल 1,61,380 पंजीकृत वाहनों में से 5,677 वाहन स्वामियों द्वारा यान कर एवं शास्ति ₹ 19.05 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा कोई मांग की गई।

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के मध्य नौ⁶ ईकाईयों के करों के मांग एवं वसूली पंजी, cgtransport.org पोर्टल एवं वाहन साफ्टवेयर के नमूना जांच (मई एवं जून 2015 के मध्य) में पाया गया कि 31 मार्च 2015 की स्थिति में 5,148 मालयानों, 287 यात्रीयानों, 133 स्कूल बसों⁷ एवं 109 मोटरकैब/जीपों⁸ से क्रमशः यान कर राशि ₹ 9.93 करोड़, ₹ 95.13 लाख, ₹ 10.54 लाख एवं ₹ 8.39 लाख की वसूली नहीं हुई थी। आगे वाहन स्वामियों द्वारा आफ-रोड हेतु कोई भी घोषणा नहीं दी गई थी। जैसा कि वाहन स्वामियों से यान कर वसूलनीय थी, क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा छ.ग.म.क.अ. के धारा 15(1) में निहित प्रावधानों अनुसार वाहन स्वामी को मांग पत्र जारी करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 11.07 करोड़ यानकर अवसूल रही। साथ ही अधिनियम के धारा 13(1) के अधीन शास्ति ₹ 7.98 करोड़ भी वसूलनीय थी।

⁶ क्षे.प.अ., अंबिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर; अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं राजनांदगांव; जि.प.अ., कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़

⁷ क्षे.प.अ., अंबिकापुर, अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं जि.प.अ., रायगढ़

⁸ जि.प.अ., कांकेर; जि.प.अ., कोरबा; जि.प.अ., महासमुंद एवं जि.प.अ., रायगढ़

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि बकाया के समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को कर का संदाय समय पर करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

5.2.12 फिटनेस प्रमाण पत्र बिना वाहनों का परिचालन

अटार्डिस परिवहन वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के परिचालन में थे।

तीन⁹ ईकाईयों के अवधि 2011-12 से 2014-15 के कुल 27,490 पंजीकृत परिवहन वाहन में से 290 वाहनों के फिटनेस अभिलेखों के जांच (जून एवं जूलाई 2015 के मध्य) में हमने देखा कि मार्च 2015 की स्थिति में 11 यात्री यानों एवं 17 मालयानों बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के मार्गों में परिचालन में थे। इस वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र दिसम्बर 1983 एवं फरवरी 2015 के मध्य अवशान हो गये थे। यह मोटर यान अधिनियम के धारा 56 का उल्लंघन था, जिसमें यह प्रावधानित है कि कोई परिवहन वाहन धारा 39 के अधीन प्रयोजनों के लिए तभी विधिमान्यतः पंजीकृत समझा जायगा जब इस उपधारा (2) के अंतर्गत किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा यह कि वाहन उस समय की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

इसे जि.प.अ. द्वारा यह ध्यान नहीं दिया कि इन वाहनों के फिटनेस समाप्त हो गये हैं। बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र के इन वाहनों के परिचालन जन सुरक्षा एवं लोकधन के लिए जोखिम है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान तथ्य को स्वीकारते हुए शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि संबंधित कार्यालयों से इस संबंध में उत्तर मांगा गया है एवं वाहन स्वामी पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

5.2.12 बकाया वसूल किये बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना

विभाग द्वारा वाहन स्वामी से बिना शोधय यानकर वसूले बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किया गया।

अति.क्षे.प.अ., दुर्ग के अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजी के नमूना जांच (जून 2015) के दौरान हमने देखा कि एक बस को मध्य प्रदेश के लिए स्थानांतरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी (मार्च 2009) किया गया। आगे विभाग के cgtransport.org पोर्टल में हमने देखा कि वाहन स्वामी द्वारा माह दिसम्बर 2003 में ₹ 8000 का यान कर जमा किया। करों के मांग एवं वसूली पंजी एवं पोर्टल की जांच में यह पाया गया कि जनवरी 2004 से मार्च 2009 के बीच वाहन स्वामी द्वारा कोई कर जमा नहीं किया गया था।

मोटर यान अधिनियम के धारा 48 सहपठित केंद्रीय मोटरयान नियम के नियम 58 के अनुसार कराधान प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उस मोटर यान से संबंधित बकाया कर की वसूली कर ली गई है, जिस वाहन को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जबकि अति.क्षे.प.अ. द्वारा प्रति माह ₹ 8,000 की दर से 63 माहों का यानकर राशि ₹ 5.04 लाख के वसूली किये बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। इसके अलावा शास्ति राशि ₹ 5.04 लाख भी वसूलनीय थी।

⁹ जि.प.अ. कांकर, कोरबा एवं रायगढ़

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय को इस संबंध में जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया है।

5.2.14 शासकीय प्राप्तियों का विलंब से प्रेषण

उड़न दस्ता द्वारा वाहन स्वामियों से प्राप्त राशियों का प्रेषण पांच से 20 दिन विलंब से किया जाना

वर्ष 2014-15 के तीन¹⁰ ईकाईयों के उड़न दस्ता द्वारा संधारित चालानों के नमूना जांच (मई एवं जूलाई 2015 के मध्य) में हमने पाया कि उड़न दस्ता द्वारा संग्रहित राशि को बैंक में प्रेषण पांच से 20 दिन के विलंब से किया गया।

उड़न दस्ता द्वारा नियमित रूप से शासकीय प्राप्तियों को विलंब से जमा किया जाता है जो कि छ.ग. वित्त संहिता के नियम 3 एवं 4 एवं छ.ग.कोषालय संहिता के भाग-1 के उपनियम 7 के विरुद्ध है, जो यह प्रावधानित करता है कि ऐसी राशि जो राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा का भाग हो उसे तत्काल अविलंब से कोषालय/बैंक में जमा किया जाना चाहिए। परन्तु विभाग द्वारा ऐसी कोई रीति विकसित नहीं कि गई, जिससे यह विलंब से बचा जा सके।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि प्रत्येक उड़न दस्ता एवं जांच चौकी हेतु पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। समस्त उदग्रहित राशि को बैंक खातों में 48 घंटे के अंदर इलेक्ट्रानिक मोड से हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

5.2.15 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.श.) का गठन इस उद्देश्य से किया जाता है कि समस्त अधिनस्थ कार्यालयों का आंतरिक जांच किया जा सके तथा जांच के दौरान पाये गये अनियमितताएँ हेतु सुधारात्मक कार्यवाही कर सके ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा किये गये लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 5.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.7

वर्ष	अंकेक्षण हेतु चयनित कार्यालयों की संख्या	चयनित कार्यालयों के विरुद्ध अंकेक्षित कार्यालयों की संख्या	जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवदेनों की संख्या	क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा भेजे गये पालन प्रतिवदेनों की संख्या
2010-11	16	06	06	06
2011-12	16	06	06	06
2012-13	16	15	15	11
2013-14	17	10	10	08
2014-15	21	05	05	05
योग	86	42	42	36

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार)

¹⁰ क्षे.प.अ. अंबिकापुर; अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं क्षे.प.अ. रायपुर

तालिका 5.7 से स्पष्ट है कि आ.ले.प.श. द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य 86 कार्यालयों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था, जिसमें से मात्र 42 कार्यालयों का ही लेखापरीक्षा किया जा सका। चयनित कार्यालयों के विरुद्ध वास्तविक लेखापरीक्षा की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम थी। आगे, क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के छह पालन प्रतिवेदनों को दो साल से अधिक बीतने के बावजूद भी नहीं भेजे गये।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2015) में कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

5.2.16 निष्कर्ष

विभाग के लिए मोटर यान करों की प्राप्ति एक जोखिम भरा मुद्दा है। विभाग द्वारा अधिनियमों/नियमों को पालन नहीं किया गया। हमारी राय में विभाग में विद्यमान प्रणाली को उद्यतन करने हेतु तत्काल अवलोकन की आवश्यकता है। हमने देखा कि:

- प्रणाली में खामियों तथा उचित निगरानी की कमियों के कारण विभाग यात्री यानों एवं मालयानों से कर का आरोपण तथा संग्रहण नहीं किया गया।
- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध बसे बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के परिचालित थे।
- अंकेक्षण किये जाने वाले कार्यालयों के विरुद्ध किये गये कार्यालयों का अंकेक्षण, प्राप्तियों के प्रेषणों में विलंब इत्यादि से यह परिलक्षित होता है कि विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा कमजोर है।

अध्याय छ: अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ

खण्ड अ: वानिकी एवं वन्य जीवन

6.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) वन विभाग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय पर आठ अति.प्र.मु.व.सं. एवं 16 प्र.व.सं. होते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र को छः वन वृत्तों में विभक्त किया गया है जिसके प्रमुख वन संरक्षक होते हैं। इन वन वृत्तों को पुनः वनमंडलों में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा मैदानी कार्य में उसकी सहायता हेतु उप वनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) एवं परिक्षेत्राधिकारी (प.अ.) होते हैं।

वन विभाग निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्तियों का संचालन करते हैं:-

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियमों;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1960 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियमों;
- वन वित्तीय नियम; एवं
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014-15 में वन प्राप्तियों के कुल 60 इकाइयों में से 12 इकाइयों के नमूना जांच किये जिसमें से वनोपज के अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति, वनोपज की कमी/गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, काष्ठ का कम उत्पादन आदि के 343 प्रकरणों जिनमें ₹ 14.90 करोड़ सन्निहित थी, जिसका श्रेणीवार विवरण निम्न तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	कुल प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर वनोपज के विक्रय करने से राजस्व की कम प्राप्ति	12	1.53
2	वनोपज के गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति	165	1.48
3	काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	12	1.87
4	अन्य अनियमिततायें	154	10.02
योग		343	14.90

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने 72 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 7.35 करोड़ सन्निहित थे को स्वीकार किया है।

कुछ उल्लेखित प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 16.60 लाख सन्निहित थे, को अनुवर्ती कडिकाओं में वर्णित किया गया है।

6.3 काष्ठ प्रचयों को तैयार एवं विक्रय करना

6.3.1 नीलाम किये जाने हेतु प्रचयों को तैयार करने हेतु विभागीय निर्देशों का पालन न किया जाना

विक्रय हेतु शुद्ध काष्ठ प्रचयों को तैयार करने हेतु विभागीय निर्देशों का पालन न करने के कारण प्रचयों का विक्रय विलंब से होना जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 11.57 लाख की राजस्व हानि हुई।

वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.), दंतेवाड़ा के काष्ठ नीलाम, सामग्री सूची एवं उससे संबंधित अन्य अभिलेखों के नमूना जांच (दिसम्बर 2013) किये जाने पर देखा गया कि सितम्बर 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कुल 12 नीलामों में से 9 नीलामों में कुल 24 मिश्रित श्रेणी एवं 28 मिश्रित साल श्रेणी के प्रचयों जिसमें 193.786 घन मिटर सन्निहित थे को नीलामी हेतु रखा गया। इन मिश्रित प्रचयों में तीन से छह लंबाई वर्ग, तीन से आठ छाती गोलाई वर्ग एवं तीन से चार वर्ग के अलावा अनसाऊन्ड श्रेणी के काष्ठ भी थे। प्रचयों के तैयारी में लट्टों एवं बल्लीयों को भी मिलाया गया।

यह प्र.मु.व.सं. के निर्देशों (फरवरी 2010) के विपरीत था, जो यह प्रावधानित करता है कि प्रचय को तैयार करते वक्त एक ही लंबाई वर्ग के काष्ठ को सम्मिलित किया जाय ताकि नीलामी के समय विक्रय पर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके। छाती गोलाई वर्ग को एक या अधिकतम उससे एक वर्ग अधिक का मिश्रण किया जा सकता है। व.सं., जगदलपुर ने भी (अगस्त 2011) में यह आदेश दिये थे कि संभवतः शुद्ध प्रचयों तैयार करें क्योंकि मिश्रित प्रचय के विरुद्ध शुद्ध प्रचय का विक्रय मूल्य अधिक होता है।

व.मं.अ. द्वारा शुद्ध प्रचयों को तैयार करने हेतु प्र.मु.व.सं. के निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया। व.सं., जगदलपुर द्वारा काष्ठ के नीलामी की स्विकृति देते वक्त भी इसका ध्यान नहीं रखा गया। निर्धारित सीमा से अधिक विभिन्न लंबाई¹, छाती गोलाई² एवं श्रेणी³ को मिश्रण करने से काष्ठ के विक्रयों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रचयों को प्रथम नीलामी में विक्रय नहीं किया जा सका एवं आगामी नीलामों (प्रथम नीलामी के दो से नौ माह बाद) में अवरुद्ध दर⁴ से 15 से 61 प्रतिशत नीचे में विक्रय किया जाना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11.57 लाख का राजस्व हानि हुआ, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि विदोहन पश्चात् दोनों उच्च एवं निम्न श्रेणीयों के काष्ठ प्राप्त हुए। सर्वप्रथम उच्च श्रेणीयों के काष्ठों का तैयार किया गया एवं उसके पश्चात् निम्न श्रेणीयों के काष्ठों का मिश्रित प्रचय नीलामी हेतु तैयार किये गये। इन प्रचयों का विभागीय निर्देशों अनुसार ही विक्रय किया गया है। निम्न श्रेणीयों के शुद्ध प्रचय तैयार नहीं किये गये क्योंकि इनके विक्रय पर हानि होने कि संभावना थी।

¹ काष्ठ को 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-6 एवं 6 मीटर से ऊपर लंबाई वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। साल श्रेणी हेतु 0-2, 2-3, 3-5 एवं 5 मीटर से ऊपर लंबाई वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

² काष्ठ को 21-30, 31-40 (बल्ली) 41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 121-135, 136-150 एवं 150 सेंटीमीटर (लट्टा) से ऊपर गोलाई वर्ग। साल श्रेणी हेतु 31-40, 41-50 (बल्ली), 51-60, 61-90, 91-120 एवं 120 सेंटीमीटर (लट्टा) से ऊपर गोलाई वर्ग में किया गया है।

³ काष्ठ को III, III A, III B, IV, IV A, IV B एवं अनसाऊन्ड में वर्गीकृत किया गया है।

⁴ अवरुद्ध दर प्रत्येक काष्ठ प्रचयों का आरक्षित दर है, जिसे प्रथम नीलामी में उससे निचे में विक्रय नहीं किया जा सकता।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्र.मु.व.सं. ने यह देखा (फरवरी 2010) है कि विभिन्न लंबाईयों, गोलाई एवं श्रेणीयों के मिश्रण से काष्ठों के विक्रय मूल्यों में गिरावट आती है इसलिए यह निर्देशित किया कि एक प्रचय में एक ही लंबाई वर्ग के काष्ठ सम्मिलित हो एवं छाती गोलाई एवं श्रेणी वर्ग में अधिकतम एक वर्ग ऊपर/निचे कि भिन्नता हा सकती है। जबकि, प्रावधानित सीमा के विरुद्ध मान्य दो श्रेणीयों के विरुद्ध तीन से छह श्रेणीयों का मिश्रण कर प्रचयों को तैयार किया गया। आगे इन मिश्रित प्रचयों में से छह अलग लंबाई वर्ग एवं तीन से सात गोलाई वर्गों के काष्ठ का भी मिश्रण किया गया।

6.3.2 काष्ठों का गैर-वाणिज्यिक दर से नीचे दर पर विक्रय किया जाना

काष्ठ प्रचयों के नीलामी में गैर-वाणिज्यिक दर से निचे में विक्रय करने पर ₹ 5.03 लाख राजस्व की हानि हुई।

प्र.मु.व.सं. द्वारा जारी निर्देशों (नवम्बर 2005) अनुसार काष्ठों का गैर-वाणिज्यिक दर का निर्धारण काष्ठ के श्रेणीयों के गोलाई वार आयतन को डिपों में प्राप्त गोलाई वार औसतन दर से गुणा करने के पश्चात् काष्ठों के विदोहन एवं उसके डिपों में परिवहन को घटाने के बाद प्राप्त दर होंगे। वास्तविक में काष्ठ का गैर-वाणिज्यिक दर खड़े वृक्ष का मूल्य होता है।

वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.), दंतेवाड़ा के नीलामी, गैर-वाणिज्यिक दरों के निर्धारण एवं उनसे संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच (दिसम्बर 2013) में देखा गया कि सितम्बर 2011 एवं जनवरी 2013 के मध्य 11 नीलामी में से आठ नीलामी में 39 प्रचयों जिसमें 160.295 घनमीटर साल काष्ठों सम्मिलित थे का विक्रय उनके प्रथम नीलामी में रखे जाने के दो से पांच माह के भीतर किया गया। इन काष्ठों का अवरुद्ध दर ₹ 25.47 लाख के विरुद्ध मात्र ₹ 16.87 लाख ही विक्रय राशि प्राप्त हुई।

संदर्भित वर्ष के गैर-वाणिज्यिक दर अनुसार इन काष्ठों का मूल्य ₹ 21.90 लाख था। अतः इन काष्ठों का विक्रय से प्राप्त राशि खड़े वृक्ष के गैर-वाणिज्यिक मूल्य से भी कम था। विभाग द्वारा प्रथम नीलामी के छह माह के भीतर काष्ठों के विक्रय के समय गैर-वाणिज्यिक मूल्य को लेखा में नहीं लिया गया। अतः विभाग द्वारा मूल्यवान काष्ठों एवं साल के विक्रय के समय गैर-वाणिज्यिक दर का ध्यान न रखने के कारण राजस्व राशि ₹ 5.03 लाख की हानि हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि काष्ठ प्रचयों के प्रथम नीलामी के दौरान प्राप्त विक्रय मूल्य अवरुद्ध मूल्य अनुसार नहीं मिल सका। पश्चातवर्ती नीलामी में विक्रय मूल्य शासन के निर्देशानुसार अनुमोदन किये गये थे। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि गैर-वाणिज्यिक दर से कम दर पर विक्रय करने पर शासन को राजस्व ही हानि हुई। विभाग को यह सुनिश्चित करना था की काष्ठों के नीलामी से कम से कम गैर-वाणिज्यिक मूल्य प्राप्त हो सके।

6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा (आं.ले.प.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सह संगठन को आश्वासन देने योग्य बनाता है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार कुल पांच स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल तीन कार्यरत थे। वर्ष 2014-15 के दौरान आं.ले.प.श. द्वारा 17 ईकाइयों का निरीक्षण हेतु योजना बनाई गई जिसमें से सभी 17 इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इन 17 इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवदेनों के 31 प्रेक्षणों में कुल राशि ₹ 10.62 लाख के वित्तीय

अनियमिततायें इंगित किये गये। विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में कहा कि स्थानीय कार्यालयों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

वर्ष 2014-15 के समाप्ति के तीन माह बीत जाने के पश्चात् भी आं.ले.प.श. द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर प्राप्त न होना इंगित करता है कि विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

खण्ड ब: अलौह खनिज एवं खनिकर्म उद्योग

6.5 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, खनिज संसाधन विभाग संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त सह-संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख.) खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख है जिनकी सहायता हेतु एक अतिरिक्त निर्देशक, खनिज प्रशासन (अति.स.ख.प्र.) 26 जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), 19 सहायक खनन अधिकारी (स.ख.अ.) एवं 65 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) होते हैं।

खनिज राजस्व निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासीत होते हैं:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960; एवं
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996

6.6 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014-15 में खनिज संसाधन विभागों के 16 इकाईयों में से आठ कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जांच किये जिसमें राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/कम प्राप्ति, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ इत्यादि के 1,016 प्रकरणों में जिसमें राशि ₹ 22.94 करोड़ सन्निहित थे, जो की नीचे तालिका 6.2 में वर्णित है:-

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण	207	1.80
2.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/कम प्राप्ति	50	17.64
3.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	35	0.14
4.	अन्य अनियमितताएँ	724	3.36
योग		1,016	22.94

वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ के 329 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 1.33 करोड़ सन्निहित थे को माना है।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरण जिसमें राशि ₹ 7.06 करोड़ सन्निहित है का वर्णन अनुवर्ती कड़िकाओं में किया गया है

6.7 औसत वार्षिक राज्यांश की गलत परिगणना करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम प्राप्ति

खनिपट्टा विलेख के पंजीकरण हेतु औसत वार्षिक राज्यांश की गलत परिगणना किया गया। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 6.92 करोड़ का अवरोपण हुआ।

हमने कार्यालय जिला खनिज अधिकारी, सरगुजा के 13 खनिपट्टों के नमूना जांच (जनवरी 2015) करने पर देखा गया कि एक कंपनी के पक्ष में कोयला खनन हेतु 30 वर्ष के लिए खनिपट्टा का निष्पादन (मई 2012) किया गया। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण हेतु पट्टा अवधि के प्रथम पांच वर्षों के लिए औसत अनुमानित उत्पादन 7.4 मिलियन टन के आधार पर औसत वार्षिक राज्यांश ₹ 62.16 करोड़ निर्धारण किया गया। तदनुसार पट्टेदार से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि क्रमशः ₹ 16.32 करोड़ एवं ₹ 11.66 करोड़ का आरोपण कर वसूल की गई।

राज्य शासन ने निर्देश जारी (नवम्बर 2011) कर समस्त उपसंचालक, खनिज एवं खनिज अधिकारियों को निर्देशित किया था की खनिपट्टा के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का गणना भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के धारा 35 के अनुसूची एक अ अनुरूप पट्टेदार द्वारा आवेदन पत्र में दर्शित उत्खनन मात्रा या खनन योजना (माईनिंग प्लान) में दर्शाये गये मात्रा जो भी अधिक हो अनुसार औसत वार्षिक राज्यांश गणना कर लिया जावेगा।

अभिलेखों के अग्रेतर जांच में पाया गया कि खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि में अनुमानित औसत उत्पादन 9.23 मिलियन टन⁵ प्रति वर्ष था। इस अनुसार औसत वार्षिक राज्यांश ₹ 77.53 करोड़ अनुसार वसूलनीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि क्रमशः ₹ 20.35 करोड़ एवं ₹ 14.54 करोड़ होती है। अतः औसत वार्षिक राज्यांश गणना करने हेतु संपूर्ण पट्टा अवधि न लिये जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 6.92 करोड़ का कम प्राप्ति हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.3** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि अपेक्षित औसत वार्षिक राज्यांश की गणना खनन योजना में निर्दिष्ट पट्टा अवधि के प्रथम पांच वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुसार किया गया है। नवम्बर 2011 में जारी आदेशानुसार पट्टेदार द्वारा एक घोषणा पत्र कि अगर पट्टा अवधि के दौरान उत्खनित मात्रा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो राज्यांश की राशि में आई परिवर्तन के कारण मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि जमा करने का उल्लेख है।

वर्ष	खनन योजना अनुसार प्रति वर्ष उत्खनित खनिज की मात्रा (मी. टन में)
प्रथम वर्ष	0.00
द्वितीय वर्ष	2.00
तृतीय वर्ष	5.00
चतुर्थ वर्ष उपरांत तीसरे वर्ष तक	10.00 प्रति वर्ष
योग	277.00
संपूर्ण पट्टा अवधि में औसत वार्षिक उत्खनित मात्रा (मी.टन में)	9.23

5

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि भारतीय मुद्रांक अधिनियम 35 यह प्रावधानित करता है कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण संपूर्ण पट्टा अवधि में औसत वार्षिक राज्यांश अनुसार किया जायगा। इस प्रकरण में खनन योजना में वार्षिक उत्खनित मात्रा 49 वर्षों के लिए प्रावधानित है। साथ ही खनन योजना अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष को छोड़कर औसत वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन टन था। इस प्रकार पहले पांच वर्षों का औसत संपूर्ण पट्टा अवधि के औसत से कम था। अतः पूर्ण अवधि के उत्खनित मात्रा के विरुद्ध निम्नतर मात्रा पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का उदग्रहण करना शासकीय राजस्व के हित में नहीं था।

6.8 उत्खनि पट्टे में खनिजों के उत्खनन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि वसूलने का प्रावधान न होना।

आवेदन में उल्लेखित मात्रा से 15 से 43 गुणा अधिक गौण खनिजों का उत्खन्न किया गया। आगे उत्खनि पट्टा में आवेदित मात्रा से अधिक उत्खन्न पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अंतर की राशि की वसूली का प्रावधान न होने से राशि ₹ 14.29 लाख की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की अप्राप्ति हुई।

कार्यालय जिला खनिज अधिकारी, बिलासपुर एवं महासमुंद के कुल 280 पंजीकृत उत्खनि पट्टा अभिलेखों में से 78 पट्टा करार अभिलेखों के नमूना जांच (नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य) में पाया गया कि पट्टेदारों द्वारा दिये गये आवेदन में से तीन पट्टेदारों के आवेदनों में कुल औसत वार्षिक राज्यांश ₹ 4.91 लाख था, जिसमें मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 41,565 एवं 31,175 का आरोपण किया गया। प्रकरणों के जांच में हमने देखा कि पट्टेदारों द्वारा पट्टा आवेदन में उल्लेखित मात्रा से 15 से 43 गुणा अधिक मात्रा का उत्खन्न कर राज्यांश चुकाया गया (विस्तृत विवरण *परिशिष्ट 6.4*)। यह पट्टा क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खनिज उत्खन्न करने पर जिला खनिज अधिकारियों के अनुश्रवण करने में कमियां को दर्शाता है।

आगे शासन द्वारा निर्देश (नवम्बर 2011) अनुसार खनिपट्टा के प्रकरण में पट्टा अवधि के दौरान खनन योजना में दर्शित उत्खनन मात्रा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो राज्यांश में आई परिवर्तन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में अंतर की राशि जमा करने हेतु पट्टेदार द्वारा एक घोषणा पत्र भरा जावेगा। जबकि, उत्खनीपट्टा में उल्लेखित मात्रा से अधिक उत्खन्न पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि भुगतान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 14.29 लाख की अवसूली हुई, जिसका विवरण *परिशिष्ट 6.4* में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि भविष्य में खनन योजना अनुसार गौण खनिजों के उत्खनन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। परंतु उत्तर में उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.श.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और इसे नियंत्रण का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील हैं।

विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी (जून 2015) अनुसार स्वीकृत एक संयुक्त संचालक (वित्त) एवं तीन लेखापरीक्षक के विरुद्ध एक संयुक्त संचालक (वित्त) एवं दो लेखापरीक्षक आं.ले.प.श. में कार्यरत थे। वर्ष 2014-15 में शाखा द्वारा नौ इकाईयों के अंकेक्षण का लक्ष्य रखा था, जिसके विरुद्ध आठ इकाईयों का लेखापरीक्षा किया गया। आगे विभाग द्वारा यह बताया गया कि इन लेखापरीक्षित इकाईयों को मात्र अनुशासनात्मक टीप ही जारी किये गये हैं।

सातवां अध्याय: वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)

7.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) वन विभाग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय पर आठ अति.प्र.मु.व.सं. एवं 16 प्र.व.सं. होते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र को छः वन वृत्तों में विभक्त किया गया है जिसके प्रमुख वन संरक्षक होते हैं। इन वन वृत्तों को पुनः वनमंडलों में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा मैदानी कार्य में उसकी सहायता हेतु उप वनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) एवं परिक्षेत्राधिकारी (प.अ.) होते हैं।

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014-15 के दौरान वन विभाग की 60 ईकाईयों में से 14¹ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की। हमने अनियमित, परिहार्य, निष्फल एवं अधिक व्यय आदि अनियमितताओं के राशि ₹ 77.76 करोड़ के 254 प्रकरण पाये जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनियमित व्यय	65	12.00
2.	परिहार्य व्यय	48	21.61
3.	निष्फल व्यय	17	17.10
4.	अधिक व्यय	58	13.46
5.	अन्य अनियमितताएं	66	13.59
योग		254	77.76

विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान में इंगित किये गये प्रकरणों में से राशि ₹ 2.65 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 23 प्रकरणों को स्वीकार किया।

अधिक व्यय, अनियमित व्यय आदि के कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 2.19 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

¹ दो वन संरक्षक कार्यालय एवं 12 वनमंडलाधिकारी कार्यालय

7.3 पूर्व से ही वनाच्छादित क्षेत्र में सागौन रोपण किये जाने के फलस्वरूप अनियमित व्यय

वन विभाग ने पूर्व से ही वनाच्छादित क्षेत्र में सागौन रोपण हेतु परियोजना बनाकर रोपण का कार्य किया जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 1.11 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, रायपुर द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर प्र.मु.व.सं., छत्तीसगढ़ ने 245 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च तकनीक असिंचित सागौन रोपण कार्य के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु क्रमशः राशि ₹ 1.54 करोड़ एवं ₹ 1.58 करोड़ की स्वीकृति दी (नवम्बर 2011 एवं जून 2012)। उक्त आवंटन में से वनमंडलाधिकारी ने राशि ₹ 2.53 करोड़ (दिसम्बर 2011 एवं जून 2012) वन विस्तार अधिकारी, महासमुंद ईकाई को 198.65 हेक्टेयर क्षेत्र में उपरोक्त रोपण कार्य किये जाने हेतु जारी की। इसमें से वन विस्तार अधिकारी ने महासमुंद वनमंडल के कक्ष क्रमांक 234 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य किया तथा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में राशि ₹ 1.11 करोड़ का व्यय किया।

बजट नस्त्रियों, परियोजना प्रतिवेदनों तथा महासमुंद वनमंडल की वर्ष 2011-12 से 2020-21 की अवधि की कार्य आयोजना की नमूना जांच (जुलाई 2013) में देखा गया कि वनमंडल ने 100 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.50 लाख पौधों अर्थात् प्रति हेक्टेयर 2,500 पौधों का रोपण (2012-13) किया। प्रति हेक्टेयर 2,500 पौधों का रोपण (2×2 मी. के अंतराल पर) केवल खाली स्थानों पर ही संभव है। कक्ष क्रमांक 234 के कक्ष इतिहास के अनुसार कक्ष का कुल क्षेत्रफल 258.78 हेक्टेयर है जिसमें से 255.19 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.5 से 0.6 का मध्यम घनत्व का मिश्रित वन है। अग्रेतर, परियोजना प्रतिवेदन में संलग्न गूगल नक्शा इंगित करता है कि रोपण हेतु लिया गया क्षेत्र पूर्व से ही वनों से आच्छादित है। अतः, वहां 2,500 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से रोपण किये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

तथापि, विभाग ने उक्त तथ्यों को परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने तथा कार्य संपादन करते समय संज्ञान में नहीं लिया। अतः, पूर्व से ही वनों से आच्छादित क्षेत्र में सागौन रोपण पर किया गया व्यय राशि ₹ 1.11 करोड़ अनियमित व्यय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि 120 हेक्टेयर की सफाई का कार्य किया गया जिससे 100 हेक्टेयर रोपण योग्य क्षेत्र प्राप्त हुआ। कक्ष में मध्यम घनत्व (0.4 से 0.5) तथा चतुर्थ ब श्रेणी का वन था। सहायक वन संरक्षक के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (जून 2015) के अनुसार रोपण सफल है तथा पौधों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कक्ष क्रमांक 234 के कक्ष इतिहास (2011-12) में उल्लिखित था कि कक्ष में चतुर्थ अ श्रेणी का 0.5 से 0.6 घनत्व का वन था एवं वहां और रोपण किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अतएव, 2.5 लाख सागौन पौधों के रोपण पर किया गया राशि ₹ 1.11 करोड़ का व्यय अनियमित था।

7.4 पौधा तैयारी कार्य में विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन न किये जाने से अधिक व्यय

वन विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत पौधों की तैयारी के कार्य में विभागीय मानकों का अनुसरण नहीं किया तथा परियोजना प्रतिवेदन अधिक दरों पर तैयार किये गये जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय हुआ।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक विभाग प्रमुख अपने कार्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय नियंत्रण लागू करने तथा प्रत्येक स्तर पर व्यय में कड़ी मितव्ययिता का अनुसरण किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। वन विभाग ने पौधा तैयारी कार्य हेतु निर्धारित मानकों में सड़क किनारे रोपणों हेतु पौधों की तैयारी के लिये ₹ 10 (अक्टूबर 2010) तथा ₹ 11.50 (सितंबर 2011) प्रति पौधा की दर निर्धारित की जोकि अधिकतम थी। निःशुल्क वितरण हेतु पौधा तैयारी की विभागीय दर ₹ 11 प्रति पौधा थी।

वनमंडलाधिकारी, धमतरी के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधी बजट नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदनों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (अगस्त 2013) हमने देखा कि विभाग द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर जिला पंचायत, धमतरी ने ग्रामीणों को निःशुल्क वितरण (3.60 लाख) एवं अन्य कार्यों में उपयोग (11.40 लाख) हेतु कुल 15 लाख पौधों की तैयारी के लिये राशि ₹ 2.27 करोड़ का आवंटन दिया। विभागीय मानकों के अनुरूप पौधों की तैयारी पर अधिकतम अनुमत्त व्यय राशि ₹ 1.60 करोड़ थी। स्पष्टतः, विभाग ने मानकों का अनुसरण नहीं किया तथा अधिक दरों पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये।

अग्रेतर, हमने देखा कि विभाग ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कुल 15 लाख पौधे तैयार कर उनका वितरण एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया तथा इस कार्य पर राशि ₹ 2.17 करोड़ का व्यय किया। अतः, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं तदानुसार कार्यों का सम्पादन करते समय विभागीय मानकों का अनुसरण न किये जाने के साथ-साथ लोक धन व्यय करने में मितव्ययिता का पालन सुनिश्चित न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्न तालिका 7.2 में प्रदर्शित है:

तालिका 7.2

(₹ लाख में)

कार्य का नाम	वर्ष	तैयार किये जाने वाले पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि/व्यय राशि	विभागीय मानकों के अनुसार व्यय होने वाली राशि	अधिक व्यय
निःशुल्क वितरण हेतु पौधों की तैयारी	2010-11	1.80 लाख	30.00 / 28.94	19.80	9.14
	2011-12	1.80 लाख	30.00 / 28.60	19.80	8.80
अन्य कार्यों हेतु पौधों की तैयारी	2010-11	7.20 लाख	98.40 / 97.11	72.00	25.11
	2011-12	4.20 लाख	69.09 / 62.39	48.30	14.09
योग		15.00 लाख	227.49 / 217.04	159.90	57.14

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) कि पौधों को विभागीय मानकों के अनुरूप भी तैयार किया जा सकता था किन्तु वे पौधे आवश्यक ऊँचाई एवं मजबूती के पौधे नहीं होते। मनरेगा के

अंतर्गत अधिकतर कार्य सड़क किनारे रोपण के थे जिस हेतु सजावटी पौधों की आवश्यकता होती है तथा इनके बीज महंगे होते हैं। साथ ही, ऐसे पौधों में खाद की अधिक आवश्यकता होती है जोकि महंगी होती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्य का क्रियान्वयन विभागीय तौर पर तथा विभागीय मानकों तथा पद्धतियों के अनुरूप ही किया जाना था। यहां तक कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी वन विभाग द्वारा दी गई थी। बल्की विभागीय दर पर तैयार किये गये पौधों का वृक्षारोपण भी सफल रहा है। विभागीय मानकों के अनुसार तैयार किये जाने वाले पौधों को भी वही सब चीजें दी जाती हैं जिनको मनरेगा के अंतर्गत तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदनों में प्रस्तावित किया गया था। अतः, विभागीय रूप से क्रियान्वयित हुए कार्यों में विभागीय मानकों का अनुपालन न किये जाने से राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय हुआ।

प्रकरण को शासन/विभाग के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2015), उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

7.5 विभाग द्वारा निर्धारित मानकों से कम पौधों का रोपण किये जाने के कारण अधिक व्यय

परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा रोपण का कार्य सम्पादित किये जाने के दौरान मानकों का अनुपालन न किये जाने से राशि ₹ 51.15 लाख का अधिक व्यय होने के साथ-साथ कम पौधों का रोपण हुआ।

वन विभाग ने मिश्रित रोपण कार्य हेतु निम्नानुसार मानकों का निर्धारण किया (सितम्बर 2011) था:

वर्ष एवं रोपण गतिविधि	किया जाने वाला अधिकतम व्यय (₹ प्रति हेक्टेयर)
प्रथम वर्ष (सर्वे)	290
द्वितीय वर्ष (क्षेत्र तैयारी)	16,000
तृतीय वर्ष (रोपण)	14,200

उपरोक्त मानक अधिकतम थे जिनमें 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर के रोपण के साथ-साथ क्षेत्र में सुरक्षा, सफाई तथा प्रतिकर्तन कार्य (सी.बी.ओ.) की गतिविधियां सम्मिलित थीं।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, महासमुंद की बजट नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदनों, रोपण प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2013) में हमने देखा कि वनमंडल के 10 स्थलों के 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के प्रस्तावों के अनुरूप वन संरक्षक, रायपुर ने द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कार्य हेतु क्रमशः राशि ₹ 71.90 एवं ₹ 63.81 लाख का आवंटन (अक्टूबर 2011 एवं मई 2012) किया। विभाग ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में उक्त कार्य पर राशि ₹ 1.31 करोड़ का व्यय किया। मानकों के अनुसार, 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र में सुरक्षा, साफ-सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य के साथ-साथ 4.94 लाख पौधों² का रोपण किया जाना था।

तथापि, वनमंडल के परियोजना प्रतिवेदनों तथा रोपण प्रतिवेदन की जांच में देखा गया कि विभाग ने मात्र 265.44 हेक्टेयर में रोपण कार्य किया तथा 2.37 लाख पौधे रोपित किये। यद्यपि, सुरक्षा, साफ-सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य पूरे क्षेत्र में किया गया किन्तु 183.92 हेक्टेयर में कोई रोपण नहीं किया गया जैसा कि विभागीय मानकों के अनुरूप

² 449.36 × 1,100 = 4,94,296

किया जाना था। इस प्रकार, 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र को 4.94 लाख पौधों के रोपण के साथ उपचारित किये जाने हेतु प्राप्त राशि का व्यय 265.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.37 लाख पौधों के रोपण में ही कर दिया गया एवं 183.92 हेक्टेयर क्षेत्र को बिना रोपण किये ही छोड़ दिया गया।

अतः, परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा कार्य सम्पादन किये जाने के समय मानकों का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 51.15 लाख³ का अधिक व्यय हुआ और साथ ही कम संख्या में पौधों का रोपण किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (मई 2013) कि क्षेत्र तैयारी एवं सुरक्षा का कार्य 449.36 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया तथा रोपण कार्य 265.44 हेक्टेयर में किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित मानकों तथा स्वीकृति आदेश के अनुसार क्षेत्र तैयारी एवं सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए अन्य गतिविधियों के साथ-साथ प्रति हेक्टेयर 1,100 पौधों का रोपण किया जाना था। यदि कम क्षेत्र में अथवा पौधों का कम संख्या में रोपण किया जाना था तो उसी के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना था एवं 1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर हेतु स्वीकृति दी जानी चाहिये थी।

प्रकरण को विभाग/शासन के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2015)। उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

³ कुल किया गया व्यय	=	₹ 1,31,31,646
265.44 हेक्टेयर पर किया जाने वाला व्यय—		
265.44 × (₹ 16,000 + ₹ 14,200)	=	₹ 80,16,288
अधिक व्यय	=	₹ 51,15,358

- मास्टर डाटा की विश्वसनीयता कायम नहीं रही क्योंकि एक ही चालान के एक से अधिक अभिलेख मौजूद थे।

(कंडिका 8.23)

- ई-चालान के क्रियान्वयन में सही प्रचलित रीतियों का अनुसरण करने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा जिसके फलस्वरूप डीलरों द्वारा जमा किये गये ई-चालान के विवरणों की सम्पूर्णता, परिशुद्धता एवं वैधता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

(कंडिका 8.24)

- विभिन्न करों के भुगतान में समान चालानों की प्रविष्टि रोकने के लिए COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वेलिडेशन जाँच लगाने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा। इसके फलस्वरूप समान चालानों को वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान में प्रयोग किया गया।

(कंडिका 8.27)

8.1 प्रस्तावना

ई-चालान सॉफ्टवेयर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे एक इन्टरनेट ऑनलाईन बैंक सेवा के माध्यम से कर दाताओं जिनका ऑनलाईन बैंक खाता है को ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर को कोष संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र रायपुर के माध्यम से विकसित किया। एक कस्टमाइज्ड चालान फार्म में इन्टरनेट के द्वारा बैंक गेट वे के मार्फत से शासकीय प्राप्तियाँ स्वीकार की जाती है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 64 अ एवं 64 ब के अनुसार कोषालय और विभागों को प्रेषित की जाती है।

इस के अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा करदाताओं को मोटर वाहन कर का भुगतान करने हेतु एक अन्य पोर्टल डीलर पाइंट रजिस्ट्रेशन (डी.पी.आर.) का सुविधा प्रारंभ की गई (2012)। डी.पी.आर. सॉफ्टवेयर स्मार्ट चीप लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। शासकीय प्राप्तिओं का भुगतान बैंक गेटवे के माध्यम से पोर्टल में उपलब्ध ई-फार्म में वांछित जानकारी भर कर किया जा सकता है। उक्त डेटा को प्रति दिन के अंत में प्राप्ति खाते में संकलन के लिये बैंकों द्वारा संबंधित कोषालय को भेजा जाता है। नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक नागरिक इन्टर फेस भी प्रदान किया गया।

8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य यह मुल्यांकन करने के लिए थे कि:

- क्या ई-चालान के क्रियान्वयन से पहले विभाग द्वारा उचित योजना तैयार की गई;
- क्या आई.टी. वातावरण में परिचालन करने के लिये सभी नियंत्रणों को परिभाषित किया गया;
- क्या प्रणाली के अनुपालन में क्रियाकलापों का पालन करते हुये आवश्यक एप्लीकेशन नियंत्रण को परिभाषित किया गया;
- क्या आई.टी. वातावरण में कार्य करने के लिये मानव शक्ति को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया और
- क्या ई-चालान के क्रियान्वयन के बाद नागरिक/हितधारकों के सेवाओं के परिचालन क्षमता में सुधार हुआ।

8.3 संगठनात्मक संरचना

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेशन¹, छत्तीसगढ़ शासन ई-चालान सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी था। संचालनालय कोष, सचिव वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

8.4 लेखा परीक्षा की पद्धति एवं कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा की पद्धति एवं कार्य क्षेत्र में ई-चालान के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा के लिये शासन के प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभाग होने के कारण वाणिज्यिक एवं परिवहन विभाग का चयन किया गया। संचालनालय कोष नोडल एजेंसी होने के कारण इसका चयन किया गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माड्यूल में डेटा बेस की पूर्णतः नियमितता और निरंतरता का पता लगाने के लिये दो विभागों की 11 ईकाईयों² का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। चूंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और स्मार्ट चिप्स (डी.पी.आर.) द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। अतः अतिआवश्यक डेटा इन संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

लेखा परीक्षा मई 2015 से अगस्त 2015 के बीच की गई जिसमें वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लेखाओं को सम्मिलित किया गया था। ई-चालान से संबंधित रिकार्ड/फाईलों और डाटा (ओरेकल डम्प डाटा) का विश्लेषण, स्ट्रेक्चर क्योरी लेंगवेज (SQL) और एक्सल के माध्यम से किया गया था।

8.5 लेखा परीक्षा मानदण्ड


निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों आदि के प्रावधानों लेखा परीक्षा के मानदण्ड थे:

- छत्तीसगढ़ मुल्य सर्वर्धित कर अधिनियम, 2005;
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956;
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 और उसके अधिन बनाये गये नियम; और
- विभाग और शासन द्वारा समय-समय पर जारी किय गये दिशा निर्देश, मार्गदर्शिका, मानक आदि।

¹ संचालक कोष

² परिवहन विभाग— आयुक्त (परिवहन), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.) बिलासपुर, क्षे.प.अ. जगदलपुर, क्षे.प.अ. रायपुर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति.क्षे.प.अ.) दुर्ग, अति.क्षे.प.अ. राजनांदगांव एवं जिला परिवहन अधिकारी जशपुर, वाणिज्यिक कर विभाग— वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) दुर्ग, वा.क.अ., वृत्त-7, रायपुर एवं सहायक आयुक्त-2, संभाग-2, रायपुर।

8.6 ई-चालान प्रक्रिया की फलो चार्ट



यह सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) रायपुर द्वारा विकसित किया गया है। ई-चालान वेब आधारित पोर्टल है जिसमें बेक एण्ड सॉफ्टवेयर ओरेकल इस्तेमाल किया गया जबकि फ्रंट एण्ड में जावा का प्रयोग किया गया है।

8.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आपेक्षित जानकारी और रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिये संचालक कोष, वाणिज्यिक कर और परिवहन विभाग से आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और पद्धति पर सचिव के साथ चर्चा की गयी, प्रारंभिक बैठक परिवहन विभाग से जून 2015 में की गई। शासन और विभाग को मसौदा प्रतिवेदन सितम्बर 2015 को

प्रेषित किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन अक्टूबर 2015 में संपन्न हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण, निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ पर चर्चा की गयी, जिसका प्रतिनिधित्व शासन के सचिव वित्त, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग द्वारा किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिका में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

संचालक कोष

8.8 ई-चालान के क्रियान्वयन में पर्यवेक्षी नियंत्रण का अभाव

विभाग ने न तो समानांतर जाँच का आयोजन किया और न ही ई-चालान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया

ई-चालान के क्रियान्वयन के लिये संचालनालय कोष के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (मई 2015) कि क्रियान्वयन के दौरान परियोजना प्रबंधन के लिये निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये समानांतर जाँच का आयोजन नहीं किया गया था जिससे इसकी कमियों को दूर किया जा सके। प्रबंधन द्वारा निगरानी की कमी के कारण त्वरीत भुगतान के उद्देश्यों की पूर्ती नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि ई-चालान प्रणाली की समुचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु तथा समय-समय पर मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा।

8.9 दस्तावेजीकरण का अभाव

विभाग ने सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट (एस डी डी) तैयार नहीं किया, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (एस आर एस) और यूजर रिक्वायरमेंट स्पेशिफिकेशन (यू आर एस) भी पूर्ण नहीं थे।

ई-चालान के क्रियान्वयन के लिये संचालनालय कोष के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा (मई 2015) कि ई-चालान सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले एस डी डी तैयार नहीं था। पुनः स्टैंडर्ड प्रेक्टीस के अनुसार एस आर एस एवं यू आर एस का दस्तावेजीकरण आवश्यक है। किंतु हमने देखा कि, यद्यपि सिस्टम 2006 से प्रारंभ कर दिया गया था किंतु एस आर एस एवं यू आर एस अपूर्ण थे क्योंकि उसमें विभागीय क्रियाकलापों, वर्कफ्लो एवं तकनीकी विशेषतायें जो आवश्यक था समाहित नहीं थी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि एस डी डी तैयार नहीं किया गया जिसे सुधार किया जायेगा।

शासन इस पर विचार करे कि कोई नई आई.टी. सेवा शुरू करने से पहले एस डी डी, एस आर एस और यू आर एस का उचित दस्तावेजीकरण करे।

8.10 इनपुट और वैलिडेशन चैक लगाने में विफलता

विभाग ने अप्रासंगिक डाटा के समावेश को रोकने के लिये आवश्यक इनपुट और वैलिडेशन चैक नहीं लगाये थे।

ई-चालान के डाटाबेस की जांच के दौरान हमने पाया कि 70 रिकार्ड शून्य राशि के थे और एक से नौ रुपये तक अलग-अलग राशि के 3277 रिकार्ड थे। इनमें से, 719 रिकार्ड वाणिज्यिक कर विभाग से और 2316 रिकार्ड परिवहन विभाग से संबंधित थे। ई-चालान डेटा की पुनः जांच में हमने (तालिका 8.1) पाया कि एक करदाता ने परिवहन विभाग में एक रुपये और चार रुपये के ई-चालान जमा किये, हालांकि विभाग में कर की ऐसी कोई दर नहीं थी।

तालिका 8.1

करदाता	प्रविष्टि दिनांक	चालान दिनांक	टीन-सीन	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष	कोषालय रेफरेंस क्र.	एससी-एसएल क्र.	राशि (₹)
गणेश प्रसाद खेतान	25-04-12	25-04-12	WBAFH62090L870344	0041 / 102 / 871	66080412055655	IK16525367	1
	25-04-12	25-04-12	WBAFH62090L870344	0041 / 102 / 871	66080412055663	IK16525549	4

इस मामले को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के संज्ञान में लाया गया। हमारे निरीक्षण के अनुपालन में, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा सत्यापन कर यह पाया कि उक्त चालान में हेरफेर कर जीवन काल कर की राशि ₹ 4.56 लाख के भुगतान में उपयोग किया गया था। चालान के इसी तरह के उपयोग तीन और मामलों में भी पाये गये। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा सभी चार मामलों में वाहन स्वामियों के खिलाफ प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ. आई.आर) दर्ज की गई। गलत डाटा की प्रविष्टि के जोखिम को कम करने के लिये यह जरूरी था कि इनपुट कंट्रोल जैसे वैधता जांच, डुप्लिकेट जांच और एप्लिकेशन कंट्रोल को लागू नहीं किया गया। इस प्रकार, ई-चालान के माध्यम से इस तरह के अस्वीकार्य राशि स्वीकृत करने से इसका उपयोग धोखाधड़ी हेतु किया जा सकता है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि साफ्टवेयर में आवश्यक चैक्स लगाये जायेंगे।

शासन इस पर विचार कर कि डेटा के पर्याप्ता की जांच हो और प्रावधान के अनुसार डाटा एंट्री के समय ही इनपुट कंट्रोल के माध्यम से डाटा की पूर्णता और सत्यता की जांच की जाये।

8.11 ई-चालान से भुगतान की राशि और कोषालयीन राशि में अन्तर

ई-चालान से भुगतान की गई राशि और कोषालयीन राशि में अंतर था।

परिवहन कार्यालयों (क्षे.प.अ. रायपुर, अति.क्षे.प.अ. दुर्ग एवं राजनांदगांव) और वाणिज्यिक कर विभाग के डेटाबेस की जांच से पता चला कि 174 (103+71) प्रकरणों में कोषालय में जमा की गयी राशि में ई-चालान के माध्यम से एकत्र की गयी राशि से अधिक था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि 142 (47+95) प्रकरणों में, ई-चालान द्वारा जमा की गयी राशि कोषालय के माध्यम से एकत्र की गयी राशि से कम थी।

तालिका 8.2

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	कोषालय की राशि	ई-चालान की राशि	अन्तर की राशि
परिवहन विभाग	103	5.33	0.88	4.45
	47	0.53	2.25	(-) 1.72
वाणिज्यिक विभाग	71	49.06	6.79	42.27
	95	2.29	54.95	(-) 52.66

इस प्रकार एक ही चालान के लिये बैंक और कोषालय डेटा के बीच अंतर से डेटा की पूर्णता और परिशुद्धता में कमियों को दर्शाता है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि अन्तर विभागीय समिति, जिसके एनआईसी को सम्मिलित कर गठित किया जायेगा और उपरोक्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

शासन प्राथमिकता के आधार पर संबंधित सॉफ्टवेयर के डिजाइन की कमियों को दूर करें।

8.12 कोषालय में ई-चालान की राशि की प्राप्ति में विलंब

18,106 प्रकरणों में ₹ 308.69 करोड़ की राशि का लेखांकन, कोषालय द्वारा बैंक में ई-चालान के माध्यम से राशि प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों से पांच माह के विलंब से किया गया।

हमने देखा कि 18,106 प्रकरणों में राशि ₹ 308.69 करोड़ का लेखांकन कोषालय द्वारा बैंक में ई-चालान के माध्यम से राशि की प्राप्ति की तिथि के 10 दिनों से पांच माह के विलंब से किया गया।

इसका पुनर्मिलान न कोषालय एवं विभाग के मध्य से न ही कोषालय और बैंक के मध्य से किया गया, जो इंगित करता है कि विभाग में निरीक्षण प्रणाली नहीं है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि बैंकों से एम.आई.एस की प्राप्ति में विलंब के कारण यह विसंगति हुई। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में एम.आई.एस की प्राप्ति में विलंब के मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और बैंकों पर शास्ती आरोपित की जावेगी।

8.13 कोषालय में अधिक डाटा अस्तित्व में होना

कोषालय में शामिल डाटा का ई-चालान डाटा में नहीं पाया जाना

सभी ऑनलाईन भुगतान और उसके समर्थन में ई-चालान से प्राप्त डाटा को कोषालय डाटा में ईपोर्ट किया जाता है। तथापि, ई-चालान डाटा के साथ कोषालय डाटा का सत्यापन करने पर पता चला कि निम्नलिखित तीन चालान (तालिका 8.3) का डाटा ई-चालान के डाटा में उपलब्ध नहीं था जो अपर्याप्त प्रोसेसिंग कंट्रोल की ओर इंगित करता है।

तालिका 8.3

मुख्य शीष	बैंक कोड	चालान दिनांक	चालान दिनांक	कुल राशि (₹ में)	कोषालय रिफरेंस क्र.
0041	0009999	06.04.2013	18-04-2013	1,500	660804130103
0040	0009999	31.10.2014	17-11-2014	20,000	660510140138
0042	0009999	01.10.2011	01-11-2011	1,173	660510110060

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि इस मामले की जांच की जायेगी और इस प्रकार की विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो इस बाबत आवश्यक कार्यवाही पुर्नमिलान सहित की जावेगी।

8.14 कोषालय में डुप्लिकेट रिफरेंस नम्बर का उल्लेख

अलग-अलग ई-चालान के लिये कोषालय से एक ही रिफरेंस नम्बर सृजित हुआ।

ई-चालान के माध्यम से प्राप्त राशि के लिये, प्रणाली से एकमात्र रिफरेंस कोड प्राप्त होता है। इस प्रकार, जब भी ई-चालान का सृजन होता है तो कोई डुप्लिकेट कोषालय रिफरेंस कोड प्राप्त नहीं होना चाहिये। इस प्रकार कोषालय रिफरेंस कोड डिजाइन डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करना चाहिये। हम ने पाया कि एक ही कोषालय रिफरेंस कोड से अलग-अलग ई-चालानों का सृजन हुआ जिसे निचे वर्णित किया गया है:

तालिका 8.4

मुख्य शीष	बैंक कोड	चालान दिनांक	चालान दिनांक	कुल राशि (₹ में)	कोषालय रिफरेंस क्र.
0042	0009999	18-02-2012	29-02-2012	1,000	660502120048
0042	0009999	18-02-2012	29-02-2012	29,828	660502120048
0042	0009999	18-02-2012	29-02-2012	3,000	660502120047
0042	0009999	18-02-2012	29-02-2012	1,30,214	660502120047

पुनः कार्यालय वा.क.अ., वृत्त 7, रायपुर में कोषालयीन डाटा समीक्षा में पाया गया कि एक ही व्यावसायी (छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड टिन क्र.- 2265170415) द्वारा तीन राशि (₹ 95 लाख, ₹ 95 लाख और ₹ 93.21 लाख) का भुगतान सितम्बर 2013 में किया जिसे एक ही कोषालय रिफरेंस क्रमांक 66050913006898 प्राप्त हुआ।

अलग-अलग ई-चालान में एक ही कोषालय रिफरेंस क्रमांक का सृजन हुआ इससे यह पता चलता है कि क्रियान्वयन एजेंसी सॉफ्टवेयर में विशिष्ट चैक लगाने में असफल रही जिससे कोषालय रिफरेंस कोड की एकमात्रता कायम रहे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् आवश्यक संशोधन किया गया है।

8.15 असुरक्षित डाटा विभाग को प्रदान किया

बैंक द्वारा असुरक्षित डाटा विभाग को प्रदान किया गया

ई-चालान के डाटा की जांच में पता चला कि विभागों को बैंक से प्राप्त डाटा परिवर्तनीय टेक्स्ट फॉर्मेट में होने से इसमें हेराफेरी किया जा सकता है। बैंक द्वारा भेजा गया डाटा ई-चालान की मूलभूत जानकारी होती है जिससे विभाग अपने प्राप्ति को सत्यापित करता है। चूंकि यह मूलभूत डाटा के रूप में सीधा अपलोड नहीं किया जाता है, जिससे इन डाटा में बदलाव किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिये उपयोगकर्ता को डाटा केवल 'दृश्य विकल्प' की अनुमति दिया जाये।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि बैंको को लॉगिन आईडी प्रदान किया जायेगा जिससे डाटा सीधे अपलोड किया जा सकेगा।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग में ई-चालान के माध्यम से कर लेने की शुरुआत वर्ष 2009-10 से हुई थी। विभाग वाहन सॉफ्टवेयर में कर का विवरण संधारित करता है। तथापि, ई-चालान सॉफ्टवेयर को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने के लिये विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। ई-चालान के माध्यम से करदाता द्वारा ऑनलाईन कर जमा किया जाता है। बैंक द्वारा ई-चालान डाटा की एक प्रतिलिपि (टेक्स्ट फॉर्मेट में) कोषालय को और संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती हैं ताकि उक्त राशि का कोषालय और विभाग द्वारा पुनर्मिलान किया जा सके। करदाता (ऑनलाईन) ई-चालान का प्रिंट प्राप्त करता है। चूंकि वाहन सॉफ्टवेयर और ई-चालान सॉफ्टवेयर के बीच में कोई एकीकरण नहीं किया गया, करदाता प्राप्त ई-चालान के प्रिंट को परिवहन विभाग में प्रस्तुत करता है, जिसे वाहन सॉफ्टवेयर में अद्यतन कर लिया जाता है। परिवहन विभाग, बैंक द्वारा भेजे गये डाटा के साथ ई-चालान की करदाता द्वारा बैंक से प्रदाय प्रिंटऑउट की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के बाद, करदाता को वाहन सॉफ्टवेयर से रसीद प्रदान करता है। विभाग के संबंधित अनुभाग के लिये यह रसीद करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उक्त विवरणों को वाहन सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, विभाग ने नई ऑनलाईन पंजीकरण प्रणाली अर्थात डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन (जनवरी 2012) से प्रारंभ किया गया जहाँ वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर ऑनलाईन कर भुगतान के पश्चात् प्राप्त हो जाता है।

8.16 ई-चालान प्रक्रिया में निगरानी की कमी

विभाग कुटुरचित ई-चालान की प्रविष्टी वाहन सॉफ्टवेयर में रोकने हेतु निगरानी प्रणाली विकसित करने में असफल रहा।

आयुक्त (परिवहन) कार्यालय में ई-चालान से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान हम ने पाया कि विभाग में ई-चालान के क्रियान्वयन से पहले सॉफ्टवेयर के कार्य पर उचित निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं था। ई-चालान के माध्यम से किये गये वाहन कर के भुगतान वाहन साफ्टवेयर में किया जाता है। यदि ई-चालान में दिये गये विवरण सही न हो या इसका दुरुपयोग किया गया हो तो समान त्रुटि वाहन सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टी

के बाद जारी रहेगी। निगरानी प्रणाली के विकसित करने में विफलता के कारण वाहन सॉफ्टवेयर में कर विवरण में हेराफेरी हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि जैसे ही ई-चालान की कमियां प्रकट हुई उस पर उर्पयुक्त कार्यवाही की गयी और प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी। संदिग्ध भुगतान और प्रविष्टियों का सत्यापन किया जायेगा और उन पर उर्पयुक्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, शासन ने कहा कि ई-चालान से किये जा रहे भुगतान पर रोक लगाने का फैसला परिवहन विभाग द्वारा किया गया और अगस्त 2015 के बाद से एक पूर्ण रूप एकीकृत ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया अंगीकृत की गई।

8.17 क्रियाकलाप के नियमों को समाहित करने में विफलता

विभाग द्वारा डीलर पाइंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में च्वाइस नम्बर की बढ़ी हुई दर को अद्यतन नहीं किया परिणामस्वरूप पुराने दर से ही फीस की वसूली जारी रही।

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 55 के अनुसार वाहनों को च्वाइस रजिस्ट्रेशन नम्बर निश्चित फीस के भुगतान के बाद आवंटित किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा फरवरी 2014 में अधिसूचना से च्वाइस नम्बर के आबंटन की दरों में बढ़ोत्तरी की।

छ: परिवहन कार्यालयों³ की नमूना जांच में पाया गया कि 3449 वाहनों को च्वाइस नम्बर पंजीयन की फीस में बढ़ोत्तरी करने के बाद (फरवरी 2014) आवंटित किया गया। किन्तु डीलर पाइंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में इसको अद्यतन नहीं किये जाने के कारण च्वाइस नम्बर पुराने दर से ही जारी किये गये। इन 3449 वाहनों पर वसूलनिय फीस ₹ 3.62 करोड़ के ऐवज में मात्र ₹ 1.13 करोड़ की वसूली की गई, इस प्रकार ₹ 2.49 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

पुनः संपूर्ण राज्य के डाटाबेस की नमूना जांच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न परिवहन कार्यालयों द्वारा 4,569 वाहनों को च्वाइस नम्बर प्रदाय किये गये जिसके लिये करदाताओं से फीस ₹ 5.10 करोड़ वसूलनीय थी। किन्तु विभाग ने पुराने दर से ही ₹ 1.54 करोड़ की वसूली की।

इस प्रकार विभाग द्वारा फरवरी 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार बढ़े हुये दरों को डीलर पाइंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के अद्यतन/समाहित नहीं किये जाने राशि ₹ 3.56 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि सॉफ्टवेयर को अद्यतन नहीं किये जाने के कारणों की जांच की जा रही है और इस संबंध में उर्पयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

³ क्षे.प.अ. बिलासपुर, रायपुर एवं जगदलपुर, अति.क्षे.प.अ. दुर्ग और राजनांदगांव, जि.प.अ. जशपुर।

8.18 डीलर प्वाइंट के माध्यम से पुराने वाहनों का पंजीकरण

डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के क्रियान्वयन के पहले खरीदे गये वाहनों को विभाग द्वारा डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन माइयूल्स से पंजीकृत किया।

परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में बेचे गये नये वाहनों का पंजीयन करने हेतु, डीलरों को सुविधा प्रदान करने डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन जनवरी 2012 में प्रारम्भ किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार डीलर क्रेता को नये वाहन प्रदान करेगा जो चोरी/पुनः विक्रय के न हो और यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण न हो तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत समय समय पर शासन द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुरूप होना सुनिश्चित हो। तीन परिवहन कार्यालय (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर, जगदलपुर, जिला परिवहन अधिकारी, जशपुर) के डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के डाटाबेस की जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि माह जनवरी 2012 के पूर्व क्रय किये गये 33 वाहनों को डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन द्वारा पंजीकृत किया गया। पुराने पंजीयन क्रमांक वाले इन वाहनों का पंजीयन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन से किया जाना विधिनुकूल नहीं है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, पुराने वाहनों के पंजीयन के कारणों की जांच की जा रही है एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8.19 लोजिकल एक्सेस कंट्रोल

विभाग द्वारा यूजर ऑय डी के अनाधिकृत उपयोग रोकने हेतु कोई पासवर्ड पालिसी तैयार नहीं की गयी थी। यूजर ऑय डी के आबंटन में अनियमितता होने से विभाग में कार्यरत विद्यमान कर्मचारियों से अधिक यूजर ऑई डी सक्रीय रहे।

हमने पाया कि विभाग द्वारा यूजर ऑय डी के अनाधिकृत उपयोग रोकने हेतु कोई पासवर्ड पालिसी तैयार नहीं की गयी थी। डाटाबेस की जाँच में पाया गया कि:

- परिवहन कार्यालयों⁴ द्वारा आबंटित 442 यूजर ऑय डी में से 215 ऑय डी बंद की गयी। शेष 227 ऑय डी सक्रीय थी लेकिन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या मात्र 111 थी। कर्मचारियों का तबादला होने के बाद भी यूजर ऑय डी सक्रीय रहने से इसका दुरुपयोग हो सकता है।
- यह भी देखा गया कि एक ही यूजर ऑय डी का उपयोग एक से ज्यादा कर्मचारियों द्वारा किया गया था जिससे किसी हेराफेरी होने की स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था।
- सिस्टम यह दर्शाने में असफल रहा कि 3,02,193 वाहनों के कर विवरण जो ₹ 178.36 करोड़ है उसे किस यूजर ऑय डी द्वारा संधारित किया गया। ऑडिट ट्रेल हेतु प्रणाली में ये व्यवस्था/जानकारी होनी चाहिए जिससे जाने-अनजाने में किये गए त्रुटियों के स्रोत का पता चल सके।

⁴ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग एवं राजनंदगांव, जिला परिवहन अधिकारी जशपुर।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं अथवा उपलब्ध नहीं हैं उनके यूजर ऑय डी निष्क्रिय करने के लिए एन आई सी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि उनका दुरुपयोग न किया जा सके।

शासन विचार करे कि, सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाता हो तो उसकी देखरेख हेतु आंतरिक प्रणाली विकसित करें जिससे ऑडिट ट्रेल द्वारा कार्य सम्पादन का पता किया जा सके।

8.20 कर्तव्यों का पृथ्यकरण

विभाग द्वारा कर्मचारियों के कर्तव्यों का बटवारा सही से नहीं किये जाने से एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्तर के कर्तव्यों का निष्पादन किया गया।

परिवहन कार्यालय के ई-चालान के दस्तावेजों की जाँच में हमने पाया कि, जो कर्मचारी चालान के विवरण को इन्द्राज करते हैं उसे कोषालय से मिलान करने की जवाबदारी भी उसी कर्मचारी की रही है। चूंकि ट्रेजरी डाटा टेक्स्ट फाइल में प्राप्त होता है जिसे सम्पादित किया जा सकता है, एक ही कर्मचारी द्वारा चालान का इन्द्राज एवं कोषालय से सत्यापन किये जाने से डाटा में फेरबदल करने की संभावना हो सकती है। डाटा की विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु तथा विभिन्न स्तरों पर जाँच के लिए जरूरी है की सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित हो और वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो। पुनः यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, विभिन्न स्तरों का काम एक ही व्यक्ती द्वारा निष्पादित नहीं किया जा रहा हो।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, इस बाबत सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

8.21 डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से शासकीय धन का बैंक में विलंब से प्रेषण

डीलरों द्वारा शासकीय धन को 1,488 दिनों तक की विलंब से बैंक में प्रेषित किया गया।

परिवहन कार्यालयों⁵ में स्मार्ट चिप लिमिटेड से प्राप्त डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के डाटाबेस की जाँच में पाया गया की डालरों द्वारा 1,01,923 वाहनों का पंजीयन जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य किया गया। आगे जाँच में पाया गया की कर राशि ₹ 103.82 करोड़ जो क्रेताओं से संग्रहित किये गये थे, डीलरों द्वारा शासकीय खाते में दो से 1,488 दिनों की विलंब से जमा किया गया। किन्तु, डीलर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों के साथ किये गए अनुबंध अनुसार डीलर/फर्म द्वारा कोई भी वाहन छत्तीसगढ़ के निवासी को विक्रय करते समय ये सुनिश्चित करेगा कि विक्रय किये जा रहे वाहन का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जा चुका है एवं कर एवं समय समय पर लागू कोई अन्य शुल्क क्रेता द्वारा जमा कर दी गयी है और प्राप्त की गई रकम ऑनलाइन से उसी दिन संबंधित मुख्य शीर्ष में फर्म/डीलर द्वारा जमा करा दी गई है।

अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर भी संबंधित परिवहन अधिकारियों द्वारा इन दोषी डीलरों पर कोई कार्यवाही नहीं की और उनके वाहनों को पंजीकृत किया। इस प्रकार

⁵ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, रायपुर एवं जगदलपुर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग एवं राजनंदगांव, जिला परिवहन अधिकारी जशपुर

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विलंब पर आरोपित शास्ति ₹ 1.90 करोड़ वसूलने में शासन असफल रहा। किन्तु अनुबंध में देरी के लिए शास्ति के प्रावधान नहीं होने से शासन ₹ 1.90 करोड़ से वांछित रहा साथ में डीलरों को ₹ 103.82 करोड़ पर ब्याज का अदेय लाभ भी पहुँचाया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, डीलरों द्वारा शासकीय धन को देरी से जमा करने के कारणों की जाँच कर उचित कार्यवाही की जावेगी।

वाणिज्यिक कर विभाग

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 2008-09 से ई-चालान से राशि प्राप्त करना प्रारंभ किया। करदाता/डीलरों द्वारा अपने यूजर आई डी से स्व कर निर्धारण ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि डीलर द्वारा अधिक कर का भुगतान किया गया हो तो उसकी वापसी करदाता द्वारा वार्षिक स्व कर निर्धारण देने के पश्चात् किया जाता है। स्व कर निर्धारण हेतु विवरणी वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल CGCOMTAX से भरा जाता है। विवरणों में अन्य जानकारियों के अतिरिक्त डीलर द्वारा वित्तीय वर्ष में किये गए क्रय-विक्रय एवं उन चालानों का विवरण भी सम्मिलित है जिन से कर का भुगतान किया गया है। विवरणी में सभी विवरण डीलर द्वारा स्वयं भरा जाता है।

ई-चालान द्वारा कर का भुगतान किये जाने पर, प्रत्येक चालान के लिए चौदह अक्षरी एकमात्र क्रमांक (चालान नम्बर) उत्पन्न होता है। इस क्रमांक को CGCOMTAX के द्वारा विवरणी भरते समय “challan no” कॉलम में दर्ज किया जाना होता है।

8.22 विभाग के माड्यूल (CGCOMTAX) से ई-चालान डाटा को एकीकृत नहीं किया जाना

विभाग क्रियाकलापों के नियमों को लागू करने में असफल रहा क्योंकि विभाग के माड्यूल (CGCOMTAX) से ई-चालान डाटा को एकीकृत नहीं किया जाना

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर के COMTAX सॉफ्टवेयर की जाँच में हमने पाया की ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी जिससे यह सुनिश्चित हो कि डीलरों द्वारा विवरणी में वही राशि दर्शायी गई हो जो ई-चालान द्वारा जमा की गयी हो। आगे डीलर को दी जा रही वापसी को हस्त अभिलिखित किया जा रहा है। डीलरों द्वारा कर निर्धारण स्वतः किया जाता है एवं वापसी की राशि भी उनके द्वारा भरे गए निर्धारण के आधार पर किये जाने से डीलरों द्वारा जमा की गई राशियों का गलत विवरण भरे जाने की सम्भावना अधिक है।

हमने देखा कि एक व्यवसायी (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सैल), टिन क्र 22943200659) द्वारा ₹ 25 लाख ई-चालान द्वारा जमा किया गया जिसका ट्रेजरी रिफरेन्स नंबर 660510101360 है। जाँच में पाया गया कि समान ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर दूसरे व्यवसायी (मेसर्स मूलचंद गोलछा, टिन क्रमांक 22643100623) द्वारा जमा किये गए ₹ सात के चालान के लिए भी प्राप्त हुआ। इसप्रकार क्रियाकलापों के नियमों को लागू करने में असफल होने से डीलरों द्वारा अपनी विवरणी में चालान के विवरण में हेर फेर की जा सकती है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, विभागीय माड्यूल को कोषालयीन सॉफ्टवेयर से एकीकृत करने के लिए उचित कदम उठाए जायेगे। समान ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर उत्पन्न

होने के संबंध में कहा गया की कोषालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

शासन विचार करे कि, सॉफ्टवेयर को अंतिम बिंदु तक विभागीय सॉफ्टवेयर से एकीकृत किया जावे ताकि मानवीय हस्ताक्षेप विलोपित किया जा सके।

8.23 एक से अधिक चालान डाटा अस्तित्व में होना

डाटा की वैधता बनाए रखने हेतु विभाग द्वारा सही जाँच पद्धती लागू नहीं करने से मास्टर टेबल में एक से अधिक चालान डाटा अस्तित्व में था।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय के ई-चालन डाटाबेस में हमने पाया कि 3,07,772 प्रकरणों को दो से 38 बार दोहराया गया है। एक ही अभिलेख का मास्टर टेबल में 38 बार तक मौजूद रहने से एक ही चालान को डीलर द्वारा कई बार उपयोग किया जा सकता है। डाटा की प्रमाणिकता को बरकरार रखने एवं सही जाँच के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रविष्टी की जा रही जानकारी भरोसेमंद हो। डाटा के विश्वसनीयता के लिए यह जरूरी है की डाटा को सही रूप से दर्शाया जा रहा है। अतः एक ही डाटा की पुनरावृत्ती मास्टर टेबल में कई बार नहीं होना चाहिए।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, अंतिम कर निर्धारण के लिए नया मास्टर टेबल तैयार किया जा रहा है एवं बाकी चालान डाटा को अस्थायी टेबल में रखा जायेगा।

8.24 आई टी प्रणाली लागू करने के लिए सही पद्धति को नहीं अपनाया गया

डीलरों द्वारा जमा किये जा रहे विवरणी के विवरणों की संपूर्णता, सटीकता एवं वैधता को सुनिश्चित करने हेतु कोई जाँच लगाने में विभाग असफल रहा जो सूचना प्रौद्योगिकी में प्रचलित उचित पद्धती के विपरित है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय में डीलरों द्वारा वर्ष 2010-15 में भरे गए विवरणी के डाटा में हमने देखा की 8,755 प्रकरणों में डीलरों ने अपने विवरणी में चालान क्रमांक के कॉलम में चालान का यूनीक नम्बर दर्ज नहीं किया था।

जैसे एक डीलर (वैइकान ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, टिन क्रमांक 22741100719) ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की त्रैमासिक विवरणी जमा की। विवरणी की पुनः जांच में हमने पाया कि चालान क्रमांक को भरते समय डीलर द्वारा समानता नहीं रखी गई है। यूनीक नम्बर भरने के स्थान पर डीलर “No Id”, “0”, “00”, “000”, “0000”, “45”, “Trans” आदि विवरण को भरा गया है। पुनः ऐसे विवरणों को कई बार दोहराया गया है। आगे राशि ₹ 1,367 करोड़ के 24,174 ई-चालान के प्रकरणों में कर निर्धारण वर्ष को 0 (शून्य) दर्शाया गया है। चूंकि वर्ष ही कर निर्धारण का मुख्य आधार होता है, प्रचलित उचित पद्धती के आधार पर विशिष्ट जांच पद्धती रखी जानी आवश्यक थी।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने डीलरों द्वारा जमा किये जा रहे विवरणी के विवरणों की संपूर्णता, सटीकता एवं वैधता को सुनिश्चित करने हेतु कोई जाँच नहीं लगाई है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा एवं CGCOMTAX में सभी फिल्ड पर आवश्यक जांच लगाई जावेगी।

8.25 अंतिम तिथि के बाद भी ई-रिटर्न को स्वीकार किया जाना

वैट अधिनियम धारा 21(3) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण हेतु प्रकरणों का चयन होने के बाद भी जमा किये गये प्रकरणों को चिन्हित करने हेतु साफ्टवेयर में जांच/पलेग लगाने में विभाग असमर्थ रहा।

धारा 21(3) के अनुसार यदि किसी डीलर का कर निर्धारण धारा 21(2) के अंतर्गत होता है यानि स्व कर निर्धारण द्वारा तो आयुक्त पुनः कर निर्धारण के लिए ऐसे डीलर जिनके वर्ष का निर्धारण उप धारा (1) के अंतर्गत उप धारा (2) अनुसार हुआ हो, को चुन सकता है जैसा वह उचित समझे एवं ये चुनाव उस वर्ष के एक कैलेंडर वर्ष के अन्दर किया जाता है।

हमने पाया कि वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 5049, 9457 एवं 2139 डीलरों ने फॉर्म-18 (स्व कर निर्धारण हेतु) आयुक्त द्वारा धारा 21(3) के अनुसार उस वर्ष के प्रकरणों का चयन करने के बाद जमा किया गया। यह फॉर्म 18 जमा करने की तिथि को समय-समय पर अधिसूचनाओं द्वारा बढ़ाये जाने से हुआ। अधिनियम के अनुसार धारा 21(3) के अंतर्गत प्रकरणों के चयन के बाद बाकी प्रकरणों को भी स्व कर निर्धारित माना जावेगा। देर से जमा किये गये प्रकरणों को चिन्हित नहीं किये जाने से 16,645 प्रकरण चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से वंचित रहे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8.26 डीलरों के विवरणी में संदेहास्पद विश्वसनीयता वाले चालानों को न लिए जाने हेतु कोई रोक नहीं लगाई गयी।

विभाग ने ऐसे चालान स्वीकार किये जो ई-चालान एवं ट्रेजरी डाटा में उपलब्ध नहीं है। आगे हेर-फेर किये गए चालानों को भी स्वीकार किया गया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय में डीलरों द्वारा जमा विवरणी की जाँच में पाया गया कि दो डीलर (स्काई ऑटोमोबाइल्स, टिन क्रमांक 22241500634 एवं वैडकान ऑटोमोबाइल्स, टिन क्रमांक 22241100719) द्वारा ₹ 6.79 करोड़ का भुगतान 51 चालानों द्वारा ई-विवरणी में दर्शाया गया है। वर्णित किये गए चालानों की राशि के मिलान करने पर पाया कि ई-चालान एवं ट्रेजरी डाटा (मुख्य शीर्षः 0040) में ये विवरण उपलब्ध नहीं है।

एक अन्य प्रकरण में, डीलर ने विवरणी में जुलाई 2012 में ₹ 2,49,795 का भुगतान ई-चालान द्वारा दर्शाया है। किंतु इसके प्रतिसत्यापन पर पाया गया की डीलर द्वारा वास्तव में ₹ 24,979 का ही भुगतान किया है।

पुनः कार्यालय वाणिज्यिक कर वृत्त-दो, दुर्ग में हमने देखा कि एक डीलर (मेसर्स वर्धमान मोटर्स, टिन क्रमांक 22193203060) ने माह जुलाई 2012 में ₹ 30 लाख का भुगतान दर्शाया है जो ई-चालान एवं कोषालयीन डाटा में उपलब्ध नहीं है। ई-चालान एवं कोषालयीन डाटा में उपलब्ध नहीं होने से इन चालानों की वैधता संदेहास्पद है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, एक प्रकरण में ब्याज सहित ₹ 3.08 लाख की वसूली की गई है। शेष प्रकरणों में चालानों को कोषालय से जाँच करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। पुनः डीलरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

8.27 समान चालानों का विवरण प्रवेश कर/केन्द्रीय विक्रय कर में दर्शाकर कर की अपवंचना

डीलरों द्वारा अलग अलग कर के भुगतान हेतु सामान चालानों का पुनः प्रयोग को रोकने हेतु COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वैधता जाँच लागू करने में विभाग विफल रही।

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-दो, दुर्ग एवं वृत्त-सात, रायपुर में हमने देखा कि वर्ष 2011-12 में दो डीलरों ने वैट एवं प्रवेश कर की वार्षिक विवरणी जमा की थी। कर के दायित्व के अनुसार डीलरों ने ई-चालानों द्वारा भुगतान के भी विवरण दर्शाये गये थे। विवरणी एवं चालान विवरणों की पुनः जाँच से ज्ञात हुआ कि निम्नानुसार डीलरों ने समान चालान के विवरण वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान के लिए प्रयोग किये हैं, जैसे कि निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 8.5

व्यवसायी का नाम	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि (₹)
जे. के. नेटवर्क (टिन -22313202218)	750076	21.01.2012	9,107
	750047	21.01.2012	16,167
	062842	20.04.2012	14,677
श्रद्धा (टिन-22401703179)	66051111000534	05.11.2011	11,115

उपरोक्त व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का ही भुगतान किया गया लेकिन विवरणी भरते समय उन्होंने इन्ही चालानों से वैट का भुगतान भी दर्शाया गया। इस प्रकार एक ही चालान का भुगतान दोनों विवरणी में दर्शाकर धोखाधड़ी से ₹ 51,066 की कर अपवंचना की।

आगे हमने पाया कि नौ डीलरों ने समान चालानों के विवरण दो विभिन्न विवरणियों में जमा किये जैसे वैट एवं प्रवेशकर; वैट एवं केन्द्रीय विक्रय कर (परिशिष्ट 8.1)।

इस प्रकार डीलरों द्वारा अलग अलग कर के भुगतान हेतु सामान चालानों का उपयोग रोकने हेतु COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वैधता की जाँच विभाग द्वारा लागू नहीं किये जाने से ही डीलरों ने चालान में धोखाधड़ी कर, कर अपवंचना की।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, एक प्रकरण में ₹ 61,363 की वसूली की गई है एवं दूसरे प्रकरण में जाँच पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। शेष नौ प्रकरणों में डीलरों द्वारा गलती से समान चालान अलग-अलग विवरणी में दर्शाये गए हैं। पुनः इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु COMTAX में आवश्यक जांच पद्धति लागू की जावेगी और डीलरों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

8.28 एक ही चालान में कोषालयीन डाटा एवं ई-चालान डाटा की राशि में भिन्नता

विभाग ऐसी राशियों को मिलान करने में असमर्थ रहा जो ई-चालान एवं कोषालयीन डाटा में विभिन्न रूप में दर्शित हो रहे थे।

कार्यालय वाणिज्यिक कर वृत्त-दो, दुर्ग के ई-चालान डाटाबेस में हमने देखा कि डीलर (मेसर्स शुभम इंटरप्राइजेज, टिन क्र. 2223200279) द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए जमा विवरणी (स्व कर निर्धारण) में ₹ 2.78 लाख का भुगतान चालान दिसम्बर 2011 को किया

गया जिसका ट्रेजरी रिफरेन्स क्रमांक 66051211000022 था। किंतु चालान डाटा की जाँच में हमने पाया कि ₹ 100 का ही भुगतान ई-चालान द्वारा हुआ है। किंतु कोषालयीन डाटा ₹ 2.78 लाख का दर्शा रहा है।

इसी प्रकार कार्यालय वाणिज्यिक कर वृत्त-सात, रायपुर में हमने पाया कि एक डीलर (हुम्बोल्डट-WEDAG, टिन क्रमांक 22801702571) ने वर्ष 2010-11 के विवरणी में ₹ 1.69 लाख का भुगतान अक्टूबर 2011 में किया जिसका ट्रेजरी रिफरेन्स क्रमांक 660510101240 है। आगे जाँच में हमने पाया कि ई-चालान द्वारा ₹ 750 का ही भुगतान किया गया है।

अतः ट्रेजरी डाटा एवं चालान डाटा में एक ही चालान की राशि का मिलान नहीं हो रहा था। एक ही चालान के लिए अलग राशि का दर्शित होना यह दर्शाता है कि डाटा के प्रोसेसिंग में कमी है जिसके कारण ₹ 4.46 लाख के कम वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, अंतर के कारणों का परीक्षण किया जावेगा, यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8.29 कोषालयीन डाटा में बैंक द्वारा अप्राप्त राशि का चित्रित होना।

विभाग एक से अधिक बार कोषालयीन डाटा में प्रदर्शित डाटा जो ई-चालान में नहीं है का पुनर्मिलान करने में असफल रहा।

ट्रेजरी डाटाबेस के जाँच में हमने पाया कि प्रत्येक ट्रेजरी रेफरेन्स नम्बर के विरुद्ध एक से अधिक बार (दो से चार बार) व्यवहार प्रदर्शित होने से ₹ 7.07 करोड़ शासकीय प्राप्ति बढ़कर प्रदर्शित हो रही है। लेकिन ई-चालान डाटा का ट्रेजरी डाटा से मिलान किये जाने से हमने पाया कि शासन को 12 व्यवहारों में ₹ 3.21 करोड़ की ही प्राप्ति हुई है जैसा तालिका 8.6 में वर्णित है।

तालिका 8.6

टिन	चालान दिनांक	सकल राशि (₹)	वित्तीय वर्ष	ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर	ई-चालान क्रमांक	गिनती	राशि ई-ट्रेजरी डाटा अनुसार
0	11.12.2008	25,00,000	2008-09	229432006590		3	75,00,000
0	30.01.2009	25,00,000	2008-09	660501090148		2	50,00,000
0	30.01.2009	25,00,000	2008-09	660501090149		2	50,00,000
0	11.02.2009	25,00,000	2008-09	660502009142		2	50,00,000
0	28.02.2009	27,889	2008-09	660502090158		2	55,778
22155100984	13.12.2012	5,00,000	2012-13	660512120052	0	2	10,00,000
22121900437	11.03.2013	50,000	2012-13	660503130036	0	2	100,000
22414700231	12.09.2013	50,00,000	2013-14	660509130050	0	2	100,00,000
22351901426	16.09.2013	10,00,000	2013-14	660509130063	0	4	40,00,000
22641902285	16.09.2013	10,00,000	2013-14	660509130063	0	4	40,00,000
22414700231	16.09.2013	50,00,000	2013-14	660509130063	0	2	100,00,000
22651704157	19.09.2013	95,00,000	2013-14	66050913006898	6600900000	2	190,00,000
	योग	3,20,77,889 अथवा 3.21 करोड़					70655778 अथवा 7.07 करोड़

आगे ई-चालान डाटा के जाँच में पाया गया कि उपरोक्त 12 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में राशि ₹ 1.45 करोड़ ही ई-चालान द्वारा प्राप्त हुए जैसा की तालिका 8.7 में वर्णित है।

तालिका 8.7

टिन-सिन	ट्रे-रेफ	प्रविष्टि दिनांक	राशि (₹)	करदाता
22943200659	660501090148	29.01.2009	25,00,000	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
22943200659	660501090149	29.01.2009	25,00,000	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
22232200252	660502090158	26.02.2009	27,889	मंडोली राइस इंडस्ट्रीज
22651704157	66050913006898	19.09.2013	95,00,000	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेज कोर्प लिमिटेड

अतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ₹ 5.62 करोड़ अधिक लेखांकित किये जाने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, कोषालय से जाँच करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

सॉफ्टवेयर को परिष्कृत करने के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे एक ट्रेजरी रिफरेन्स के विरुद्ध एक से अधिक अभिलेख उत्पन्न न हो। पुनः शासकीय खाते में शामिल करने से पहले कोषालय द्वारा ई-चालान के आंकड़ों का मिलान उपलब्ध डाटाबेस से कर लेना चाहिए।

8.30 क्रियान्वयन एजेंसी, सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी एवं विभागों के बीच समन्वयन में कमी।

क्रियान्वयन एजेंसी, सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी एवं विभागों के बीच समन्वयन में कमी थी।


परिवहन विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग की ई-चालान प्रणाली लागू करने से संबंधित नस्तियों की जाँच में हमने पाया कि लागू करने वाली एजेंसी (संचालनालय कोष) एवं उन विभागों में जहाँ ई-चालान प्रणाली लागू की गयी है, के बीच समन्वयन की कमी थी। आगे विभागों एवं सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एजेंसी के बीच भी तालमेल की कमी थी। किसी भी विभाग द्वारा ई-चालान प्रणाली या सॉफ्टवेयर की किसी भी समस्या के अनुसरण हेतु किसी प्रकार की नस्ति का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। अतः समन्वयन की कमी से चालान में हेरफेर, कोषालय स्तर पर आवश्यक क्षेत्रों के सम्पूर्ण हुए बिना ही आगे कार्यवाही हो जाना, दोहरे ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर उत्पन्न होना, बैंक डाटा को कोषालयीन डाटा में समाहित न करना; पांच माह तक ई-चालान द्वारा प्राप्त राशि को शासकीय लेखे से अलग रखने जैसी कमीया पाई गयी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, सॉफ्टवेयर को कोषालय डाटा से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8.31 निष्कर्ष

“ई-चालान का क्रियान्वयन” की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि:

- ई-चालान के क्रियान्वयन के प्रबंधन के लिए निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन अथवा सामानांतर जाँच के प्रबंध नहीं किये गए।
- इनपुट एवं वैधता जाँचों को सॉफ्टवेयर में सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाया गया। सॉफ्टवेयर को दूसरे उपयोग करने वाले विभागों के सॉफ्टवेयर जैसे CGCOMTAX एवं VAHAN से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं किया गया। इस कमी के कारण कई स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप हुए एवं डाटा में हेर फेर हुआ।
- चॉइस रजिस्ट्रेशन नम्बर के आबंटन में परिवहन विभाग द्वारा डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर में बढ़े हुए दर के अनुसार क्रियाकलाप के नियमों को अनुसरण नहीं करने से राजस्व ₹ 3.56 करोड़ का कम आरोपण हुआ।




(बिजय कुमार मोहन्ती)

रायपुर

दिनांक 01 फरवरी 2016

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

दिनांक 02 फरवरी 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ कंडिका 1.8)

वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षित ईकाई

स. क्रं.	विभाग का नाम	इकाई का नाम	श्रेणी
1	वाणिज्यिक कर	उ.आ., रायपुर (मु.) (निलिमा तिगा)	A
2		उ.आ., रायपुर (संभाग-II) (कल्पना तिवारी)	A
3		वा.क.अ., कवर्धा	A
4		उ.आ., दुर्ग (एच.एल. हिदेव)	A
5		वा.क.अ., वृत्त-2, दुर्ग	A
6		स.आ.वा.क.-III, दुर्ग	A
7		वा.क.अ., वृत्त-5, रायपुर	A
8		वा.क.अ., वृत्त-2, रायगढ़	A
9		वा.क.अ., वृत्त-7, रायपुर	A
10		वा.क.अ., वृत्त-2, कोरबा	A
11		वा.क.अ., वृत्त-8, रायपुर	A
12		स.आ., रायपुर (मु.) (पी.आर. देवांगान)	A
13		स.आ., रायपुर (टी.आर. ध्रुव)	A
14		स.आ.वा.क.-II, संभाग-I, बिलासपुर,	A
15		स.आ.वा.क., रायगढ़	A
16		वा.क.अ., भाटापारा	A
17		वा.क.अ., महासमुंद	A
18		वा.क.अ., धमतरी	A
19		स.आ. -I, दुर्ग	A
20		स.आ. -II, दुर्ग	A
21		आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर	T
22	वाणिज्यिक कर (आबकारी)	जि.आ.अ., रायपुर	A
23		जि.आ.अ., बिलासपुर	A
24		स.आ. जांजगीर	A
25		जि.आ.अ., राजनांदगांव	A
26		जि.आ.अ., जगदलपुर	A
27		स.आ., कोरबा	A
28		जि.आ.अ., कवर्धा	A
29		जि.आ.अ., महासमुंद	A
30		जि.आ.अ., मुंगेली	T
31	वाणिज्यिक कर (पंजीकरण)	उ.पं., रायपुर	A
32		उ.पं., दुर्ग	A
33		उ.पं., बिलासपुर	A
34		उ.पं., सक्ती	B
35		उ.पं., पतथलगांव	B
36		उ.पं., कटघोरा	B
37		उ.पं., खरसीया	B
38		उ.पं., तिल्दा	T
39		उ.पं., नवागढ़	T
40		उ.पं., पंडरीया	T

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

41		उ.पं., बालोद	B	
42	परिवहन	क्षे.प.अ., रायपुर	A	
43		क्षे.प.अ., अम्बिकापुर	A	
44		क्षे.प.अ., बिलासपुर	A	
45		अति.क्षे.प.अ., दुर्ग	A	
46		जि.प.अ., कोरबा	A	
47		क्षे.प.अ., जगदलपुर	A	
48		जि.प.अ., महासमुंद	B	
49		जि.प.अ., बालोद	B	
50		जि.प.अ., जांजगीर	B	
51		जि.प.अ., कवर्धा	B	
52		जि.प.अ., मुंगेली	B	
53		जि.प.अ., धमतरी	B	
54		वन	व.मं.अ., रायगढ़	A
55	व.मं.अ., गरियाबंद		A	
56	व.मं.अ., पूर्व भानुप्रतापपुर		A	
57	व.मं.अ., कांकेर		A	
58	व.मं.अ., जगदलपुर		A	
59	व.मं.अ., बिलासपुर		A	
60	व.मं.अ., बिजापुर		A	
61	व.मं.अ., कटघोरा		A	
62	व.मं.अ., मरवाही		A	
63	व.मं.अ., सुकमा		A	
64	व.मं.अ., कवर्धा		B	
65	वन संरक्षक, जगदलपुर		T	
66	वन संरक्षक, बिलासपुर		T	
67	व.मं.अ., बालोद		A	
68	भू-राजस्व		कलेक्टर, बिलासपुर	B
69			कलेक्टर, रायगढ़	B
70			कलेक्टर, धमतरी	B
71		कलेक्टर, राजनांदगांव	B	
72		कलेक्टर, महासमुंद	B	
73		तहसीलदार, कोरबा	B	
74		तहसीलदार, माकडी	T	
75		विद्युत एवं सुरक्षा	मु.वि.नि., रायपुर	A
76	खनिज	जि.ख.अ., बिलासपुर	A	
77		जि.ख.अ., कोरबा	A	
78		जि.ख.अ., अम्बिकापुर	A	
79		जि.ख.अ., जगदलपुर	A	
80		जि.ख.अ., कांकेर	A	
81		जि.ख.अ., महासमुंद	B	
82		जि.ख.अ., दुर्ग	A	
83		जि.ख.अ., जशपुर	B	
84		सं.भौ.ख., रायपुर	B	

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ कंडिका 2.2.19)

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष (माह व कर निर्धारण वर्ष)	अनुसूची क्र. / भाग क्र. / प्रविष्टि क्र.	विक्रय मूल्य	आरोपणीय / आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1	वा.क.अ.-2, बिलासपुर	डी.टी.एच.	2007-08(जुलाई 2011)	IV/II/1	31.31	12.5/4	2.66	कर निर्धारण अधिकारी ने 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
2	स.आ.वा.क., संभाग-II, रायपुर	पुराना एच.एम. भी/एल.एम.भी.	2009-10(दिसम्बर 2012)	II/II/80	6.55	5/0	0.33	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
3	स.आ.वा.क., रायगढ़	पुराना कार/स्कुटर	2010-11(मार्च 2015)	II/II/80 एवं II/IV/1	3.09	5 एवं 14/0	0.21	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
4	स.आ.वा.क., रायगढ़	पानी की टंकी	2010-11(जून 2014)	II/IV/1	1.33	14/5	0.12	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
5	स.आ.वा.क., रायगढ़	पुराना कार/ट्रक, पिक अप और राख से ईट बनाने वाली मशीन	2009-10(फरवरी 2015)	II/II/80 एवं II/IV/1	7.24	4 एवं 12.5/0	0.79	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
6	स.आ.वा.क., रायगढ़	पुरानी कार	2008-09(जून 2013)	II/II/80	1.20	4/0	0.05	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
7	स.आ.वा.क., राजनांदगांव	मेमोरी कार्ड और मोबाईल बैट्री	2011-12(दिसम्बर 2014)	II/IV/1	3.35	14/5	0.30	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
8	वा.क.अ. वृत्त-3, रायपुर	पुरानी कार	2009-10(अक्टूबर 2013)	II/II/80	5.91	4/0	0.24	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
9	वा.क.अ. वृत्त-3, रायपुर	दोना पत्तल मशीन और रद्दी पेपर	2010-11(सितम्बर 2012)	II/IV/1	24.81	14/5	2.23	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
10	वा.क.अ. वृत्त-9, रायपुर	पुरानी कार	2009-10(मार्च 2014)	II/II/80	3.25	5/0	0.16	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
11	वा.क.अ. वृत्त-9, रायपुर	इलेक्ट्रिक पेनल	2009-10(जुलाई 2014)	II/IV/1	127.40	12.5/4	10.83	कर निर्धारण अधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

12	वा.क.अ. वृत्त-9, रायपुर	पुरानी कार	2008-09(नवम्बर 2012)	II / II / 80	5.00	4 / 0	0.20	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
13	वा.क.अ. वृत्त-9, रायपुर	घरेलू द्रवित पेट्रोलियम गैस	2008-09(जून 2013)	अधिसूचना 34 दिनांक 03.04.2006 के द्वारा	23.70	4 / 0	0.95	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
14	स.आ.वा.क.-II, संभाग-I, बिलासपुर	ट्रेक्टर	2009-10(नवम्बर 2013)	II / II / 112	2887.09	5 / 4	28.87	कर निर्धारण अधिकारी ने 5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
15	वा.क.अ.-3, संभाग-I, रायपुर	कन्फेक्शनरी माल	2011-12(जून 2013)	IV / II / 1	50.60	14 / 5	4.55	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
16	उ.आ.वा.क., दुर्ग	अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल (ई.एन.ए.)	2008-09(अगस्त 2011)	II / II / 30	488.00	4 / 0	19.52	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
17	उ.आ.वा.क., दुर्ग	पुराना प्लांट और मशीनरी	2007-08(दिसम्बर 2014)	II / IV / 1	9829.00	12.5 / 4	835.0	कर निर्धारण अधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
18	उ.आ.वा.क., संभाग-II, रायपुर	पुराना टैकर और पुराना टीपर	2008-09(जून 2013)	II / IV / 1	30.30	12.5 / 4	2.58	कर निर्धारण अधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
19	स.आ.वा.क., राजनांदगांव	पुराना कार	2010-11(जुलाई 2013)	II / II / 80	4.61	5 / 0	0.23	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
20	स.आ.वा.क., राजनांदगांव	पुराना कार	2010-11(सितम्बर 2013)	II / II / 80	1.81	5 / 0	0.09	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
21	स.आ.वा.क., राजनांदगांव	पुराना कार	2010-11(सितम्बर 2013)	II / II / 80	0.50	5 / 0	0.02	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
22	स.आ.वा.क., राजनांदगांव	पुराना कार	2010-11(जून 2013)	II / II / 80	3.25	5 / 0	0.16	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
23	स.आ.वा.क.-3, दुर्ग	पुराना कार	2010-11(जून 2013)	II / II / 80	1.75	5 / 0	0.09	कर निर्धारण अधिकारी ने वैट आरोपित नहीं किया।
24	वा.क.अ., वृत्त-3, दुर्ग	मेडिकल ऑक्सीजन गैस	2010-11(सितम्बर 2012)	II / IV / 1	62.02	14 / 5	5.58	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।

25	वा.क.अ., वृत्त-3, दुर्ग	एलपीजी रबर पाईप	2010-11(मार्च 2013)	II/IV/1	1.06	14/5	0.10	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
26	वा.क.अ., वृत्त-3, दुर्ग	इन्वर्टर	2010-11(मार्च 2012)	II/IV/1	0.95	14/5	0.09	कर निर्धारण अधिकारी ने 14 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
योग					13605.08		915.95	

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ कंडिका 2.2.23)

(₹ लाख में)

विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	विक्रेता द्वारा बताया गया बिक्री	क्रेता द्वारा बताया गया क्रय	संव्यवहार में अंतर	संव्यवहारीय अंतर पर कर का दायित्व (@14% एवं 4%)	शास्ति
मेसर्स अशोक एजेन्सी, टिन-2033300148, अवधि 2010-11 (सितम्बर 2012)	मेसर्स विमल ट्रेडर्स	6.60	9.89	3.29	0.46	1.38
	मेसर्स सरोज प्लाइवुड	5.92	8.21	2.29	0.32	0.96
मेसर्स बंसल ब्रदर्स, भिलाई, टिन-224933302611, अवधि 2009-10 (सितम्बर 2012)	मेसर्स कॉर्पोरेट इस्पात एलायज	11.08	26.97	15.89	0.64	1.91
योग				21.47	1.42	4.25

परिशिष्ट 2.3
(संदर्भ कंडिका 2.2.24)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	संविदा की प्रकृति	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण माह/वर्ष)	सकल प्राप्ति	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर योग्य आवर्त	वास्तविक सकल करयोग्य आवर्त	आरोपणीय/आरोपीत कर	अंतर की राशि	प्रेक्षण की प्रकृति
1	संभागीय	संकर्म संविदा	2008-09 (अगस्त 2012)	12168.43	2326.91	2851.54	146.33 / 118.41	27.92	कर निर्धारण अधिकारियों ने सकल कर योग्य की गलत कार्य प्रणाली को अपनाया जिससे सकल करयोग्य विक्रय का कम कर निर्धारण हुआ जबकि सम्पूर्ण संपरीक्षा प्रतिवेदन व्यवसायी द्वारा पहले ही जमा कराया जा चुका था।
2	उपायुक्त, दुर्ग		2009-10 (फरवरी 2014)	1148.30	593.35	989.01	50.79 / 34.92	15.87	
3	स.आ., रायगढ़		2007-08 (दिसम्बर 2014)	472.36	151.36	169.35	13.09 / 11.44	1.65	
4	स.आ., राजनांदगांव		2009-10 (जनवरी 2014)	330.08	197.19	216.16	9.13 / 8.48	0.65	
5			2009-10 (सितम्बर 2013)	156.24	94.37	104.26	4.81 / 4.35	0.46	
योग				14275.41	3363.18	4330.32	224.15 / 177.60	46.55	

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भ कंडिका 2.2.25.1)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (माह व निर्धारण वर्ष)	अंतरराज्यीय विक्रय राशि	राशि जिसके 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं/दोषपूर्ण 'सी' फार्म	आरोपणीय/आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1	स.आ.-III, दुर्ग	2009-10 (सित.12)	627.93	212.42	4/2	4.25	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
2		2010-11 (सित. 12)	168.49	9.10	4/2	0.18	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
3		2010-11 (सित. 12)	1289.31	19.66	4/2	0.39	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
4	स.आ., राजनांदगांव	2010-11 (दिस. 12)	1520.17	4.92	5/2	0.24	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
5	वा.क.अ., वृत्त-9, रायपुर	2009-10 (मार्च 14)	46.37	5.08	4/2	0.10	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
6		2009-10 (दिस. 12)	231.66	7.32	4/2	0.14	'सी' फार्म जो एक तिमाही से अधिक से संबंधित के स्वीकार करने से कर की गलत छूट
7		2009-10 (सित. 12)	28.66	28.66	4/2	1.15	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
8		2009-10 (नव. 13)	39.77	16.67	4/2	0.33	'सी' फार्म जो सुधार द्रव्य से सुधारा गया पर कर की गलत छूट
9	स.अ., संभाग-II, रायपुर	2009-10 (सित. 12)	153.46	149.04	4/2	2.98	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
10		2009-10 (नव. 12)	61.81	36.01	4/2	0.72	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
11	स.अ., संभाग-II, रायपुर	2009-10 (अप्रैल 14)	7431.18	417.43	4/1	12.52	बिना 'सी' फार्म के कर की गलत छूट
योग			11598.81	906.31		23.00	

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

परिशिष्ट 2.5
(संदर्भ कंडिका 2.2.25.4)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण माह व वर्ष)	ईI/सी बिक्री की राशि	राशि जिसकी ईI/सी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	राशि जिसकी ईI प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	राशि जिसकी 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया	आरोपणीय /आरोपित कर की दर	कर का अनारोपण	प्रेक्षण की प्रकृति
1	वा.क.अ.-9, रायपुर	2007-08 (अगस्त 11) एवं (दिस.14)	90.69	90.69	0	0	4/0	3.63	'ई I' और 'सी' फार्म के अभाव में कर की गलत छूट
2	स.आ. (लता त्यागी) संभाग-I, रायपुर	2009-10 (सित. 12)	105.13	0	23.36	17.28	2,4/0	1.16	उक्त राशि 'ई I' और 'सी' फार्म के अभाव में कर की गलत छूट
3		2009-10 (सित. 12)	409.79	165.50	244.29	0	2,4/0	11.51	उक्त राशि 'ई I' और 'सी' फार्म के अभाव में कर की गलत छूट
योग			605.61	256.19	267.65	17.28		16.30	

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ कडिका 2.3.2)

(राशि ₹ में)

कर निर्धारित का नाम	वैट की गणना		विभिन्न कर दरों पर सम्मिलित मालों का प्रतिशत	
एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, रायपुर	उपभोगिता माल का मूल्य	12.50%	14147971	26-82%
		4%	38606061	73-18%
	योग		52754032	
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार लाभ	10.50%		
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार करयोग्य विक्रय	58293205		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार लाभ	18.37%		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार करयोग्य विक्रय	62444948		
	करयोग्य विक्रय का कम कर निर्धारण	4151742		
	कम निर्धारण विक्रय पर वैट का कम आरोपण	260717		
विप्रा कंस्ट्रक्शन, रायपुर	उपभोगिता माल का मूल्य	12.50%	4349171	26.32%
		4%	12113397	73.30%
		0%	63825	0.38%
	योग		16526393	
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार लाभ	5.00%		
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार करयोग्य विक्रय	17352713		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार लाभ	19.61%		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार करयोग्य विक्रय	19767219		
	करयोग्य विक्रय का कम कर निर्धारण	2414506		
कम निर्धारण विक्रय पर वैट का कम आरोपण	150230			
आर.डी. कंस्ट्रक्शन, रायपुर	उपभोगिता माल का मूल्य	12.50%	6752688	40.84%
		4%	9024245	54.58%
		0%	757678	4.58%
	योग		16534611	
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार लाभ	5.00%		
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार करयोग्य विक्रय	17361342		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार लाभ	13.67%		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार करयोग्य विक्रय	18794892		
	करयोग्य विक्रय का कम कर निर्धारण	1433550		
कम निर्धारण विक्रय पर वैट का कम आरोपण	104480			
योग	उपभोगिता माल का मूल्य	12.50%	25249830	
		4%	59743703	
		0%	821503	
	योग		85815036	
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार लाभ	5% से 10.50%		
	कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार करयोग्य विक्रय	93007260		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार लाभ	13.67% से 19.61%		
	कर निर्धारण के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार करयोग्य विक्रय	101007059		
	करयोग्य विक्रय का कम कर निर्धारण	7999799		
कम निर्धारण विक्रय पर वैट का कम आरोपण	515427			

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

परिशिष्ट 6.1
(संदर्भ कंडिका 6.4.1)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	प्रचय क्र.	वर्ग	गोलाई	लंबाई	आयतन (घन मीटर में)	अवरोद्ध मूल्य	विक्रय मूल्य	कम प्राप्ति	कमी का प्रतिशत	प्रथम नीलामी का दिनांक
प्रजाति: काष्ठ										
नीलामी दिनांक: 02-09-2011										
1	G40	IV B	51-60, 76-90, 91-105	1 तक, 1-2, 2-3, 4-6	0.897	25600	13000	12600	49%	02-12-10
2	G197	III, III B, IV A	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90	1-2, 2-3, 3-4, 4-6	1.676	54000	33000	21000	39%	04-03-11
नीलामी दिनांक: 04-01-2012										
3	H78	III A	61-75, 76-90, 91-105, 106-120	0-1, 1-2, 2-3	1.208	57600	46200	11400	20%	02-11-11
4	H141	III A	106-120, 121-135, 136-150, 150 से ऊपर	1-2	1.152	66500	56100	10400	16%	02-11-11
नीलामी दिनांक: 02-06-2012										
5	H422	IV A	51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 150 से ऊपर	0-1, 1-2, 2-3	1.353	44100	35500	8600	20%	03-04-12
नीलामी दिनांक: 03-07-2012										
6	H421	III B, IV B	106-120, 121-135, 136-150, 150 से ऊपर	2-3	3.065	155800	120000	35800	23%	03-04-12
7	H559	III A	91-105, 106-120, 121-135	2-3	1.662	108000	90000	18000	17%	02-05-12
8	H561	III B, IV A	51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120	1-2, 2-3	2.627	91000	77000	14000	15%	02-05-12
9	H567	III B, IV A	61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 121-135, 150 से ऊपर	0-1, 1-2, 2-3	1.529	67400	54500	12900	19%	02-05-12
10	H582	III A, IV A, IV B	76-90, 106-120, 121-135, 136-150, 150 से ऊपर	0-1, 2-3	1.642	90400	73000	17400	19%	02-05-12
11	H601	III A, III B, IV A	76-90, 91-105, 106-120, 121-135, 136-150, 150 से ऊपर	1-2, 2-3, 3-4	3.277	208600	168000	40600	19%	02-05-12
नीलामी दिनांक: 03-08-2012										
12	H564	III B, IV A, III, अनसाऊन्ड	15-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90	0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6 से ऊपर	1.439	60300	35000	25300	42%	02-05-12
13	H599	III A, III B, IV A, IV B	41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 136-150, 150 से ऊपर	0-1, 1-2, 2-3	2.701	89000	69500	19500	22%	02-05-12
नीलामी दिनांक: 03-09-2012										
14	H752	III B, IV B	51-60, 61-75, 91-105, 106-120	0-1, 1-2	1.197	36700	22000	14700	40%	02-06-12

नीलामी दिनांक: 03-12-2012										
15	H949	IV A,अनसाऊन्ड	31-40, 41-50, 51-60, 61-75	1-2	3.44	88900	43500	45400	51%	03-08-12
16	H955	III B	61-75, 76-90, 91-105	2-3, 3-4, 4-6	2.466	110200	62000	48200	44%	03-08-12
17	H1092	III B,IV A	41-50, 51-60, 61-75	3-4, 4-6	3.675	142200	114000	28200	20%	03-09-12
नीलामी दिनांक: 03-01-2013										
18	I71	III B, IV A,IV B	76-90, 91-105, 121-135, 136-150, 150 से ऊपर	1-2, 2-3	2.384	85900	70000	15900	19%	02-11-12
19	I108	III,IV A	31-40, 41-50, 51-60	1-2, 2-3, 3-4, 4-6	2.312	74800	61500	13300	18%	02-11-12
20	I119	III B,IV A	41-50, 51-60, 61-75, 76-90	2-3, 3-4, 4-6	3.118	125600	101000	24600	20%	02-11-12
21	I156	III,IV A	31-40, 41-50, 51-60	2-3, 3-4, 4-6	1.303	41100	33600	7500	18%	02-11-12
22	I157	III B,IV A	41-50, 51-60, 61-75	2-3, 3-4	2.69	99300	80100	19200	19%	02-11-12
23	I162	III,III B	31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120	1-2, 2-3, 3-4, 4-6	2.448	107400	86000	21400	20%	02-11-12
नीलामी दिनांक: 03-03-2013										
24	I112	III, IV B,IV A	31-40, 41-50, 51-60, 61-75	1-2, 2-3, 3-4, 4-6	2.998	91800	64500	27300	30%	02-11-12
योग					51.88	2111700	1601500	510200		

(राशि ₹ में)

स. क्र.	प्रचय क्र.	वर्ग	गोलाई	लंबाई	आयतन (घन मीटर में)	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	कम प्राप्ति	कमी का प्रतिशत	प्रथम नीलामी का दिनांक
प्रजाति: साल										
नीलामी दिनांक: 02-09-2011										
1	G219	IV A,अनसाऊन्ड	0-50, 51-60, 61-90	0-2, 2-3	8.393	90400	64000	26400	29%	02-06-11
2	G268	III, IV A, अनसाऊन्ड	0-50, 41-50, 51-60, 61-90	0-2, 2-3	8.445	92100	65000	27100	29%	02-06-11
3	G306	IV A	51-60, 61-90, 91-120	0-2	6.521	70800	50000	20800	29%	02-06-11
4	G351	III A, IV A,IV B	91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3	10.022	134500	101000	33500	25%	02-06-11
नीलामी दिनांक: 02-06-2012										
5	H305	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 91-120, 0-50	0-2	3.735	42700	24000	18700	44%	02-02-12
6	H372	IV A,IV B	61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	4.564	61400	49500	11900	19%	03-04-12
नीलामी दिनांक: 03-07-2012										

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

7	H344	III, IV A,अनसाऊन्ड	0-50, 41-50, 51-60, 61-90	0-2, 2-3	5.933	71400	48500	22900	32%	03-04-12
8	H347	III B, IV A,IV B	120 से ऊपर	2-3, 3-5, 5 से ऊपर	3.99	71100	48500	22600	32%	03-04-12
9	H383	IV B	91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	7.934	97500	68000	29500	30%	03-04-12
10	H403	IV B	61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	5.481	66900	44000	22900	34%	03-04-12
11	H448	III,IV A	31-40, 41-50, 51-60, 61-90, 91-120	2-3, 3-5	3.407	46700	32000	14700	31%	03-04-12
12	H502	III, III B,IV A	41-50, 51-60, 61-90, 91-120,	0-2, 2-3, 3-5	2.727	37100	30000	7100	19%	02-05-12
नीलामी दिनांक: 03-08-2012										
13	H262	IV B	61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	9.183	105500	70000	35500	34%	02-02-12
14	H270	IV B	61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	3.975	42300	28000	14300	34%	02-02-12
15	H294	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 0-50	0-2	3.361	38600	15000	23600	61%	02-02-12
16	H307	III,IV B	31-40, 41-50, 51-60, 61-90	0-2, 2-3, 3-5	2.118	20200	11000	9200	46%	02-02-12
17	H364	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 120 से ऊपर, 0-50	0-2, 2-3	7.26	90100	42000	48100	53%	03-04-12
18	H420	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 0-50	0-2	6.233	73100	34000	39100	53%	03-04-12
19	H437	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 0-50	0-2, 2-3	3.26	39000	21000	18000	46%	03-04-12
20	H449	III, IV A,अनसाऊन्ड	31-40, 41-50, 51-60, 61-90, 0-50	0-2, 2-3, 3-5	4.495	55200	26000	29200	53%	03-04-12
21	H469	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 0-50	0-2	3.234	38100	15000	23100	61%	03-04-12
22	H503	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 0-50	0-2	3.777	43800	23500	20300	46%	02-05-12
23	H547	IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 0-50	2-3	5.098	60300	30000	30300	50%	02-05-12
24	H555	III B, IV A,अनसाऊन्ड	51-60, 61-90, 91-120, 0-50	0-2, 3-5	3.28	47700	29000	18700	39%	02-05-12
नीलामी दिनांक: 03-12-2012										
25	H529	IV A,IV B	61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	2.253	30000	15000	15000	50%	02-05-12
नीलामी दिनांक: 03-01-2013										
26	I24	IV A	51-60, 61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3	3.021	38600	31000	7600	20%	02-11-12
नीलामी दिनांक: 03-03-2013										
27	H1044	IV A	61-90, 91-120, 120 से ऊपर	2-3, 3-5	5.379	85400	49500	35900	42%	03-08-12
28	I178	IV A,IV B	51-60, 61-90, 91-120, 120 से ऊपर	0-2, 2-3, 3-5	4.447	52500	34500	18000	34%	02-11-12
योग					141.526	1743000	1099000	644000		
महायोग					193.786	3865200	2708000	1157200		

परिशिष्ट 6.2
(संदर्भ कंडिका 6.4.2)

(राशि ₹ में)

प्रचय क्र.	प्रजाति	गोलाई	लंबाई	आयतन	अवरोध मूल्य	विक्रय मूल्य	गैर-वाणिज्यिक दर	गैर-वाणिज्यिक मूल्य	कम प्राप्ति	प्रथम नीलामी का दिनांक
नीलामी दिनांक: 02-09-2011										
G263	साल	91-120	3-5	6.943	99400	74000	11924	82788	8788	02-06-2011
G283	साल	91-120	0-2	5.76	63200	45100	8335	48010	2910	02-06-2011
G316	साल	61-90	3-5	2.814			10072	28343		
		61-90	3-5	2.573			10072	25915		
		91-120	2-3	0.565			10141	5730		
		91-120	2-3	2.384			10141	24176		
		योग		8.336	98500	70000		84164	14164	02-06-2011
G327	काष्ठ	136-150	3-4	0.381			35770	13628		
		150 से ऊपर	2-3	1.093			34729	37959		
		136-150	2-3	0.358			34150	12226		
		121-135	2-3	0.229			33572	7688		
		150 से ऊपर	1-2	0.931			30098	28021		
योग		2.992	107100	75600		99522	23922	02-06-2011		
G348	साल	120 से ऊपर	3-5	6.132	94000	68500	12734	78085	9585	02-06-2011
G382	साल	91-120	0-2	0.094			8335	783		
		91-120	2-3	0.726			10141	7362		
		91-120	3-5	0.297			11924	3541		
		120 से ऊपर	2-3	0.519			11113	5768		
		120 से ऊपर	3-5	1			12734	12734		
		120 से ऊपर	3-5	3.918			12734	49892		
योग		6.554	88400	62500		80080	17580	02-06-2011		
नीलामी दिनांक: 04-01-2012										
G463	साल	120 से ऊपर	3-5	1.468	17400	11500	12734	18694	7194	02-09-2011
G496	साल	120 से ऊपर	0-2	0.479			9642	4619		
		120 से ऊपर	3-5	1.997			12734	25430		
योग		2.476	28500	20000		30049	10049	02-09-2011		

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

G513	साल	120 से ऊपर	3-5	2.452			12734	31224		
		120 से ऊपर	5 से ऊपर	0.546			13892	7585		
		120 से ऊपर	3-5	0.896			12734	11410		
		120 से ऊपर	2-3	2.137			11113	23748		
		योग			6.031	78100	44000		73967	29967
H48	साल	91-120	2-3	0.495			10141	5020		
		91-120	3-5	0.261			11924	3112		
		120 से ऊपर	2-3	1.94			11113	21559		
		120 से ऊपर	3-5	1.917			12734	24411		
		योग			4.613	53500	42800		54102	11302
नीलामी दिनांक: 02-06-2012										
H277	साल	91-120	3-5	7.176	107900	71000	11924	85567	14567	02-02-2012
H280	साल	120 से ऊपर	3-5	3.444	55500	36000	12734	43856	7856	02-02-2012
H284	साल	61-90	3-5	0.213			10072	2145		
		91-120	2-3	0.261			10141	2647		
		91-120	3-5	4.262			11924	50820		
		योग			4.736	70600	37000		55612	18612
H299	साल	91-120	3-5	1.029			11924	12270		
		91-120	5 से ऊपर	0.406			12734	5170		
		120 से ऊपर	3-5	1.175			12734	14962		
		120 से ऊपर	5 से ऊपर	0.555			13892	7710		
		योग			3.165	51100	25000		40112	15112
H304	साल	91-120	2-3	3.799			10141	38526		
		91-120	0-2	2.702			8335	22521		
		योग			6.501	84300	44000		61047	17047
H310	साल	91-120	2-3	0.162			10141	1643		
		120 से ऊपर	2-3	1.975			11113	21948		
		योग			2.137	36100	14000		23591	9591
H433	साल	91-120	3-5	4.974	78500	63000	14309	71173	8173	03-04-2012
H456	साल	120 से ऊपर	3-5	2.326	39300	31500	15281	35544	4044	03-04-2012
नीलामी दिनांक: 03-07-2012										

H296	साल	51-60	2-3	0.255			6598	1682		
		61-90	2-3	3.942			8335	32857		
		योग		4.197	50300	30000		34539	4539	02-02-2012
H341	साल	61-90	2-3	1.805			10002	18054		
		51-60	2-3	0.056			7918	443		
		61-90	2-3	2.58			10002	25805		
		योग		4.441	61200	42000		44302	2302	03-04-2012
H353	साल	91-120	3-5	2.67	42200	28500	14309	38205	9705	03-04-2012
H357	साल	120 से ऊपर	3-5	3.062	51800	40000	15281	46790	6790	03-04-2012
H366	साल	120 से ऊपर	2-3	3.986	60000	44500	13336	53157	8657	03-04-2012
H388	साल	120 से ऊपर	3-5	5.485			15281	83816		
		120 से ऊपर	2-3	0.781			13336	10415		
		योग		6.266	104400	68500		94232	25732	03-04-2012
H394	साल	120 से ऊपर	3-5	1.782	30100	19500	15281	27231	7731	03-04-2012
H402	साल	51-60	2-3	0.061			7918	483		
		61-90	2-3	3.358			10002	33587		
		61-90	3-5	0.134			12086	1620		
		योग		3.553	45100	30000		35689	5689	03-04-2012
H431	साल	120 से ऊपर	0-2	0.983			11571	11374		
		120 से ऊपर	2-3	2.415			13336	32206		
		योग		3.398	43600	29500		43581	14081	03-04-2012
H464	साल	120 से ऊपर	3-5	0.811			15281	12393		
		120 से ऊपर	2-3	3.472			13336	46303		
		120 से ऊपर	0-2	0.192			11571	2222		
		योग		4.475	68700	48000		60917	12917	03-04-2012
H519	साल	120 से ऊपर	3-5	5.111	76900	62000	15281	78101	16101	02-05-2012
नीलामी दिनांक: 03-08-2012										
H342	साल	91-120	0.2	1.986	25100	15000	10002	19864	4864	03-04-2012
H412	साल	91-120	0.2	1.777	22500	14000	10002	17774	3774	03-04-2012
H447	साल	91-120	2.3	0.992			12169	12072		
		120 से ऊपर	2.3	1.319			13336	17590		

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

		120 से ऊपर	0.2	1.361			11571	15748		
		योग		3.672	53800	24000		45410	21410	03-04-2012
H556	साल	120 से ऊपर	3.5	0.441			15281	6739		
		120 से ऊपर	2.3	1.44			13336	19204		
		120 से ऊपर	0.2	0.699			11571	8088		
		योग		2.58	39300	22000		34031	12031	02-05-2012
नीलामी दिनांक: 03-09-2012										
H1001	साल	120 से ऊपर	3.5	5.172	79600	73000	15281	79033	6033	03-08-2012
नीलामी दिनांक: 03-12-2012										
H942	काष्ठ	41-50	2.3	3.408			23557	80282		
		41-50	1.2	0.057			19766	1127		
		योग		3.465	105200	59000		81409	22409	03-08-2012
H951	काष्ठ	51-60	4.6	1.423			29555	42057		
		41-50	4.6	0.876			27823	24373		
		योग		2.299	92200	49000		66430	17430	03-08-2012
H961	साल	120 से ऊपर	2.3	2.549			13336	33993		
		120 से ऊपर	3.5	2.124			15281	32457		
		120 से ऊपर	3.5	2.447			15281	37393		
		योग		7.12	107300	62000		103843	41843	03-08-2012
H1016	काष्ठ	150 से ऊपर	2.3	1.682	62600	42000	39938	67176	25176	03-08-2012
नीलामी दिनांक: 03-01-2013										
H1085	काष्ठ	51-60	3.4	1.742			28490	49630		
		61-75	3.4	0.095			30086	2858		
		योग		1.837	73500	49000		52488	3488	03-09-2012
योग				160.295	2546800	1687000		2190163	503163	

परिशिष्ट 6.3
(संदर्भ कंडिका 6.8)

30 वर्षीय पट्टा अवधि में उत्खनित कि जाने वाली कोयले की अनुमानित मात्रा(खनन योजना अनुसार)	277 मे.टन
अनुमानित औसत वार्षिक उत्खन्न	9.23 मे.टन/ 92,30,000 टन
अनुमानित वार्षिक औसत राज्यांश (@ ₹ 84 प्रति टन ग्रेड 12 के लिए)	₹ 77,53,20,000
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के धारा 35 के अनुसूची 1 के अनुसार बाजार मूल्य की गणना (अनुमानित वार्षिक औसत राज्यांश का पांच गुणा)	₹ 3,87,66,00,000
मुद्रांक शुल्क (5 प्रतिशत)	₹ 19,38,30,000
उपकर (मु.शु. का 5 प्रतिशत)	₹ 96,91,500
कुल आरोपणिय मुद्रांक शुल्क	₹ 20,35,21,500
आरोपणिय पंजीयन फीस (मुद्रांक शुल्क का 75 प्रतिशत)	₹ 14,53,72,500
आरोपित मुद्रांक शुल्क	₹ 16,31,70,000
आरोपित पंजीयन फीस	₹ 11,65,50,000
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण	₹ 4,03,51,500
पंजीयन फीस का कम आरोपण	₹ 2,88,22,500
कम आरोपण योग	₹ 6,91,74,000

परिशिष्ट 6.4
(संदर्भ कंडिका 6.9)

पट्टाधारक का नाम/पट्टा अवधि/खनिज	जिला/ग्राम/क्षेत्रफल (हे.में)	आवेदन में उल्लेखित मात्रा	राज्यांश का दर	राज्यांश, मु.शु. एवं पं.फी.के भुगतान की गणना (₹)		अवधि जिसके लिये राज्यांश का भुगतान किया गया	वास्तविक राज्यांश का भुगतान (₹)	वार्षिक औसत राज्यांश एवं देय मु.शु. एवं पं.फी. की गणना (₹)		मु.शु. एवं पं.फी. का अनारोपण (₹)
				राज्यांश	मु.शु. एवं पं.फी.			राज्यांश	देय मु.शु. एवं पं.फी.	
बी एस सी पी एल इंनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. / 15.05.12 से 14.05.22 / पत्थर	महासमुंद / छुईपाली / 2.59	10000 घन मीटर	₹ 103 प्रति घन मीटर	राज्यांश	343334	मई 2012 से जूलाई 2014 (दो वर्ष एवं तीन माह)	11650000	राज्यांश	5177778	697972
				मु.शु.	28325			मु.शु.	427167	
				पं.फी.	21245			पं.फी.	320375	
				योग (मु.शु. एवं पं.फी.)	49570			योग (मु.शु. एवं पं.फी.)	747542	
चंदन चंद्राकर, बी एस सी पी एल इंनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. को हस्तांतरित / 19.07.11 से 18.07.21 / पत्थर	महासमुंद / बरबसपुर / 1.10	1000 घन मीटर	₹ 103 प्रति घन मीटर	राज्यांश	103000	जूलाई 2011 से जून 2014 (तीन वर्ष)	11402110	राज्यांश	3800703	529967
				मु.शु.	10720			मु.शु.	313558	
				पं.फी.	8040			पं.फी.	235169	
				योग (मु.शु. एवं पं.फी.)	18760			योग (मु.शु. एवं पं.फी.)	548727	
बी एस सी पी एल इंनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. / 15.05.12 से 14.05.22 / पत्थर	बिलासपु / मोहतरा / 11.036	500 टन वार्षिक	₹ 63 प्रति टन	राज्यांश	45000	दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 (पाँच वर्ष)	9762858	राज्यांश	1952572	200610
				मु.शु.	2520			मु.शु.	117154	
				पं.फी.	1890			पं.फी.	87866	
				योग (मु.शु. एवं पं.फी.)	4410			योग (मु.शु. एवं पं.फी.)	205020	
महायोग				भुगतान मु.शु. एवं पं.फी.	72740	भुगतान राज्यांश	32814968	देय मु.शु. एवं पं.फी.	1501289	1428549

परिशिष्ट 8.1
(संदर्भ कंडिका 8.27)

(राशि ₹ में)

व्यवसायी का नाम	चालान क्र.	चालान दिनांक	राशि ₹ में	विवरण जिसमें उपयोग किया गया
एन टी पी सी सेल पावर कम्पनी प्राइवेट लिमि. (टीन- 22863201285)	053466	10-09-2014	13,70,736	मू.सं.क. एवं प्र.शु.
	143340	29-10-2014	63,887	
	143549	29-10-2014	72,66,302	
	977659	08-08-2014	41,42,826	
	053521	10-09-2014	91,505	
यम! रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीन-22081703258)	019446	10-11-2013	62,930	
हरी ओम इंगटस ए.ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (टीन- 22793202439)	7	14-08-2014	3,24,376	मू.सं.क. एवं के.वि.क
आउटोमेशन इंजिनियरिंग (टीन- 22083201811)	Cst-8	23-02-2011	68,192	
कन्हैया स्टील इंडस्ट्रीज (टीन- 22103200248)	203	25-08-2011	2,57,643	
भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (टीन-22173202974)	183	31-03-2010	3,20,392	
जे.एस. ऑयल (टीन- 22603202980)	20015	08-07-2014	4,80,000	
लक्ष्मी पेपर वर्क्स (टीन-22961700058)	122	30-04-2013	29,770	
आर.व्ही.सन्स (टीन- 22961702968)	84	31-01-2015	1,10,905	
	योग		1,30,38,137	

शब्द कोष

संक्षेप की शब्दावली

संक्षिप्त	पूरा रूप
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
ले.स.बै.	लेखापरीक्षा समिति बैठक
स.वा.क.अ.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
अति.आ.वा.क.	अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर
अति.नि.ख.प.	अतिरिक्त निर्देशक, खनन प्रशासन
अति.प.आ.	अतिरिक्त परिवहन आयुक्त
स.आ.आ.	सहायक आबकारी आयुक्त
म.ले.	महालेखाकार
स.ख.अ.	सहायक खनन अधिकारी
क.नि.अ.	कर निर्धारण अधिकारी
अति.प्रा.प्र.व.सं.	अतिरिक्त प्रधान प्रमुख वन संरक्षक
ले.प्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
अति.क्षे.प.अ.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
स.प.आ.	सहायक परिवहन आयुक्त
का.टी.	कार्यवाही की टीप
ब.अ.	बजट अनुमान
ब.ली.	बल्क लीटर
प्र.व.सं.	प्रमुख वन संरक्षक
आ.वा.क.	आयुक्त वाणिज्यिक कर
व.सं.	वन संरक्षक
छ.ग.प्र.क.अधिनियम	छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम
छ.ग.मो.क. अधिनियम	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम
छ.ग.म.स.क.अधिनियम	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम
सी.आई.	कास्ट आयरन
के.मो.नियम	केन्द्रीय मोटर यान नियम
छ.ग.रा.बे.का.लि.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड
आ.बं.मू.अ.	आयुक्त, बंदोबस्त और भू-अभिलेख
के.वि.क.	केन्द्रीय विक्रय कर
व.क.	वाणिज्यिक कर
वा.क.नि.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वा.क.अ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
उ.आ.	उपायुक्त अधिकारी
उ.नि.ख	उप निदेशक, खनिज
जि.आ.अ.	जिला आबकारी अधिकारी
व.मं.अ.	वनमंडलाधिकारी
नि.भौ.ख.	निदेशक, भौमिकी और खनिज
जि.ख.अ.	जिला खनिज अधिकारी
उ.प.अ.	उप परिवहन आयुक्त
जि.प.अ.	जिला परिवहन अधिकारी
आ.आ.	आबकारी आयुक्त
प्र.क.	प्रवेश कर
वि.म.	विदेशी मदिरा
वै.जा.प्र.	वैज्ञानिक जाँच प्रयोगशाला
हे.	हेक्टेयर
वि.अ.	विभागाध्यक्ष
आं.ले.प.शा.	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा
आं.नि.प्र.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
भा.व.अ.	भारतीय वनअधिकारी
भा.नि.वि.म.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
भा.मु.अधिनियम	भारतीय मुद्रांक अधिनियम
आ.क.रि.	आगत कर रिबेट
वृ.प्रा.कं.	वृहतप्रारूपकंडिका
न्यू.प्र.मा.	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
ख.नि.	खनिज निरीक्षक
मि.ली.	मिली लीटर
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.अ.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मि.ट.	मिट्रिक टन
रा.बां.मि.	राष्ट्रीय बांस मिशन
गै.शा.सं.	गैर-शासकीय संस्था
रा.सू.के.	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
नो.ट.	नोशनल टन

का.यु.वि.	कार्बनिक युक्त विलायक
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
लो.ले.स.	लेक लेखा समिति
प्र.प्र.व.सं.	प्रधान प्रमुख वन संरक्षक
प्र.ल.	पुफ लीटर
पी.एम.ई.एस	प्लेट मिल इन्ड सियरिंग
लो.नि.वि	लोक निर्माण विभाग
बि.बा.व.सु.	बिगडे बांस वनों का सुधार
बि.व.सु.	बिगडे वनों का सुधार
प.का	परिक्षेत्र कार्यालय
रा.व.प्र.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र
क्षे.प.अ.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
सौ.ऊ.बा.	सौर ऊर्जा बाड़ा
स.या.प्र.	सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
प.आ.	परिवहन आयुक्त
प.का.	परिवहन कार्यालय
मू.सं.क.	मूल्य संवर्धित कर
अ.म.ज.	अतिमहत्वपूर्णजन
का.आ.	कार्य आयोजना
सि.आ.वि.	सिस्टम आवश्यकताएँ विशिष्टता
उ.आ.वि.	उपयोगकर्ता की आवश्यकता विशिष्टता
सि.डि.द.	सिस्टम डिजाइन दस्तावेज
डी.प्वारजि.	डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन
वा.क.वि.ला.छ.ग.वा.क. माँ.	वाणिज्यिक कर विभाग में लागू छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर माँड्यूल
छ.ग.शा.	छत्तीसगढ़ शासन
रा.सू.वि.के.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
सू.प्रौ.	सूचना प्रौद्योगिकी
स्ट्र.क्वे.लै.	स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज
छ.ग.मू.सं.क.अधि.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
के.बि.क.अधि.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956

छ.ग.प्र.क.अधि.	छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
छ.ग.मो.या.क.धा.अधि.	छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991
को.ले.पें.नि.	कोषागार, लेखा एवं पेंशन निदेशालय
ख.सं.सं.	खजाना संदर्भ संख्या
डि.रै.टे.	डिजिटल रैखिक टेप
प्र.सू.प्र.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
क्षे.प.का.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
अति.क्षे.प.का.	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
जि.प.का.	जिला परिवहन कार्यालय
वा.क.वि.	वाणिज्यिक कर विभाग
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.saiindia.gov.in

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in